हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 09 अप्रैल, 2015को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

09/04/2015/1100/MS/JT/1

प्रश्न संख्याः2082

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जैसे ही इस विधान सभा सत्र के शुरू होने की सूचना दी गई थी। हमने सत्र लगने से 15दिन पहले यानी सबसे पहले यह प्रश्न दिया था और मुख्य मंत्री महोदय ने जैसे अभी दौरा हाल ही में किया और पिछले साल भी दौरा किया था। उसका तो सारा रिकॉर्ड होगा। जब मुख्य मंत्री कोई घोषणा करते हैं तो उनके साथ जो स्टाफ जाता है, वह उसी समय उन सारी चीजों की नोटिंग करता है और आने के बाद उनको नोटिफाई करना सरकार का दायित्व बनता है। तो आपने जो सारी-की-सारी नोटिफिकेशन्ज की हैं, हमने तो बड़ा सिम्पल सा प्रश्न पूछा है और उसका आपके पास सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। मुख्य मंत्री महोदय कल सत्र भी समाप्त हो रहा है इसलिए हमें जवाब कब मिलेगा और जब अगले सत्र में जवाब आएगा तो उस समय तक छः महीने और ज्यादा हो गए होंगे? इसलिए मेरा अनुरोध है क्योंकि इसमें हमने ज्यादा कुछ सूचना नहीं मांगी है। यदि इसकी सूचना कल तक दे दी जाए तो ठीक रहेगा।
मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो जब भी सूचना आएगी, उस वक्त चाहे सत्र हो या न हो, माननीय सदस्य को वह सूचना भेज देंगे।

प्रश्न समाप्त/

09/04/2015/1100/MS/JT/2

प्रश्न संख्याः 2083

श्री अनिरूद्ध सिंहः (कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा)

09/04/2015/1100/MS/JT/3

प्रश्न संख्याः 2084

श्री विनोद कुमारः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के "ख" भाग में मंत्री जी ने कहा है कि इस क्षेत्र में पहले से दिए गए 42 रूटों पर रूटीन अनुसार बसें चल रही हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र से

रूटीन अनुसार बसें न चलने बारे कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि एक बाबा बस सर्विस जो धर्मद्वारा से सुन्दर नगर और सुन्दर नगर से मण्डी के लिए चलती है, उसकी हमने एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार RM सुन्दर नगर और RTO मण्डी से शिकायत की है कि यह बस कई महीनों से सुन्दर नगर और मण्डी के बीच में ही चल रही है और यह बस धर्मद्वारा तक नहीं आ रही है। यह बस लगभग कई महीनों से इस रूट पर नहीं आ रही है इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप इस बाबा सर्विस के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पर्टिकुलर एक बाबा बस सर्विस का नाम लिया है। अगर आपके पास बस मालिक का नाम है तो बता दीजिए? क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में बाबा बस सर्विस के नाम से कोई बस नहीं है। मगर विधायक महोदय ने जो बताया है ,इसके ऊपर हम नियमानुसार पूरा एक्शन लेंगे लेकिन आप कृपा करके इसकी लिखित रूप में शिकायत मुझे भिजवा दें।

अगला प्रश्न श्री जे0के0 द्वारा---

9.4.2015/1105/जेके/जेटी/1

प्रश्न संख्याः2085

श्रीमती आशा कुमारी :अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके मुताबिक 2,251 आई.टी. टीचर्ज़ जो स्टेट में लगे हुए हैं जिनमें से 767 टीचर्ज शिक्षा विभाग के हैं और 1484 आऊट सोर्स से लगे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यही जानना चाहूंगी कि जो आर एण्ड पी रूल्ज में प्रपोज्ड अमैंडमैंट है यह कब तक हो जाएगी? आपने यह बताया है कि जो अमैंडमैंट करके इसमें पांच साल का एक्सपीरियंस जिन आई.टी. टीचर्ज को है उनको प्रेफरैंस दी जाएगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि प्रेफरैंस के अलावा क्या लिमिटिड इन्टरव्यू करेंगे कि इन्हीं टीचर्ज के बीच में से जो आऊट सोर्सिंग से लगे हैं?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यही है कि जो अभी टीचर्ज लगे हुए हैं उन्हीं को एब्जोर्ब किया जाएगा and this will be done within a month.

प्रश्न समाप्त

प्रश्न संख्याः 2686

श्री हंस राजः माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न के "क" भाग में उत्तर दिया गया है कि कार्य 2015-2016 में प्रारम्भ करेंगे, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ क-प्रश्न में ही एक विषय आ जाता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों ने एन्क्रोचमैंट की हुई थी और उससे उनका रोज़गार चल रहा था। हमने खुद वहां पर इन्टरफेयर करके बस स्टैंड की जगह खाली करवाई है। उनसे वायदा किया हुआ है कि बहुत जल्द वहां पर बस स्टैंड का कार्य शुरू होगा। उस बस स्टैंड के कार्य के शुरू होते ही वहां पर दुकानों की व्यवस्था भी हम उनके लिए करवा देंगे। माननीय मंत्री जी से मैं यही पूछना चाहूंगा कि कब तक यह कार्य शुरु हो जाएगा? इसी के साथ प्रश्न के "ख"भाग में वातानुकुलित बस चम्बा से शिमला की तरफ परीक्षण के तौर पर शुरू की गई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण हिमाचल जानता है कि चम्बा में भी बहुत सारा टूरिस्ट आता है। चम्बा से बहुत सारे लोगों की मांग रही है कि वातानुकूलित बस की व्यवस्था चम्बा से शिमला की तरफ शुरू हो, क्योंकि ये दोनो हिल स्टेशन हैं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस विषय पर फिर से सोचे और इस बस को एक बार फिर शुरू करवाएं। हम भी सहयोग करेंगे और पूरा चम्बा सहयोग करेगा। इसके अलावा जो भंजराड़ु से शिमला की तरफ बस चलाई जा रही है अगर वह शुरू हो जाती है तो लोगों को आई.जी.एम.सी., हाई कोर्ट और दूसरे स्थानों में पहुंचने में बहुत सुविधा होगी।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक बस अड्डे की बात है उसके लिए हमने पहले से ही 50 लाख रूपया डिपोजिट कर दिया है और तुरन्त काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जो फोरमल्टीज होती है उसमें जितना समय लगेगा वह तो लगेगा ही। मगर जो दूसरी बात इन्होंने कही, इलिगल ऑकूपैंट्स को बस अड्डे में दोबारा से बसाने का कोई प्रावधान नहीं है । वह प्रावधान इसमें नहीं है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। जो मंझराड़ू से शिमला बस है जैसे ही हमारे पास स्टाफ उपलब्ध हो जाता है और मैं अपने आप जब

तीसा गया था तब भी बोल के आया था कि ये बस अब हम शुरू करेंगे। उस बस को हम शुरू करेंगे। यह बस सेवा हमने 26.7.2014 को आरम्भ की थी। मैंने अपने आप कहा था और उस वक्त डलहौजी की एम.एल.ए. भी थी, मैंने कहा था कि चम्बा से ए.सी. बस चलनी चाहिए। जो आप कह रहे हैं वह मैं भी कह रहा हूं कि वहां पर टूरिस्ट जाते हैं और ऊपर भी जाते हैं तो वहां के लिए बस होनी चाहिए और हमने उस बस को चालू भी किया। मगर दिन में उस बस में ऑक्यूपैंसी बिल्कुल भी नहीं थी। फिर हमने उस बस को रात के लिए चेंज किया। रात को भी ऑक्यूपैंसी नहीं बनी। मगर एक बार फिर से डलहौजी को पर्यटन की दृष्टि से देखते हुए और चम्बा की कनैक्टिविटी देखते हुए उस बस को लगाने की कोशिश करेंगे। हमारी समस्या थोड़ी सी रोड़ को लेकर भी है। जो ए.सी. गाड़ियां होती है वे थोड़ी लम्बी और बड़ी है। मैंने डलहौजी से शिमला को नई बस चलाने के लिए आदेश दिए हैं। वह बस भी एक महीने तक ट्रायल पर चलाएंगे। अगर ए.सी. बस वहां पर कामयाब होती है तब उसको एक्सटैंड करने के बारे में विचार करेंगे।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-------

09.04.2015/1110/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 2086 क्रमागत

श्री हंस राजः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने यह चीज़ मानी है कि हम डलहौजी से शुरू कर रहे हैं लेकिन यहां पर पांचों विधान सभा क्षेत्रों से विधायक और मंत्री जी स्वयं चम्बा से यहां बैठे हुए हैं, अगर उस बस को चम्बा ज़िला से शुरू किया जाए तो ठीक रहेगा क्योंकि मुख्यालय चम्बा पड़ता है। फिर वही चीज़ आ जायेगी कि आम आदमी को उससे क्या फायदा होगा।

अध्यक्षः मंत्री जी कह रहे हैं कि बस लम्बी है, बाद में ट्रायल करेंगे।

श्री हंस राजः अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे विनती है कि चम्बा से ट्रायल शुरू करें। अगर वहां से ऑकूपैंसी नहीं होती है तो हम खुद ही बोल देंगे कि आपने तो ट्रायल शुरू किया था लेकिन सफल नहीं हो पाया। साथ में जो भंजराडू की एंक्रोचमैंट की बात आई है

उसमें लोग 30-35 सालों से पहले से बसे हुए थे। एक तरीके से उनको उजाड़ा गया है। ठीक है एंक्रोचमैंट थी, हम इस बात को मानते हैं लेकिन वहां से उनका रोज़गार और परिवार चल रहा था। इसीलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से गुजारिश कर रहा हूं कि वहां पर दुकानों की व्यवस्था करवाएं और पंचायत के हिसाब से एलॉटमैंट हो और उनको वहां पर रोज़गार मुहैया करवाया जाए। यही आश्वासन मैं चाहता हूं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि पहले हमने चम्बा से दिन में एयर कंडीशनर बस शुरू की, वह फेल हो गई। फिर चम्बा से ही रात को ट्राई की लेकिन वह भी फेल हो गई। अब हम डलहौजी से कर रहे हैं। अगर डलहौजी से कामयाब होगी तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि हम उसको आगे एक्सटेंड करेंगे। मगर कृपा करके इसको एक बार चालू तो होने दो। अगर चालू हो जाए तो फिर एक्सटेंड करने का स्कोप रहेगा।

श्री बी0के0 चौहानः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की सूचना बिल्कुल गलत है। चम्बा से थोड़े दिनों के लिए ए0सी0 बस चलाई गई थी। फिर इन्होंने बंद कर दी। अब जब 10-15 दिनों के लिए बस चलाई है तब तक लोगों को पता ही नहीं चलता है कि चम्बा से ए0सी0 बस चल रही है। उसके बाद इन्होंने ए0सी0 बस बंद कर दी। फिर इन्होंने सिम्पल डिलैक्स बस चम्बा-दिल्ली चलाई, वह भी अब बंद होने की कगार है। हमने इनको कहा था कि चम्बा वाया डलहौजी दिल्ली के लिए वोल्वो बस चलाई जाए जैसे

09.04.2015/1110/SS-AG/2

दूसरे डिस्ट्रिक्टस में हैडक्वार्टर से बसें चल रही हैं। उसके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि उस बस को चलाएं और उसका एक्सटेंशन वाया डलहौजी भंजराडू तक भी कर दें तो वह उपयुक्त होगी। उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वह वाईबल बस होगी। उसमें कहीं आपको नुकसान नहीं होगा। क्या आप इस बस को चलाने का आश्वासन देते हैं या सिर्फ कांगड़ा में ही सारी बसें घुमाते रहेंगे?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, एक्सपैरीमैंट किया तो तकरीबन एक दिन का 50 हजार रुपये का नुकसान बस चलाने पर हो रहा था। मैं डेट पढ़ देता हूं कि कब से कब तक बस चलाई, वैसे आपको भी पता

है, अब जब 15-20 दिन में हमें बिल्कुल ही नुकसान होता जा रहा था तो उसको डिसकंटीन्यू किया। मैंने कहा कि डलहौजी से स्टार्ट कर रहे हैं अगर डलहौजी में कामयाब हो जाती है और 50परसैंट ऑकूपैंसी भी आ जाती है तब भी उसको एक्सटेंड कर दूंगा। जहां तक आपने वोल्वो की बस कही है, अध्यक्ष महोदय, हमने वोल्वो ट्राई करवाई थी, वह आगे जाकर दो-तीन मोड़ों पर फंस रही है। सुरक्षा की दृष्टि से मैं उसमें चांस नहीं ले सकता हूं मगर जैसे हम नई वोल्वो ले रहे हैं हमारे ऑलरेडी चम्बा से बस चलाना प्लान में है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक वोल्वो जा पायेगी वहां तक चलाने का प्रयास करेंगे। चम्बा इस सरकार के लिए जो पहले आपकी सरकार थी उससे ज्यादा महत्व रखता है इसलिए हम पूरी तरह से आपको सैटिज़फाई करेंगे, इस बात की चिन्ता न करें।

प्रश्न समाप्त

09.04.2015/1110/SS-AG/3

प्रश्न संख्याः 2087

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो प्रस्तावित खड़ापत्थर सुरंग है क्या इसकी डी0पी0आर0 तैयार हो गई है और कब तक इसका कार्य शुरू करने की सम्भावना है?

जारी श्रीमती के0एस0

/1115/09.04.2015केएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 2087 जारी---

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जहां तक खड़ा पत्थर में सूरंग बनाने का प्रश्न है, इसकी अनुमानित लागत 246.46 करोड़ रुपये है। फिलहाल अभी तो वहां पर सड़क बन रही है। ठियोग से लेकर खड़ा पत्थर और रोहड़ू रोड़ अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसके बाद यदि सूरंग बनाने की आवश्यकता महसूस हुई तो उसके बारे में सरकार विचार करेगी।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सुरंगें बनाने के बारे में जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सूचना दी है, मैं जानना चाहता हूं कि इनमें से कितनी योजनाओं का शिलान्यास हो चुका है ? क्या उनके टैंडर कॉल कर लिए गए हैं ? यदि हां, तो उनकी अद्यतन स्थिति क्या है?

इसी तरह से तीसरे नम्बर पर रानीताल का नाम दिया है तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह डिस्टैंस कितना होगा और यह सुरंग कहां से कहां तक बनेगी ? एक आपने चामुण्डा-होली के बारे में यहां पर कहा है 2170 करोड़ रुपये इस पर व्यय आएगा तो कब आपने इसका सर्वेक्षण करवाया और कब इसकी डी.पी.आर. बनकर तैयार हुई, क्या मा0 मुख्य मंत्री महोदय बताएंगें?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो यह सर्वेक्षण हुआ है यह प्रीलिमिनरी सर्वेक्षण है। इसके आधार पर अभी तक कोई टैंडर कॉल नहीं किए गए हैं। जो आपने रानीताल के बारे में कहा है, इसका एस्टिमेट 24.08 करोड़ रुपये है और अभी तक इसकी टैंडरिंग नहीं हुई है।

प्रश्न समाप्त

/1115/09.04.2015केएस/एजी/2

प्रश्न संख्याः 2088

श्री बिक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने सूचना सभा पटल पर रखी, एक तो मैं जानना चाहता हूं कि जो ग्राम पंचायत हटली के भवन के लिए मु0 4,95,000/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जब तक विभाग के नाम पर जगह नहीं होती तो पैसा रिलीज़ नहीं होता, ऐसा नियम है क्योंकि हमारा एम.पी. लैड और एम.एल.ए. लैड का पैसा जो दिया है वह अभी तक खर्च नहीं हुआ, वह इसी कारण से खर्च नहीं हुआ कि विभाग के नाम पर वह जगह नहीं है तो यह किस नियम के तहत पैसा सेंक्शन किया? दूसरे, यह भवन डिस्मैंटल किया गया जो कि निजी भूमि में था, तो यह किसके आदेश से डिस्मैंटल किया गया? तीसरे, इस भवन निर्माण के लिए ग्राम सभा हटली ने डायरैक्टर, पंचायती राज, सम्बन्धित मंत्री और लोकायुक्त को भी चिट्ठी लिखी। ज्वाइंट डायरैक्टर, पंचायती राज वहां पर इंस्पैक्शन के लिए आए परन्तु उन्होंने कुछ नहीं किया। लोग आज भी हमसे ही पूछ रहे हैं, कि इसका क्या हुआ? नम्बर-4, जो

निजी भूमि है, जब तक वह विभाग के नाम पर ट्रांसफर नहीं हुई है तो पैसा कैसे खर्च हुआ? यह मंत्री जी बतलाने की कृपा करें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा है, यह ठीक कहा कि यह बहुत पुराना भवन था और इसे 25.04.2011 को गिराकर इस पर काम शुरू किया गया। क्योंकि यह पंचायत का भवन 1985 का बना हुआ था और उस भवन को बनाने के लिए जो पैसा वहां पर दिया गया, अभी तक लगभग 12,16,512 रुपये इस पर दे चुके हैं और इसका काम वर्ष 2 10-009से शुरू हुआ था। यह हमारे समय

/1115/09.04.2015केएस/एजी/3

से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से काम चला हुआ है। वर्ष 2013-14 में भी इसके लिए पैसा दिया गया। अभी केवल 01,16,894 रुपये इसको देने को रहा है। जो माननीय सदस्य ने बात उठाई कि सरकार के नाम पर यह जमीन नहीं हुई है---

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी-

9.3.2015/1120/jt/av/ 1

प्रश्न संख्या :2088 --------- क्रमागत

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जारी----------

आपने जो बात उठाई कि सरकार के नाम जमीन नहीं हुई है तो काम कैसे शुरु हुआ? लगभग 30 साल पुरानी जमीन जिसमें न केवल पंचायती राज हीं नहीं है बल्कि पटवार सर्कल भी वहीं बना हुआ है। लोक निर्माण विभाग की लैंड भी उसी प्राइवेट जमीन पर है। इसमें लगभग 100 आदमियों का मुश्तरका खाता है। सौ आदमियों का मुश्तरका खाता होने की वजह से यह सरकार के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकती। इस पर विभाग का 30साल से कब्जा है इसलिए इसमें काम हो रहा है।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : अध्यक्ष महोदय, कई पुराने स्कूल सरकारी और निजी भूमि पर आज से 60-60 वर्ष पहले बने हुए हैं। हम उसके लिए आज पैसा देते हैं तो वह काम

नहीं हो रहे हैं। यह नियम 1985 का है परंतु नये नियम के तहत उसमें कार्य नहीं हो सकता और हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रहा है। जितने भी पुराने भवन बने हैं जो उस विभाग के नाम जगह नहीं है वहां पर वह पैसा युटिलाईज नहीं हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके डिसमैंटल के ऑर्डर किसने दिए? जब निजी भूमि नहीं थी और बाकी विभाग की नहीं हो रही है तो इसका कार्य कैसे हुआ?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वहां पर पहले ही भवन बना हुआ था और उस भवन को डिसमैंटल करके उस पर नया भवन बनाया गया। आपने जो कहा कि लोग अपनी निजी जमीन डिपार्टमैंट के नाम करते हैं तब उस पर काम शुरु होता है। आपने ठीक कहा क्योंकि बहुत सारे पंचायत भवन फॉरैस्ट लैण्ड पर बन गये हैं। हमने अब डी.सी. को आदेश दिए हैं कि उस लैंड को ट्रांसफर किया जाए। अब जैसे मैंने कहा कि इसमें 1 00आदमियों का मुश्तरका खाता है और इसको हम छोड़ नहीं सकते। न ही यह

9.3.2015/1120/jt/av/ 2

ट्रांसफर हो सकती है। हमारा इस पर कब्जा है और हमने इसमें पंचायत भवन बनाया है जो कि बनकर पूरा हो चुका है। इसमें हम अब विभाग के माध्यम से प्रयास कर सकते हैं परंतु मुश्तरका खाता होने की वजह से इसको अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकते।
श्री बिक्रम सिंह जरयाल : अध्यक्ष महोदय, वहां लैंड ऑनर की भी कम्पलेंट है, उन्होंने भी लिखकर दिया हुआ है कि यह भवन नहीं बनना चाहिए। वहां पर जबरदस्ती हुई है। यह ऑर्डर किसने दिए, कृपया मुझे भी इसकी एक कॉपी दी जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष जी, लोगों की शिकायत बेशक आई हो मगर जैसे मैंने कहा कि इसमें मुश्तरका खाता सौ आदमियों का है और 30 साल से हमारा पोजैशन है। यह काम वर्ष 2009-10 में शुरु हुआ है उस वक्त के बारे में इसमें मैं क्या कह सकता हूं। आज इस पर सरकारी बिल्डिंग बन चुकी है।

समाप्त

9.3.2015/1120/jt/av/ 3

<u>प्रश्न संख्या :2089</u>

श्रीमती सरवीन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में यह लाना चाहती हूं कि इस सड़क का काम एस.सी. कम्पोनैंट के थ्रू वर्ष 2009-10 से चला है। इसमें उस समय 118.35 लाख रुपये की ए.ए.एण्ड ई.एस. हुई। आपने बताया कि अभी तक इसमें 20.67 लाख रुपये खर्च हुए है और इस पर एक 8 मीटर स्पेन का पुल बना भी है। यह भरनोली जो कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ज्वाली का एक पार्ट है वह पी.एम.जी.एस.वाई. का एक लिंक है वहां पर कुछ लोगों ने इस पर चिंगो राम से केस करवाया जबकि इसकी डिमार्केशन रैवन्यू डिपार्टमैंट ने 26.6.2012 को की है। उसमें यह सरेआम रास्ता है। वह कोर्ट में गया तो विभाग इसके बारे में क्या पैरवी कर रहा है क्योंकि यह सरेआम रास्ता है और लोगों को इससे वंचित रखा जा रहा है। इसमें लोग बार-बार राजनीति के सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं----------

श्री बी जे द्वारा जारी

09.04.2015/1125/negi/jt/1

प्रश्न संख्याः ..2089जारी..

श्रीमती सरवीन चौधरी...जारी..

माननीय मुख्य मंत्री जी, इसमें लोग राजनीति करने के सिवाय कुछ नही कर रहे हैं। अभी भी 10 दिन पहले आपकी सरकार के लोग और आपकी सरकार में रहे पूर्व मंत्री रोज़ दावे करते हैं कि इस सड़क को बनवा देंगे, जबकि उन्हीं के द्वारा कोर्ट में चिंगो राम से केस करवाया हुआ है। विभाग इसकी पैरवी कर रहा है। दूसरा मेरा यह प्रश्न है कि इसमें थोड़ा सा फोरेस्ट भी आता है, यह सड़क 2009 से चली है और अभी भी सोच रहे हैं कि केस भेजेंगे। इस तरह से जानबूझ कर ये सड़कें डिले हो रही हैं। यह बात सही है कि यह मामला कोर्ट में है । लेकिन इसका फोरेस्ट केस बनवा कर क्या विभाग तुरन्त भेजेगा ताकि जो पैसा है वह युटिलाइज हो सके और दावों वाली राजनीति खत्म हो करके असल रूप में सड़क बनवा कर लोगों को सड़क सुविधा मिल सके।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिस सड़क का जिक्र माननीय विधायक महोदया ने किया है, यह सड़क एस.सी.पी. के अन्तर्गत बन रही है और इसके लिए 19.20 लाख रूपये स्वीकृत है। मगर यह जो सारा मामला है, it is pending in the court. यह अदालत के अन्दर ज़ेरे गौर है और जब भी अदालत का फैसला होगा उसके बाद ही आगामी कदम उठाए जाएंगे।

श्रीमती सरवीन चौधरी: अध्यक्ष महोदय, कोर्ट केस के साथ, जो छोटा सा पार्ट फोरेस्ट का है, क्या विभाग उसकी ओर भी ध्यान देगा ताकि इसमें जल्दी काम शुरू हो सके। क्योंकि इसी महीने 20 तारीख को कोर्ट में एविडेंस है, अगर जल्दी से कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा तो साथ-साथ में फोरेस्ट क्लीयरेंस भी जल्दी हो जाएगा।

Chief Minister: Speaker Sir, apart from the forest land and public land, road was constructed on 400 meters towards 0 km. and it is because of this that the matter is pending in the court. Why the matter is pending in

09.04.2015/1125/negi/jt/2

the court, I am giving the reason for that. मैं बहुत उत्सुक हूं कि आपकी सड़क का निर्माण अति शीघ्र किया जाए। जैसे ही इस मामले में अदालत से फैसला होता है, तुरन्त इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी ।

श्रीमती सरवीन चौधरी: सर, फोरेस्ट क्लीयरेंस के बारे में भी बताइये।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, फोरेस्ट क्लीयरेंस के लिए भी मामला भेजा गया है।

श्रीमती सरवीन चौधरी: सर, डी.एफ.ओ. नूरपुर के मुताबिक अभी यह मामला नही भेजा है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना के मुताबिक the matter has been forwarded to the Forest Department for necessary clearance.

श्रीमती सरवीन चौधरी :फोरेस्ट क्लीयरेंस के लिए मामला कब भेजा गया है क्या आप उसकी डेट बताएंगे?

मुख्य मंत्री : मैं पता करके आपको टेलीफोन करके बता दूंगा।

समाप्त

09.04.2015/1125/negi/jt/3

प्रश्न संख्याः 2090.

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके "क" भाग में मैंने जानना चाहा था कि क्या ये लो फ्लोर बसिज़ चलाई गई है ? अगर चलाई गई है तो जिलाशः ब्यौरा दिया जाए कि कहां-कहां चलाई गई ? मंत्री जी ने प्रथम भाग का उत्तर दिया - "जी नहीं"। अगर इन बसों का नाम लो फ्लोर बसिज नही है, कुछ और होगा तो यह तो मेरी जानकारी नही है। लेकिन आपने समाचार-पत्रों में दिया था कि मैं लो-फ्लोर बसिज़ चलाने वाला हूं जिसका किराया भी कम होगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि "ख" भाग के उत्तर में आपने यह कहा है कि सस्ती दरों की बसें हमने चलाई है । क्योंकि उसके किराये में विसंगति थी इसलिए मामला कोर्ट के विचाराधीन है । एक तो मैं यह जानना चाहूंगा कि अगर ये लो-फ्लोर बसिज़ नही है तो क्या नाम इनका है? दूसरा, जिलाशः सूचना है नही। इसमें "ख" भाग का पूरा उत्तर नही है और मामला कोर्ट में गया । जहां तक इन बसों की डिज़ाइनिंग है, महोदय, वह शहरों के...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

/1130/09.04.2015यूके/एजी/1

प्रश्न संख्या---2090ःजारी---

श्री महेश्वर सिंह --**जारी**---
वह शहरों के अनुरूप और वहां की सड़कों के रख-रखाव के अनुरूप बनी है । ऐसी सड़कें उन शहरों में है जहां पेट का पानी नहीं हिलता । ये बसें, इनका नाम भले ही लो-

फ्लोर न हो लेकिन इनका फ्लोर है तो लो ही । वहां इतनी समस्या उत्पन्न हुई है कि जिन सड़कों में गड्ढे पड़ गए हैं, विशेष कर नेश्नल हाईवे में, जब वह टायर गड्ढे मे जाता है तो गाड़ी नीचे बजती है । इसलिए कई रूटों पर ये गाड़ियां फेल हो चुकी हैं आपके सबअर्बन एरिये में भी फेल हो चुकी हैं । धन्यवाद है आपका, कि ऐसी बस आपने रोहड़ू भेज दी, जिस सड़क की चर्चा यहां पर हमेशा बार-बार होती है । क्या वह सफल है? शिमला जैसे राजधानी में यह गाड़ी मोड़ने की समस्या है और रोज ट्रैफिक जाम हो रहा है, क्या यह सत्य है, मैं यह जानना चाहूंगा?

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, लो-फ्लोर बसिज़ की डेफिनेशन यह है कि वह 400-MM से नीचे होती है । हमने यह कहा कि दूसरी नॉर्मल बसों से इस बस में आराम से आप ऊपर चढ़ सकते हैं । नीचे से क्लियरैंस पूरी है । दूसरी बसों के हिसाब से इस बस में क्लियरैंस की कोई दिक्कत नहीं है । दूसरी बात आपने एक ही रूट पर अलग-अलग किराया वसुलने की बात कही ,यह तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार कह चुका हूं कि हम लोगों को सस्ते किराये की सुविधा दे रहे हैं, उसका भी आप विरोध कर रहे हैं । हम 25% से 40% किराया कम कर रहे हैं, हिमाचल के लोग उसकी वाहवाह कर रहे हैं और प्राईवेट ऑपरेटर्स रोज चीख रहे हैं और आप यदि प्राईवेट ऑपरेटरों का हित साधना चाह रहे हैं तो मुझे पता नहीं । हमने तो हिमाचल के गरीब से गरीब आदमी को यह सुविधा देनी है और हम यह सुविधा बाखूबी दे रहे हैं। लोग उसको ऐप्रिशिएट भी कर रहे हैं । तीसरी बात, जो आपने कहा कि जिलावार डिटेल नहीं दी है, तो मैं यह डिटेल आपको पढ़ देता हूं और आपकी पूरी तसल्ली करवा देता हूं । आपके कुल्लू में बता दूं? नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा ।

श्री महेश्वर सिंहः माननीय मंत्री जी आप रोहड़ू का बता दीजिए ?

/1130/09.04.2015यूके/एजी/2

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः रोहड़ू में यह बस बड़ी सक्सैसफुली चल रही है और हमारा ऐवरेज ऑकुपैंसी रेट भी वहां 80% से ऊपर आ रहा है । शिमला में इस बस को मोड़ने की कोई समस्या है, यह बात हमारे ध्यान में नहीं आई ।

श्री महेश्वर सिंहः माननीय अध्यक्ष जी,माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने किराया सस्ता कर दिया है और इसमें हमें कोई आपत्ति है । तो मैं कहना चाहूंगा कि हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, हम तो कहते हैं कि किराया और सस्ता कर दो । लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के साथ यह अन्याय है । आपने जिन सड़कों पर यह गाड़िया चल सकती हैं, वहां तो चला दी । लेकिन बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में यह कहीं नहीं चली है। लोग जब वहां से आगे राष्ट्रीय उच्च मार्ग में उन्हीं बसों में जाते हैं तो उनको महंगा किराया देना पड़ता है । जो आपने ये बसें चलाई हैं उसका किराया सस्ता है । इसलिए हमने यह बात कही है कि जहां शहरी क्षेत्रों को यह सुविधा मिली है, आपका स्वागत है । क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस प्रकार का अधिकार नहीं है ?दूसरे, आपने "घ" भाग के उत्तर में कहा है कि "जी हां" ,इस प्रकार की बसें ग्रामीण क्षेत्रो में भी चलाई गई हैं । तो मेरा कहना यह है कि यह प्रेक्टिकल बात है कि ये बसें शहरों के लिए बनी हुई हैं । तो क्या आप भारत सरकार से मामला उठाएंगे कि जिस प्रकार की सड़कें हमारी हैं उसके अनुरूप डिज़ाईनिंग करवा कर या चैसिज़ बनवा कर वैसी बसें बनवाएं तो लोगों को सुविधा अधिक मिलेगी? जहां आपने कहा कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में चलाने के लिए तैयार हूं, उसका भी स्वागत है, आप जल्दी चलाइए । उसकी भी सूची मिल जाए । चलाने के बाद भी एक बात और है, अनेकों बार, जिन रूटों पर विशेषकर कुल्लू में पूर्व सांसद महोदय ने सड़कों का उद्घाटन किया था, वहां भी बसें नहीं चल पायीं । उसके अतिरिक्त कई ऐसे रूट हैं जहां इनके समय में 2-2या 3-3 साल पहले बसें चली हैं और बस अभाव के कारण वह भी बन्द हो गयी है । हमें हमेशा आपका आश्वासन मिला है कि जैसे ही बसें आएंगी, महेश्वर सिंह जी, अगले महीने सब कुछ हो जायेगा। आपने एक पत्र भी हमको लिखा कि आप प्रस्ताव भेजें ताकि हम हर जगह बस प्रोवाईड कर सकें । क्या हम उन प्रस्तावों को आपके

/1130/09.04.2015यूके/एजी/3

आर0एम0 के कार्यालय के साथ मिल कर बना कर भेजें या सुओमोटो भेजें? मुझे लगता है कि वहां से भेजेंगे तो उचित रहेगा । पर भगवान के लिए वहां बस आ जाए ।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, दो बातें माननीय सदस्य मिक्स कर रहे हैं । एक तो जब मैं बस की लिस्ट भेजूंगा तो इनको पूरी

तसल्ली हो जायेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उतनी ही बसें चल रही हैं जितनी शहरों में चल रही हैं ।

एसएलएस द्वारा जारी------

09.04.2015/1135/sls-ag-1

प्रश्न संख्या... 2090 : जारी

माननीय खाद्य, नागरिक आपूति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ...जारी

पूरे प्रदेश में जितने भी रूट्स चले हैं, मैं आपको पूरे प्रदेश की डिटेल्ज भेज दूंगा ताकि आपको पूरी ट्रांसपैरैंसी का पता चल सके कि बसें कहां-कहां चल रही है। इन्होंने दूसरी बात कही कि जो नई सड़कें बनी, वहां पर बसें चले। माननीय अध्यक्ष महोदय, एच.आर.टी.सी. हर सड़क के ऊपर बस नहीं चला सकती। मैं इस सदन में बताना चाहता हूं कि जहां आप कहोगे, एच.आर.टी.सी. हर जगह बस नहीं चला सकती। अध्यक्ष महोदय, औनरेबल हाई कोर्ट ने कमेटी बना दी है। कमेटी ने सब-डिविजन लेवल पर रूट्स आईडैंटिफाई कर दिए हैं और हमने रूट्स पब्लिश भी कर दिए हैं। माननीय सारे विधायक यहां बैठे हैं। ये अपने क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित करें और उन रूटों पर अप्लाई करवाएं; हम रूट देंगे। जहां-जहां आवश्यकता है, आप वहां-वहां प्राईवेट बसें चलवाएं। एच.आर.टी.सी. जहां चला पाएगी, चलाएगी। मैंने माननीय सदस्यों को पत्र लिखा है ,उसके अनुसार जहां-जहां संभव हो सका, किया है। पहले एच.आर.टी.सी. की स्ट्रैंथ लगभग 1800 बसों की थी ,उसे 2000 किया गया, फिर 2200 किया गया और आने वाले समय में यह संख्या 2500 बसों तक चली जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको लगातार नहीं बढ़ाया जा सकता। सीमित साधनों की सीमा में हम जहां-जहां कर पाएंगे, वहां ज़रूर करेंगे। मांग तो हर जगह से बढ़ती ही जाएगी। कई जगह पर ऐसी सड़कें हैं जहां बस नहीं जा सकती। वहां पर हमने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में यह भी कहा है कि वहां हम जीप के लिए परमीशन देंगे। वहां हम गाड़ी अटैच भी कर सकते हैं और गाड़ी आपको दे भी सकते हैं। इस तरह की गई योजनाएं हैं। वह जिस भी स्कीम में आना चाहें, वह उस गाड़ी को चुनें।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इतनी बुद्धि तो हम लोगों में भी है कि रूट पास होता है, उसके लिए कमेटी बनती है। एस.डी.एम. की अध्यक्षता में ज्वांयट इंस्पैक्शन होती है। अगर वह सड़क पास होती है, तभी बस चलेगी। आखिर हम कोई इन दो

09.04.2015/1135/sls-ag-2

कंधों पर कद्दू लेकर नहीं चले हैं कि हम ऐसा रूट रिकोमैंड करेंगे जो पास ही नहीं है। जब रूट पास होता है, तभी आपको रिकोमैंडेशन भेजते हैं और हम उन्हीं बसों की बात कर रहे हैं। यह आपको अधिकार है कि आप अपनी एच.आर.टी.सी. की बस चलाएं, चाहे उस रूट को प्राईवेट को दें। उसके लिए आपने कमेटीज बनाई हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथौरिटी के अंतर्गत आपने कमेटी बनाई हैं, यह उनके अधिकार में है। हम नहीं कह सकते कि इस बस को भेजो या उसको भेजा। जिसको आप रूट देंगे, वह गाड़ी चलाएगा। अभी-अभी आपने जो जवाब दिया, वह तो प्राईवेट का है और आपने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। यह अधिकार क्षेत्र आपका है।

खाद्य, नागरिक आपूति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चाहे कद्दू लेकर चलें या घीया लेकर चलें, यह मेरा काम नहीं है। मेरा काम बस चलाना है और बस का चलना मैं तभी सुनिश्चित करूंगा ,अगर रोड पास हो गई हो। एच.आर.टी.सी. हर जगह बस नहीं चला सकती। मगर रोड छोटी बस के लिए या टैक्सी के लिए या बड़ी बस के लिए पास हुई, यह देखना पड़ेगा। ... (व्यवधान) ... माननीय विधायक जी, उसके बाद मैंने यह आश्वासन दिया है और मैंने चिट्ठियां भी मांगी हुई है। जब आपकी चिट्ठियां आ जाएंगी ,तो देखेंगे। कंडक्टरों की कमी है, स्टॉफ की कमी है और यह मामला कोर्ट के विचाराधीन भी है। जैसे ही स्टॉफ पूरा होगा, उसके बाद जो विधायक महोदयों की प्रायरिटी आएगी, मैं अपने आप बैठकर और अपने स्टॉफ को बिठाकर ,इस पर चर्चा कर जो आपकी प्रायरिटी होगी, वहां एक-एक, दो-दो बसें चलाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जहां तक प्राईवेट का सवाल है, प्राईवेट में जब तक कोई अप्लाई नहीं करेगा तो मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता कि आप रूट लो और चलाओ। हमने रूट पब्लिश कर दिए हैं। जो माननीय उच्च न्यायालय से हमें आदेश हुए, हमने कमेटी बिठाकर ,एस.डी.एम. साहिबान से लेकर रूट पब्लिश कर दिए हैं। अब यह उनके ऊपर निर्भर करता है कि यह उनको प्रॉफिट का बिजनस लगता है या नहीं। इसलिए जैसे-जैसे प्रार्थना-पत्र आएंगे, हम रूट दे देंगे।

09.04.2015/1135/sls-ag-3

श्री बलबीर सिंह वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं ,मेरे चुनाव क्षेत्र चौपाल के नेरवा के लिए यहां से बसें गई थीं। अधिकारियों ने यह रिपोर्ट दी कि यह बसें वहां पर सफल नहीं हैं। उसके बाद ,क्या माननीय मंत्री महोदय, हमारे क्षेत्र में दूसरी बसें भेजेंगे

खाद्य, नागरिक आपूति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी आर.एम. ने अभी तक डिपार्टमैंट को यह रिपोर्ट नहीं दी है। हमारे पास दो तरह की बसें हैं। एक तो छोटी बसें हैं और उनके लिए कहीं भी चलने में दिक्कत नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास 650 छोटी बसें हैं। मैंने यह भी बताया कि हमारे पास स्टॉफ की कमी है और नेरवा में भी स्टॉफ की कमी है। मगर नेरवा हमारी टौप प्रायरिटी के ऊपर है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी आदेश दिए

जैसे ही हमारे पास स्टॉफ उपलब्ध होगा, सबसे पहले हम आपके वहां बस सेवा शुरू करेंगे।

अगले वक्ता.. श्री गर्ग जी के पास

09/04/2015/1140/RG/JT/1

प्रश्न सं. 2090----क्रमागत

श्री वीरेन्द्र कंवर : अध्यक्ष महोदय, ये जो नई बसें प्रदेश में चलाई हैं उनका किराया कम है और अब तो वैसे भी पैट्रोल और डीज़ल के भाव कम हो गए हैं। यदि माननीय मंत्री जी चाहें, तो किराये में 20 से 30 प्रतिशत तक की और कमी लाई जा सकती है। जो नई बस है उसका किराया कम है और साथ ही पुरानी हिमाचल पथ परिवहन निगम की या प्राइवेट बस आती है उसका किराया ज्यादा है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि क्या ये यहां ऐसा आश्वासन देंगे कि उनका किराया भी बराबर किया जाए?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, ये डिसाइड कर लें कि एच.आर.टी.सी. चलानी है या बंद करनी है। जब ये गए थे, तो हमारे सिर में छकड़े डालकर गए थे। अब 1,350 नई बसें आई हैं और जीरो वैल्यू की बसें खत्म हो जाएंगी। हम अच्छी बस सुविधा प्रदेश में दे रहे हैं। कृपा करके लोगों को यह बताएं कि वे अच्छी और बढ़िया सुविधा लें ,आरामदायक और सुरक्षित सफर करें। जहां तक कम किराये का सवाल है, तो जिसको कम किराये की बस में बैठना है वह कम किराये वाली बस में बैठे। हमने दोनों विकल्प जनता को दिए हैं कि यदि कम किराये वाली बस में बैठना है, तो इस गाड़ी में जाओ और अगर ज्यादा पैसे देने हैं, तो थोड़ी देर के पश्चात दूसरी बस में चले जाओ और हम इनको अभी और बढ़ाएंगे। हमने कम किराये की सुविधा दी है और अन्य जगहों पर भी कम किराये वाली बसों की सुविधा देंगे और ऐसी बसें और ज्यादा इसके नंबर बढ़ाएंगे। Let the staff come. We will satisfy you.

श्री वीरेन्द्र कंवर : अध्यक्ष महोदय, जितने प्राइवेट ऑपरेटर्ज हैं प्रदेश में या तो ये उनको खत्म कर रहे हैं या तो उनको वैसे ही खत्म कर दो?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पहले से कह रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो प्राइवेट ऑपरेटर्ज की लॉबिंग कर रहे हैं और जो गरीब आदमी को लाभ जाना है, उसको फायदा नहीं होने दे रहे हैं। प्राइवेट ऑपरेटर्ज को जो लाभ हो रहा है वह अपने पैसे ले रहा है। हमने अधिकतर किराया निर्धारित किया है ,मैं कह रहा हूं कि जो अधिकतर किराया निर्धारित हुआ है उससे नीचे वे भी लेते। वे तो तीस प्रतिशत कम लेते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब प्राइवेट वाले तीस प्रतिशत कम लेते थे और एच.आर.टी.सी. को नुकसान पहुंचाते थे

09/04/2015/1140/RG/JT/2

तब तक कोई नहीं बोला। अब क्योंकि एच.आर.टी.सी. भी उसी सिस्टम से चल रही है , तो प्राइवेट ऑपरेटर्ज को उसकी तकलीफ होने लग पड़ी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, survival of the fittest. Very simple ,हम सर्वाइव करेंगे क्योंकि लोगों की सेवा करेंगे। वे हमसे ज्यादा कम लें ताकि कम्प्टीशन में लोगों को लाभ हो।

श्री वीरेन्द्र कंवर : अध्यक्ष महोदय, क्या ये प्राइवेट ऑपरेटर्ज विदेशी हैं क्या ये प्रदेश के नहीं हैं?

अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र कंवर जी, आप बहस मत कीजिए, प्रश्न आ रहा है। आप प्रश्नकाल में बहस न करें।-----(व्यवधान)----

प्रश्न समाप्त

3/-

09/04/2015/1140/RG/JT/3

प्रश्न सं. 2091

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013-14 में जो 5,000 मैरीटोरियस विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश के आए थे उनको नैट बुक देने के लिए प्रदेश सरकार ने 10,-/23,75,000रुपये खर्चे और उनको नैट बुक मिल गई। लेकिन वर्ष 2014-15 में जो 7,500 विद्यार्थी मैरीटोरियस लिस्ट में आए हैं उनके लिए नैट बुक न तो अभी तक खरीदी गई है और न ही दी गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये नैट बुक इन मैरीटोरियल विद्यार्थियों को कब तक मिल जाएगी?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के 'क' भाग में मैंने विस्तृत जानकारी दी है। इन्होंने पूछा था कि वे कौन-कौन से बच्चे हैं जिनको यह लैपटॉप या अन्य चीजें दी गई हैं। उनकी सूची सभा पटल पर रख दी गई है और मेरे पास भी है और यदि सदस्य महोदय चाहते हैं, तो मैं इनको दे भी सकता हूं। दूसरी बात यह कि जहां तक वर्ष 2013-14 में 5,000 मैरीटोरियस विद्यार्थियों को निशुल्क नैट बुक देने के लिए सरकार द्वारा 5,000 नैट बुक खरीदी गई हैं। इस पर -/20,475रुपये प्रति नैट बुक की दर से -/10,23,75,000रुपये खर्च किए गए हैं----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

09/04/2015/1145/JT/MS/1

प्रश्न संख्या 2091 ःक्रमागत----मुख्य मंत्री जारी-----

जहां तक दूसरी बात है, वर्ष 2013-14 में 5000 मैरीटोरियस विद्यार्थियों को सरकार द्वारा निःशुल्क देने हेतु 5000नैटबुक खरीदी गई हैं। इस पर कुल 10 करोड़ 23 लाख 75 हजार रूपये खर्च किए गए हैं और प्रति नैटबुक मु0-/20,475रूपये खर्च किए गए हैं। वर्ष 2014-15 में 7500 मैरीटोरियस विद्यार्थियों को लैपटॉप देने हेतु अभी तक कोई खर्च नहीं किया गया है, अभी वह प्रोक्योर नहीं हुआ है।

श्री सतपाल सिंह सत्तीः अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि वर्ष 2015 के भी चार महीने बीत गए हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में जो 7500 विद्यार्थी मैरिट सूची में आए हैं, उनको जैसे आपने जानकारी दी है, अभी तक न तो नैटबुक दी गई है और न ही खरीदी गई हैं क्योंकि इसमें टैण्डर करने या अन्य चीजों के लिए काफी समय लगेगा। जो सरकार ने उनसे वायदा किया है, वे विद्यार्थी अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें कब नैटबुक या लैपटॉप दिए जाएंगे। ये नैटबुक्स कब तक उनको दे दी जाएंगी, कब तक खरीद ली जाएंगी? यह छोटी सी जानकारी मैं इसमें चाहता हूं?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, ये लैपटॉप खरीद लिए गए हैं और 15 अप्रैल,2015 से इन्हें बांटना शुरू कर दिया जाएगा।

प्रश्न समाप्त

09/04/2015/1145/JT/MS/2

प्रश्न संख्याः 2092

श्री राम कुमारः अध्यक्ष महोदय, जो बंद हुए रास्तों/सड़कों को पुनः चालू करने हेतु मु0 194.266लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया है, मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हिमाचल प्रदेश की 3243 पंचायतों में इस पैसे का वितरण बराबर रेशो में किया जाएगा? इसके अलावा, इस पैसे का क्या केवल खराब रास्तों के लिए ही उपयोग किया जाएगा या अन्य कार्यों के लिए भी किया जाएगा?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, प्रदेश में पंचायतों द्वारा 29910 रास्तों तथा 7747सड़कों का निर्माण कार्य किया गया है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी ये सड़कें और रास्ते बनते हैं, इनके लिए वन टाईम ग्रांट आती है। इन सड़को की मुरम्मत के लिए कोई भी पैसे का प्रावधान नहीं किया जाता है। जो आपने प्रश्न किया है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिलावार जिलाधीश के पास जो-जो रिपेयर के लिए कहीं मांग आती है ,तो सी0आर0एफ0 और दूसरे चैनल के माध्यम से जो पैसा आता है, जैसे ब्लॉक के माध्यम से आता है, उसकी हम रिपेयर करते हैं। इसी तरह से 606 रास्ते और 389सड़कें बंद हुई थीं। इसलिए जहां-जहां से हमें डिमांड पर पैसे आते रहते हैं, उसकी हम रिपेयर करेंगे। इसके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, जो जवाब मंत्री जी ने दिया है उसके मुताबिक जो प्रदेश में रास्ते और सड़कें बनी थीं और मेरा यह मानना है कि ये वही सड़कें हैं जिनका निर्माण पंचायतों के माध्यम से हुआ है। इस पर मु0 194.266लाख रूपये का मैंटीनैंस के लिए प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, एक तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि रख-रखाव के लिए जो मु0 194.266लाख रूपये रखा गया है, इसके वितरण के लिए जैसा माननीय सदस्य ने भी प्रश्न किया था, यह बहुत कम

09/04/2015/1145/JT/MS/3

राशि है। इसका वितरण कैसे होगा? दूसरे, मेरा यह भी मानना है कि प्रदेश में बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जिनका मंत्री जी ने जवाब भी दिया है कि सड़कें ऐसी बनी हैं जहां ट्रैक्टर, एम्बुलैंस और छोटी जीप जाती है,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

9.4.2015/1150/**जेके/एजी**/1

प्रश्न संख्याः 2092:------जारी----

श्री जय राम ठाकुरः----जारी--------
जहां ट्रेक्टर जाता है, एम्बुलैंस जाती है और छोटी जीप जाती है। गांवों को सड़क की सुविधा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका पंचायतों के माध्यम से पूरी की गई है। ऐसी सड़कें हैं जिनके लिए हमने विधायक निधि से भी पैसा दिया है। लेकिन विधायक निधि में ऐसा

प्रावधान नहीं है एक बार हम सड़क निर्माण के लिए पैसा तो दे सकते हैं लेकिन मैंटिनेंस के लिए हम पैसा नहीं दे सकते हैं। आप इस बात को सुनिश्चित करें कि जो सड़क एक बार बनने के बाद मेन्टेंन न करना तो आप मान कर चलिए कि जो पैसा खर्च किया है वह व्यर्थ चला जाता है। जब सड़क उपयोग में नहीं आती है तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस बात के लिए आप सुनिश्चित करेंगे कि जितनी भी सड़कें इस प्रकार से पंचायतों के माध्यम से बनी हैं, जितने भी रास्ते बने हैं उनके लिए माकूल धन की व्यवस्था आप करेंगे ताकि जो सड़कें बनाई गई है वे लोगों को सुविधा देने की स्थिति में रहें?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं और इसलिए मैंने इनको कहा कि जो भी सड़कें हमारी पंचायतों के अन्दर बनती है, चाहे वे मनरेगा के माध्यम से हो या विधायक निधि से हो या सांसद निधि से हो या डी.सी. फंड से हो, उनके लिए वन टाईम ग्रांट आती है। जैसे कि आप भी जानते हैं कि वन टाईम ग्रांट की वजह से जब ब्लॉक के माध्यम से सड़कें बन जाती हैं उसमें मेंटिनैंस के लिए पैसे का प्रावधान नहीं किया जाता है। जैसे कि आपने कहा कि इसको विस्तृत किया गया है। इसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम जिला मण्डी की बात करते हैं। जिला मण्डी के अन्दर 111 रास्ते बन्द हुए थे और 66 सड़कें बन्द हुई थी। उनके लिए कोई भी पैसा नहीं दिया गया है। यह तो जिले के ऊपर निर्भर करता है। हमीरपुर जिला में 178रास्ते बन्द हुए थे और 23 सड़कें बन्द हुई थी । 28 लाख रूपए का प्रावधान केवल रास्तों के लिए किया गया था और

सड़कों के लिए 14 लाख 78 हजार का प्रावधान किया गया था। यह जिला के ऊपर निर्भर करता है। विभाग से यह पैसा आबंटन नहीं होता है। जैसे कि आप मेंटिनैंस के लिए कह रहे हैं इसलिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और आप भी विभाग के मंत्री रहे हैं, जो मनरेगा के अन्दर सड़कें बनती हैं और दूसरे हैडज़ से भी सड़कें बनती हैं उसको हम मेंटिनैंस के लिए सैल्फ में डाल सकते हैं। उसमें यदि पंचायत खुद सैल्फ डाल दें तो उसकी मेंटिनैंस हो सकती है। इसके लिए हम चाहे हर साल डालें। आप उन सड़कों को मनरेगा के अन्दर सैल्फ डालते रहें और अगली साल बरसात के बाद उसको मेनटेंन करते रहें। इसके माध्यम से ही सड़कें मेनटेंन की जा सकती हैं। दूसरे 14वें

वित्तायोग के माध्यम से भी जो पंचायतों को पैसा आएगा उसका भी हम ध्यान रखेंगे कि पंचायतों को कैसे पैसा आबंटन करना है? उसमें भी हम ध्यान रख सकते हैं कि जो 14वें वित्तायोग का पैसा पंचायतों को आएगा उसको भी हम मेंटिनैंस के लिए प्रयास करेंगे कि उसको मेंटिनैंस के लिए पैसा दें। उसके हिसाब से भी उन सड़कों को मेनटेंन किया जा सकता है जिनमें ट्रेक्टर या दूसरी गाड़ियां जाती हैं उनको भी उन्हीं माध्यम से मेनटेंन कर सकते हैं।

प्रश्न समाप्त।

9.4.2015/1150/जेके/एजी/3

प्रश्न संख्याः 2093

श्री बी.के.चौहानः अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न में एक शब्द के ओमिट हो जाने या ट्रांसमिशन में गलती हो जाने से सारा सवाल ही खत्म हो गया। इसमें था कि चम्बा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की द्रडा पंचायत के अन्तर्गत परिहार से शेरू गांव। शेरू शब्द इसमें नहीं आया है, तक सड़क मैटल करके बसेबल बनाई जाएगी या नहीं? इसमें शेरू गांव तक जो सड़क है वह साढ़े तीन किलोमीटर की डैम साइड से ऊपर तक बस योग्य रोड़ जो चम्बा-पठानकोट रोड़ है उस तक साढ़े 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई है। इस गांव से दो यंग प्रैगनैंट गर्ल्ज की प्रसूति होनी थी और उनको चम्बा ले जा रहे थे। इनको 4 किलोमीटर पालकी में या पीठ में ऊपर तक उठाया गया और ऊपर पहुंच कर प्रसूति रास्ते में ही हो गई और फिर इनकी मृत्यु दो महीने के अन्दर-अन्दर हो गई। लोगों ने यह आग्रह किया कि उस गांव तक क्योंकि वहां पर 400-500 की आबादी है इसलिए इस सड़क को तत्काल एम्बुलैंस चलने के काबिल बनाया जाए। मैंने विधायक निधि से वन विभाग को पैसा दे करके बस योग्य तो यह सड़क बन नहीं सकती थी लेकिन एम्बुलैंस योग्य सड़क बना दी थी।

श्री एस.एस. द्वारा जारी---------

09.04.2015/1155/SS-AG/1

प्रश्न संख्या 2093 ःक्रमागत

श्री बी ःचौहान क्रमागत 0के0

अब दो साल बाद उनकी डिमांड है कि यह सड़क बस एबल-(Bus able) बनाई जाए क्योंकि नीचे चारपांच सौ की आबादी है। यह वह प्रश्न था। यह प्रश्न ही गलत ट्रांसलेट - हो गया। क्या यह सड़क जो साढ़े तीनकिलोमीटर की फॉरैस्ट डिपार्टमैंट ने विधायक निधि से बनाई है इसको जल्दीएबल-जल्दी बस-से- बनाया जायेगा या नहीं?

मुख्य मंत्री ःअध्यक्ष महोदय ,जिस रूप में यह प्रश्न आया है ,पूछा था जो प्रश्न इन्होंने , उसका तो मैंने उत्तर दे दिया है। अब ये कहते हैं कि इसमें गलती लगी है इनका मकसद कुछ और था। जिस सड़क को आप बनाना चाहते हैं आप मुझे इसके बारे में पत्र लिखकर भेजने की कृपा करें हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। ,--(व्यवधान)--

श्री बीःचौहान 0के0 सर पत्राचार में टाइम लगेगा। ,--(व्यवधान)--

मुख्य मंत्रीः आज ही लिखकर दे देना। --(व्यवधान)--

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप इनको लिखकर दीजिए। ,He will take action about it. आप इनको लिखेंगे कि बसयह बात बोल ,एबल बनानी है तो ये उस पर ऐक्शन लेंगे- रहे हैंIYou write him a letter कि इसको बस एबल बनाया जाए।-

प्रश्न समाप्त

09.04.2015/1155/SS-AG/2

प्रश्न संख्या2094 ः

श्री इन्द्र सिंह ःमाननीय अध्यक्ष जीजो सूचना माननीय मंत्री जी ने दी है उसके , खाली हैं। यह वैटरिनरी कॉलेज टीचिंग स्टाफ के पद 29 मुताबिक वैटरिनरी कॉलेज में 29 केवल हिमाचल प्रदेश में एक है। इससे क्या जो ,हमारा प्रीमियर इंस्टीटियूशन हैपद टीचिंग स्टाफ के खाली हैं क्या इससे क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग एडवरसली इफैक्टिड नहीं होती? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर एडवरसली इफैक्टिड होती है तो उसको कैसे कम्पनसेट कर रहे हैं?

कहां और ,कौन से हैं-जो तीन पद आपने डैपुटेशन पर बुलाए हैं वे कौन ,दूसरा कब से हैं? उनकी ऑरिजनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहां है? क्या उस स्टेशन की वर्किंग भी एडवरसली इफैक्टिड नहीं होती?

तीसरावैटरिनरी विभाग में डॉक्टर्ज़ ,माननीय अध्यक्ष जी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है , की क्वालिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए उनकी प्लेसमैंट नहीं की जाती है। सबको एक ही स्थान पर गिना जाता है चाहे वैटरिनरी डिग्री होल्डर हैचाहे पोस्ट ग्रैजुऐट है , को आप 0डी0एच0एक पी है। जब उनकी प्लेसमैंट होती है तो 0डी0एच0या चाहे पी डिस्पैंसरी में डाल देते हैं या वैटरिनरी हॉस्पिटल में डाल देते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशनका हम सही फायदा नहीं उठा सकते हैं। क्या आप कोई ऐसा विचार रखते हैं कि क्वालिफिकेशन के मुताबिक उनकी प्लेसमैंट करते समय उनको उचित स्थान दिया जाए? मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जीजैसा कि इन्होंने कहा कि जहां , पर खाली पद हैं वहां पर पढ़ाई का नुकसान तो होता है। ट्रेनिंग का नुकसान होता है यह इन्होंने सच कहा है।ये तीन पदडैपुटेशन के ऊपर हमने वैटरिनरी ,जो इन्होंने कहा , पद जो अभी तक हमारे पास खाल 29 डिपार्टमैंट से लिये हैं औरी हैं उनमें से को 13 भरने का मामला विचाराधीन है। कौनकौन सी फैकल्टी में हम भरने जा रहे हैं अगर - उसके बारे में आप सूचना चाहें तो मैं बता सकता हूं।Animal Genetics & Breeding - two posts; Livestock Production Management - one post; Livestock Products Technology - one post; Veterinary Anatomy

09.04.2015/1155/SS-AG/3

- one post; Veterinary Parasitology - one post; Veterinary Pathology - one post; Veterinary Pharmacology & Toxicology - one post; Veterinary Biochemistry - one post; Veterinary Medicine - one post; Instructional Livestock Farm Complex (LPM/Animal Breeding/Animal Nutrition) - two post; and Fisheries - one post. The total comes to 13. इनको हम भरने जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल हैल्थ पर काफी डिपैंड करता है कि वे कितना पैसा एफोर्ड कर सकते हैं। इनका प्रोसैस स्टार्ट कर देंगे।

श्री इन्द्र सिंह जारी श्रीमती के0एस0

/1200/09.04.2015केएस/जेटी1/

श्री इन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो इस विभाग में पी.एच.डी. हैं, क्या इनको भी आप वेटरिनरी हॉस्पिटल में भेज रहे हैं? क्योंकि जिन्होंने पी.एच.डी. कर ली है उनको भी एट पार ट्रीट किया जाता है ग्रेजुएट के बराबर ?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वे युनिवर्सिटी में काम करेंगें । उनको क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब दी जाएगी।

श्री इन्द्र सिंहः क्या आप इस बात से आश्वस्त हैं?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः हां, मैं आपको कह रहा हूं।

प्रश्नकाल समाप्त

/1200/09.04.2015केएस/जेटी2/

अध्यक्षः जय राम जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अब प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। अब कोई प्रश्न नहीं होगा । So, please don't make any question.

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि इस माननीय सदन का यह सत्र कल समाप्त हो जाएगा। नियम-62 के तहत इस विषय को उठाने की मेरी मंशा थी लेकिन यह सम्भव नहीं है, क्योंकि कल तक इसका उत्तर नहीं आ पाएगा। मैं अपने क्षेत्र में गया था तो वहां लोग मुझे मिले और सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के माध्यम से जो नमक सप्लाई किया जाता है, उसको हमको दिखाया। तीन-तीन दिन से पानी की कटोरी में वह नमक डाला लेकिन उसके बावजूद

वह नमक नहीं पिघला। हमने खुद भी उसको पानी में डालकर देखा । काफी देर तक कटोरी में नमक डालने के बावजूद जब वह नमक नहीं पिघला तो हमने उंगली से उसको देखा तो पाया कि उसमें रेत के कण थे।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर विषय है और इस संदर्भ में वहां के जो सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के अधिकारी हैं, हमने उनसे भी बातचीत की और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि सचमुच में इस प्रकार की हमको शिकायत मिली है और उसके बाद हमने इस सप्लाई को बन्द कर दिया है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इन्सान कोई भी भोजन करता है, वह नमक के बिना नहीं हो पाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के माध्यम से

/1200/09.04.2015केएस/जेटी3/

जो नमक और राशन की सप्लाई आप दे रहे हैं, उसमें इस प्रकार से हो रहा है तो यह लोगों की सेहत से बहुत बड़ा खिलवाड़ है और यह बहुत ही गम्भीर मामला है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि इस सारे विषय को आप बहुत ही गम्भीरता से लीजिए । समाचारपत्रों में भी खबरें लगी है, दैनिक जागरण में भी लगी है, दूसरे समाचार पत्रों में भी लगी है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे मामले में तुरंत जांच के आदेश दें और जो गलत नमक की सप्लाई की गई है, जिससे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको रोका जाए। इतना मेरा निवेदन है।

Speaker: Hon'ble Minister may take necessary action in this matter.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में मैंने यह कहा था कि इसकी सप्लाई, चाहे यह 2008 और 2012 के बीच में हो चाहे हमारी सरकार के समय हो, आपकी सरकार के समय में तो लगभग 95 परसेंट सैम्पल फेल हुए थे । ----(व्यवधान) ---आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैंने यह कहा कि हमारे समय में भी वैसे ही सैम्पल फेल हो रहे हैं। मैंने इस सदन में भी कहा, आप रिकॉर्ड चैक करवा सकते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूं और इसकी सप्लाई हम बन्द करना चाहते हैं और यह हमने दो-तीन महीने से डिस्कंटिन्यू की है और जब अगला नमक लेंगें, हमने

विभाग को आदेश दिए हैं कि जब तक अच्छी क्वालिटी का नमक नहीं होगा, हम आगे सप्लाई नहीं करेंगें यह मैं आप

/1200/09.04.2015केएस/जेटी/4

सभी को सूचित करना चाहता हूं कि यह डिसिज़न ऑलरेडी लिया जा चुका है। We have informed our Department.

/1200/09.04.2015केएस/जेटी/5

<u>कागजात सभा पटल पर</u>

अध्यक्षः अब मा0 मुख्य मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगें।

मुख्य मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012(2013का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 26 की उपधारा (2) के परन्तुक के अन्तर्गत महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, 2013 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

/1200/09.04.2015केएस/जेटी/6

अध्यक्षः अब मा0 खाद्य, नागरिक आपूति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगें।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, सहायक आचार्य (इंजिनियरिंग), वर्ग-1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःईडीएन(टीई)-ए(3) 2012/29-दिनांक 29.0 3.2014द्वारा

अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.04.2014 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, सहायक आचार्य अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी(भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी) ,वर्ग-1(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःईडीएन(टीई)-ए(3) 2012/3दिनांक 31.0 3.2014द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.04.2014 को प्रकाशित;

(iii) हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, प्रवक्ता, वास्तुकला(बहुतकनीकी) वर्ग-1(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःईडीएन(टीई)ए(3) 2011/5दिनांक 04.04.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.04.2014 को प्रकाशित;

(iv) हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, सहायक निदेशक/प्राधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वर्ग-1(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःईडीएन(टीई)ए(3)-2012/7पार्ट-1 दिनांक 02.04.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.04.2014 को प्रकाशित; और

/1200/09.04.2015केएस/जेटी/7

(v) हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, कर्मशाला अधीक्षक(बहुतकनीकी) , वर्ग-1(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःईडीएन(टीई)ए(3) 2011/4दिनांक 02.04.2014 द्वारा

अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.04.2014 को प्रकाशित ।

[(i) **से** (v) **तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम है ।**]

/1200/09.04.2015केएस/जेटी/8

अध्यक्षः अब मा0 उद्योग मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगें।

उद्योग मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

मुख्य मंत्री जी, अ0व0 की बारी में

9.3.2015/1205/ag/av/1

<u>वक्तव्य</u>

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ वक्तव्य देना चाहेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों इस मान्य सदन में माननीय विधायक श्री रिखी राम कौंडल ने एक तथाकथित हत्या का जिक्र किया था, मैं उसके बारे में एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

जोध सिंह की मृत्यु के सम्बंध में मैंने पहले भी वक्तव्य दिया था कि इस मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात आगामी कार्रवाई की जायेगी।

प्रोविजनल पोस्टमॉर्टर्म रिपोर्ट के अनुसार जोध सिंह की मृत्यु कोई जहरीला पदार्थ खाने के कारण हुई है। इस मामले में फाइनल ऑपिनियन केमिकल ऐग्जामिनर की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात दी जायेगी।

पोस्टमॉर्टर्म के दौरान मृतक की पैंट की जेब से प्राप्त सुसाईड नोट के आधार पर फरवरी माह में हुइ सुभाष चंद की मृत्यु के सम्बंध में दर्ज अभियोग में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों अभियुक्त 10 अप्रैल तक पुलिस रिमाण्ड में हैं।

ए.एस.पी., बिलासपुर की अध्यक्षता में बना विशेष अन्वेषण दल इस मामले की गहनता से अन्वेषण कर रहा है।

9.3.2015/1205/ag/av/2

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सूचना दी है उसके बारे में मैं अपनी छोटी सी बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा।

जैसे आपने वक्तव्य दिया कि उसका पोस्टमॉर्टर्म हुआ और पोस्टमॉर्टर्म की रिपोर्ट में यह आया कि उसकी मृत्यु जहरीला पदार्थ खाने से हुई। जहां उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी वहां से जब उसकी लाश को बरामद किया गया था तो वहां वीडियोग्राफी हुई थी। उस समय पर वहां पर एक भी कागज नहीं मिला था। उसकी पूरी तलाशी ली गई। जब भी किसी डैड बॉडी को उठाया जाता है तो वहां वीडियोग्राफी होती है और पूरी तरह से सर्च की जाती है। उसके बाद उसकी डैड बॉडी को बिलासपुर लाया गया। दूसरे दिन उसका पोस्टमॉर्टम हुआ। पोस्टमॉर्टर्म होने के बाद जब लाश कन्दरौर पहुंच गई तो वहां पर एस.पी. का टेलिफोन जाता है कि लाश को वापिस लाओ क्योंकि उसके कपड़ों में से सुसाईड का कोई कागज निकला है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, वस्तुस्थिति इस प्रकार है। जब वहां पर वीडियोग्राफी हुई है और उस समय वहां पर कोई कागज नहीं मिला तो दूसरे दिन पोस्टमॉर्टम करने के बाद लाश के आधे रास्ते में पहुंचने पर वापिस बुलाई गई। मैं इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाह रहा हूं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप इन तथ्यों की गहराई से छानबीन कीजिए। निर्दोष व्यक्तियों को सजा न मिले, दोषी व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। सुसाईड नोट पर नाम लिखा होना चाहिए था। उसकी जेब से सुसाईड नोट दूसरे दिन निकलता है। जब मेरी बात एस.पी., बिलासपुर से हुई तो यह तर्क दिया गया कि जब उसकी डैथ हुई तो उससे लैट्रिन हुई थी। जहां लैट्रिन लगी थी उस जेब को चैक नहीं किया गया था। वहां पर हमारे लोगों ने वीडियोग्राफी की है। पुलिस के लोगों के हाथ में गल्ब्ज चढ़े थे। यह सारी-

की-सारी बनावटी बात है। इसकी गहराई से छानबीन कीजिए। मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति का दोष है उसको सजा मिलनी चाहिए।

9.3.2015/1205/ag/av/3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे लिखित रूप में जो तथ्य दिए गए हैं मैंने उनको अपने बयान के रूप में यहां सदन में बताया है। मैंने आपको कहा था कि मैं इस बारे में जानकारी प्राप्त करके आपको सूचित करुंगा। यह पुलिस का फर्ज रहेगा कि सारे मामले की अच्छी तरह से छानबीन करे और केस की सच्चाई में पहुंचने की कोशिश करें।

समाप्त

9.3.2015/1205/ag/av/4

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों पर विचार विमर्श एवं पारण

अध्यक्ष : कल दिनांक 8.4.2015 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10) पर विचार करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिस पर मान्य सदन की सहमति के उपरांत आज दिनांक 9.4.2015 को चर्चा करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्य मंत्री : श्री बी जे द्वारा जारी

09.04.2015/1210/negi/jt/1

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ..

अध्यक्ष: प्रस्ताव तो आपने कल प्रस्तुत कर दिया था।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व मैं कुछ कहूं, मैं किन कारणों से यह कानून बनाया जा रहा है उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूं ।

Sir, the present legislation seeks to democratize the Sports bodies and regulate them for the purpose of Registration, Elections, Maintenance of Accounts, Financial Accountability, Rights and Obligations of these Associations for promoting sports and games in the State of Himachal Pradesh from village level upto State level.

At present, there is no regulation for the Sports Associations for meeting these objectives. The Sports Act, 2005 was repealed in the year 2009.

Different Sports and District Level Sports Associations are the main instruments through which sports and games flourish and players get motivation to perform better and better. Only well structured Sports Associations based on the pillars of democratic value and with a sense of accountability can give impetus to sports and produce players of national and international standards. These are the objectives which present legislation seeks to achieve.

This legislation proposes that every Sports Association other than other than Primary Sports Body, shall be required to be registered.

The Registrar of the Societies shall perform the functions of the Registrar for the purpose of this legislation.

09.04.2015/1210/jt-bjn-2

42 Sports Associations as specified in Schedule 'B' as well as their affiliated District Level Sports Association shall have to apply for registration.

Every Sports Association shall frame its Constitution which shall consist of Memorandum and Bye-laws.

Every Association shall have an executive Body which shall be elected in a democratic manner. The election of the Executive Body shall be held at least once in every 4 years.

Provision has been made for an independent election officer, publication of voters' list, minimum 21 days' notice for election, secret ballot etc. for ensuring free and fair elections.

Every registered District Level Sports Association shall be a member of the concerned State Level Sports Association and every Primary Sports Body shall be a member of the concerned District Level Sports Association.

To safeguard the interest of players, rights and obligations have been cast upon the all State and District Level Sports Associations such as maintenance of record, timely conduct of championships, sending players to State and National level tournaments, providing coaching and other facilities etc.

The focus of the present legislation is to establish a system whereby all games and sports get special impetus through various registered Sports Associations who will get a constructive support by this legislation.

09.04.2015/1210/jt-bjn-3

Similar Act is in force in the State of Rajasthan for the last more than 10 years and has succeeded in achieving the desired outcomes.

This legislation covers all Sports Associations in Himachal Pradesh. Presently, 42 Associations have been included in Schedule 'B' which cover nearly all sports like Football, Basketball, Athletics, Hockey, Cricket, Table

Tennis, Tennis, Volleyball, etc. If required, more Associations can be added or deleted from the Schedule.

This legislation covers all aspects which are necessary for regulation of Sports Associations to enable them to function in a democratic manner, remain accountable with regard to promotion of all games and sports and prosper in a free and fair environment.

Thank you, Sir.

Concluded.

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

/1215/09.04.2015यूके/एजी/1

अध्यक्षः तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 10) पर विचार किया जाए।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महादेय, ने स्पोर्ट्स बिल 2015 इस सदन में प्रस्तुत किया है और उसके aims & Objective भी उन्होंने अभी बताए हैं कि क्यों यह लाया गया है । इन्होंने बताया कि सारे स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाईजेशन्ज़, फैडरेशन्ज़ तथा एस्सोसिएशन्ज़ को रजिस्टर्ड किया जाएगा। ताकि हिमाचल प्रदेश में खेलों को स्मूथ्ली चलाया जा सके। इस बिल के मुताबिक सरकार चाहती है कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी स्पार्ट्स ऐस्सोसिएशन्ज़ हैं, उनको सरकार के कंट्रोल में लाया जाए। रजिस्ट्रेशन तो उनकी सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 2006 के अन्तर्गत हो, स्पोर्ट्स कौंसिल भी उसी के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो और वह स्पोर्ट्स कौंसिल की सहमति से सरकार एक रजिस्ट्रार ऐप्वाइंट कर दे और वह रजिस्ट्रार उन सारी ऐस्सोसिएशन्ज़ को कंट्रोल करे। मेरा यह मानना है कि जो यह कानून यहां पर लाया जा रहा है, यह ऑलम्पिक स्पिरिट के अगेन्स्ट है। दुनिया में खेल ऑलम्पिज़म की भावना के साथ कंट्रोल किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं। ऑलम्पिक चॉर्टर बना है, आज से नहीं बना है, 1894 से बना है। सारी दुनिया में ऑलम्पिक मूवमैंट के अन्तर्गत ऑलम्पिक्स होते हैं। हर गेम के लिए इन्टरनेश्नल फैडरेशन्ज़ हैं। हर देश में एक

ऑलम्पिक ऐस्सोसिएशन है और हर गेम के लिए अलग नेश्नल फैडरेशन है । लेकिन इस सारे के सारे, जितने भी चाहे देशों में हो, प्रदेशों में हो ,जिला में हो या फिर अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर हों, सबको खलों को जो ऑलम्पिक्ज़ की भावना है, आलम्पिज़म की भावना है, वह कंट्रोल करती है और उस ऑलम्पिक्ज़ की भावना में गवर्नमैंटाईजेशन को कभी भी स्वीकार नहीं किया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी कारण आज तक राष्ट्रीय स्तर पर खेल विधेयक नहीं लाया गया । एक बार स्पोट्र्स बिल लाया था, तत्कालीन खेल मंत्री श्री अजय माकन जी स्पोट्र्ज़ बिल लाकर कंट्रोल करना चाहते थे । कॉमनवैल्थ गेम्ज़ में जिस प्रकार से बड़े भारी घोटाले हुए थे, उस समय स्पोट्र्ज़ बिल को लाने के बारे में सोचा गया था लेकिन बाद में वह बिल नहीं लाया जा सका । क्योंकि इन्टरनेश्नल ऑलम्पिक कमेटी किसी भी गवर्नमैंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाईजेशन को स्वीकार नहीं करता और उस

/1215/09.04.2015यूके/एजी/2

देश के खिलाड़ी किसी भी इंटरनेश्नल लैवल के मैच में, खेल में भाग लेने के अयोग्य घोषित हो जाते हैं । इसलिए आज तक कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई खेल विधेयक नहीं लाया जा सका ।

एसएलएस द्वारा जारी------

09.04.2015/1220/sls-ag-1

श्री सुरेश भारद्वाज... जारी

और खेल के बारे में कोई कानून हिंदुस्तान में सैंट्रल गवर्नमैंट या पार्लियामैंट बना नहीं सकी। हिंदुस्तान के सारे प्रदेशों में गेम्ज होती हैं। उन सारे प्रदेशों में कहीं पर भी स्पोट्र्स को कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा कोई कानून नहीं लाया गया है, न ही आज तक किसी सरकार द्वारा इस प्रकार से कोई खेल विधेयक लाकर कंट्रोल करने की भावना से कोई कार्रवाई की गई है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान का एक उदाहरण दिया है। पहले जब हिंदुस्तान में सैंट्रल लेवल पर जो इस तरह की बात चली थी तो इंटरनेशन ओलंपिक कमेटी द्वारा हिंदुस्तान ओलंपिक कमेटी को नोटिस दे दिया गया था कि अगर इसमें गवर्नमैंट आर्गनाईजेशन्ज का दखल होता है तो आप इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी खेल में भाग नहीं ले सकेंगे। इसी प्रकार का नोटिस राजस्थान को भी गया है।

जब भी जनरल हाऊस होगा तो राजस्थान के खिलाड़ी भी ओलंपिक्स या जितनी भी गेम्ज हैं, वह इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। जिस प्रकार से सारी दुनिया में यह गवर्न होता है ,ओलंपिक चार्टर में उसका क्लीयर कट मैंशन है। जो Introduction to the Olympic Charter है। मैं उसका रैलेवैंट पोर्शन पढ़ूंगा। The Olympic Charter (OC) is the codification of the Fundamental Principles of Olympism, Rules and Bye-laws adopted by the International Olympic Committee (IOC). It governs the organisation, action and operation of the Olympic Movement and sets forth the conditions for the celebration of the Olympic Games. In essence, the Olympic Charter serves three main purposes:

a) The Olympic Charter, as a basic instrument of a constitutional nature, sets forth and recalls the Fundamental Principles and essential values of Olympism.

b) The Olympic Charter also serves as statutes for the International Olympic Committee.

09.04.2015/1220/sls-ag-2

c) In addition, the Olympic Charter defines the main reciprocal rights and obligations of the three main constituents of the Olympic Movement, namely the International Olympic Committee, the International Federations and the National Olympic Committees.

इसमें जो Fundamental Principles Of Olympism है, उसका भी मैं रैलेवैंट पोर्शन पढ़ूंगा। Recognising that sport occurs within the framework of society, sports organizations within the Olympic Movement shall have the rights and obligations of autonomy, which include freely establishing and controlling

the rules of sport, determining the structure and governance of their organisations, enjoying the right of elections free from any outside influence and the responsibility for ensuring that principles of good governance be applied.

यह बिल, जो ओलंपीज्म की भावना है, जो इंटरनेशनल कमेटी द्वारा अडौप्टिड ओलंपिक चार्टर है, उसकी भावना और प्रिंसिपल्ज को, उसके रिकोग्निशन के फंडामैंटल प्रिंसिपल्ज को ही टोटली वॉयलेट करने वाला है। जिस प्रकार से यह स्पोर्ट्स बिल यहां पर लाया गया है ,इसमें जितने भी प्रोविजन्ज हैं, वह सब के सब इसको गवर्नमैंट आर्गनाईजेशन, गवर्नमैंटलाईजेशन की ओर ले जाते हैं। रजिस्ट्रेशन तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में होगी लेकिन जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन होनी है ,उसके जो बाई लॉज हैं वह वही होंगे जो इस बिल के द्वारा बताए गए हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स आर्गनाईजेशन अपने हिसाब से बाई लॉज नहीं बना सकती .. ,

जारी ..श्री गर्ग जी

09/04/2015/1225/RG/AG/1

श्री सुरेश भारद्वाज-------क्रमागत

नहीं बना सकती, इस बिल के मुताबिक जब ऐक्ट बन जाएगा ,तो इसके मुताबिक ही प्रोवीजन्ज होंगे और उसके मुताबिक ही उनको अपने बाई लॉज बनाने पड़ेंगे। इसमें आप शुरू से कोई भी प्रोविजन ले लीजिए। जैसे सैक्शन-27 में है bye-laws in conformity with the provisions of this Act. Section 27 (1) - An Association undertaking games or sports activities at the State or the District level and is already registered under the Societies Registration Act, 1860 or the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 shall be required to bring its bye-laws in conformity with the provisions of this Act to the satisfaction of the Registrar. जो रजिस्ट्रार कहेगा, जब उसकी संतुष्टि होगी ,जो सरकार चाहेगी वही बाई लॉज़ जो उनकी कनफर्मिटी में होंगे वही ऐसोसियेशन रजिस्टर हो सकती है। This is against the spirit of the Olympic Movement and Olympic Charter which will de-recognise the Sports Association of Himachal Pradesh forever. तो इस

बात का ध्यान रखना चाहिए। यह एक है। बाकी सारे-के-सारे जितने भी प्रोवीजन्ज इसमें लाए हुए, वे सब-के-सब ऐसे ही हैं। फिर सैक्शन-24 में इनक्वायरी है और सैक्शन-16 में आर्बिट्रेशन भी यही करेंगे। इस प्रकार से सारी सरकार इनके डिस्प्युट कंट्रोल कर रही है जबकि इन्टरनेशनल ओलम्पिक चार्टर के मुताबिक Special Commission of Arbitration है। वही जो डिटरमिनेशन करेगी ,वह फाइनल होगा और सारे वर्ल्ड में इसको माना जाता है। दुनिया की प्रत्येक सरकार उस ओलम्पिक चार्टर के अंदर बने हुए Commission of Ethics को और Commission of Arbitration को recognise करती है ,उसको मानती है। दुनिया के किसी भी प्रदेश में कहीं पर भी कोई कानून इस Olympic Movements के अगेन्स्ट नहीं बनाया जा सका है। केवल मात्र आज हिमाचल प्रदेश इस कानून को बनाना चाहता है। वह इन्क्वायरी भी विस्तार करा सकता है और उसमें वे जैसा चाहेंगे, वे करेंगे। जिसको चाहेंगे वे उसको वहां इलैक्ट करवा देंगे। इसके अतिरिक्त ऑडिट के द्वारा अकॉउन्ट्स ,आपने रजिस्ट्रेशन करानी है या सारे प्रोवीजन्ज रखने हैं। जो आपसे पैसा ले जाते हैं उन ऐसोसियेशन्ज को कंट्रोल करने

09/04/2015/1225/RG/AG/2

के लिए जो चाहे, आप करें ,आप उनसे अकॉउन्ट्स मांगें ,लेकिन जो आपसे पैसा भी नही मांगते हैं ,कुछ नहीं करते हैं ,सीधे स्पोर्ट्स ऐक्टीविटीज़ कराते हैं, अगर तो आपको उनको पैसा भी देना पड़ता है, तो उनके अंदर आप यह कंडीशन्ज नहीं लगा सकते कि हम ही ऑडिट करेंगे या हम ही इनक्वायरी करेंगे या जब हम चाहेंगे तब हम इन्सपैक्शन करेंगे। तो ये सारी-की-सारी Governmentalization जो इसमें लाई जा रही हैं यह टोटल गेम्स के ,स्पोर्ट्स के और स्पोर्ट्समैन के हित में नहीं है। यह सारी-की-सारी यहां तक की प्रदेश के अहित में होगी। जो स्पोर्ट्स बिल के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश की इस रजिस्टर्ड सोसायटी से जाएगा वह प्रदेश का कोई भी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर या अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भाग नहीं ले सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की बाक्सिंग फैडरेशन को International Boxing Federation ने de-recognise कर दिया ,हिन्दुस्तान की ओलम्पिक कमेटी को जब यहां झगड़ा चल रहा था ,तो उसको International Olympic Committee ने de-recognise कर दिया था और हिन्दुस्तान का व्यक्ति वहां खेलने नहीं जा सकता था।

इसलिए हम क्यों हिमाचल प्रदेश के युवाओं के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं? जो यहां पर खेलना चाहते हैं, जो अन्तरराष्ट्रीय स्तर तक जाना चाहते हैं उनको हम इस प्रकार के बन्धनों में क्यों बांध रहे हैं? आज ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी है? इतने सालों से आपकी सोसायटी और ऐसोसियेशन्ज चल रही हैं अधिकांश सरकारी लोग ही उसके अध्यक्ष होते हैं ,कहीं अधिकारी होते हैं और कहीं नेता होते हैं। लेकिन इस बिल को लाने की आज क्या आवश्यकता पड़ गई है कि इसमें आपको सारी Governmentalization करनी पड़ रही है।

अध्यक्ष महोदय, जो सेक्शन-17 इस ऐक्ट में है वह इलैक्शन्ज का है। इलैक्शन्ज इनके रजिस्ट्रार के द्वारा Appointed Observer के नाक के नीचे ही होंगे। जैसे इससे पूर्व बहुत सारे गेम्स में झगड़े करते रहे हैं कि सरकार इनकी आ गई है, तो इनका जीता हुआ या हारा हुआ जो व्यक्ति है वह उसका चेयरमैन या प्रैजीडेंट बन जाए। गेम चाहे हो या न हो, उससे इनको कोई मतलब नहीं होता है। तो सरकार की ये सारी-की-सारी acquire इस ऐक्ट में जो की गई है ये सारी-की-सारी Olympic Movement के और हिमाचल प्रदेश के खेल के हितों के विरोध में की जा रही है। मैं

09/04/2015/1225/RG/AG/3

समझता हूं कि इस बिल को विदड्रॉ किया जाना चाहिए। बल्कि यह बिल तो आना ही नहीं चाहिए था। वास्तव में इसकी आवश्यकता ही नहीं थी।

एम.एस. द्वारा जारी

09/04/2015/1230/MS/AG/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी-------
वास्तव में इस बिल की आवश्यकता ही नहीं थी। जिस चीज के लिए यह बिल इनडायरैक्टली लाया भी गया होगा, शायद वे इसके प्रोविजन में आए ही न। क्योंकि लोग खेल कई अलग तरीके से भी करना चाहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इस प्रकार की सोसाइटी सरकार की फैडरेशन बना दी जाए और उसी के अंतर्गत खेला जाए। यह भी जरूरी नहीं है कि जो सरकार चाहेगी, जो सरकार का अफसर चाहेगा या जो

सरकार का नेता चाहेगा,वही खेल खेलें जाएं और उसी प्रकार के काम किए जाएं? अभी इसी ऑलम्पिक चार्टर में ही ऑटोनोमी का सवाल है recognition by the IOC. इसका भी रैलेवेंट प्रोविजन अभी मैं केवल एक ही पढ़ रहा हूं। यह बहुत डिटेल में है। The IOC may grant formal recognition to the constituents of the Olympic Movement. The IOC may recognize non-governmental organizations connected with sport, operating on an international level, the statutes and activities of which are in conformity with the Olympic Charter. खेलों में ऑलम्पिक चार्टर के साथ कन्फरमिटी में जो स्टेच्यूट्स कन्स्टीच्यूशन बाई लॉज होंगे, वे रिकॉग्नाइज्ड होंगे न कि वे रिकॉग्नाइज्ड होंगे जो हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा एप्वायंट रजिस्ट्रार की कन्फरमिटी के हिसाब से होंगे। इसलिए इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि हम इस कानून को लाकर हिमाचल प्रदेश का आज क्या हित करने वाले हैं। इस ऐक्ट के द्वारा सिर्फ गवर्नमैंटलाइजेशन हो रही है, nothing else. इसमें सारी-की-सारी चीजें जो संगठन आएंगे, उनके मुताबिक इलैक्शन होगा। उनका एकाउंट्स उनके मुताबिक बनेगा। ऑडिट उनके हिसाब से होगा। उसमें इन्सपैक्शन सरकार के हिसाब से होगी और उसमें इनक्वायरी सरकार करेगी। सबकुछ सरकार करेगी तो ये सारे-के-सारे जो हिमाचल प्रदेश के नौजवान हैं, खेलों में यहां से तो नहीं गए लेकिन जिन खेलों में यहां से लोग ऊपर तक पहुंचे हैं ,जिनमें हम आज नाम कमा रहे हैं और जिसका हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उसकी भावना के अंगेस्ट हम काम कर रहे हैं।

09/04/2015/1230/MS/AG/2

विजय कुमार जैसे लोग यहां से बहुत ऊपर तक गए हैं लेकिन वे हिमाचल प्रदेश से नहीं गए बल्कि सर्विसिज से गए। इसलिए हिमाचल प्रदेश में खेल की भावना को बढ़ाने की आवश्यकता है। यह बात होनी चाहिए थी कि प्रदेश में हम स्टेडियम बनाएं और स्कूलों में स्पोर्ट्स के लिए खेल मैदान बनाएं। स्कूलों में जो खेल टूर्नामैंट होते हैं उनके लिए पैसा तक नहीं होता है। गांवों इत्यादि से पैसा इकट्ठा करके प्राइमरी स्कूलों में टूर्नामैंट्स करवाए जाते हैं। स्कूलों/कॉलेजों में स्पोर्ट्स का कोई कोच, टीचर या लैक्चरर नहीं होता है। हमें इस बात के लिए प्रयत्न करना चाहिए लेकिन हम सारा-का-सारा ध्यान स्पोर्ट्स बिल लाने के लिए कर रहे हैं। इसके लिए राजस्थान हमारा आइडियल हो गया है। बाकी सारे हिन्दुस्तान में कहीं पर नहीं है, उसको नहीं देख रहे हैं लेकिन राजस्थान में ऐसा हो रहा है। राजस्थान में भी क्रिकेट एसोसिएशन ने एक प्रैजीडेंट को बनाया था

और उसको हटाना पड़ा। तब तक उसकी रिकॉग्नीशन ऑल इंडिया लैवल पर बी0सी0सी0आई0 के द्वारा नहीं हुई। ललित मोदी को हटाकर ही रिकॉग्नीशन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की हो पाई। इसलिए अगर हम इस प्रदेश के खेल हित में काम करना चाहते हैं तो हमें इस बिल को विड्रो कर देना चाहिए अन्यथा यदि सरकार इसको विड्रो नहीं करना चाहती है तो इसको सलैक्ट कमेटी को भेज देना चाहिए। Let it be discussed there. वहां डिस्कस करने के बाद तय किया जाए कि क्या यह बिल आना चाहिए या नहीं। यदि आना चाहिए तो किस रूप में आना चाहिए। सब वहां डिस्कस कर लेंगे। हम इस बिल को जल्दबाजी में ला रहे हैं। इसको केबिनेट में रातों-रात पास करते हैं और दूसरे दिन इसके रूल रिलैक्स करके बुलेटिन आ जाता है, रिवाइज्ड लिस्ट में आ जाता है और फिर उसके बाद यहां चर्चा के लिए आ जाता है। हमें इसकी इतनी जल्दी क्या है? 65 वर्षों में आज तक कोई स्पोर्ट्स बिल नहीं हुआ और आज तक भी यहां पर खेलें हो रही हैं। इसलिए इस पर अच्छी तरह से चर्चा कर ली जाए। चर्चा करने के बाद इसमें अच्छे सुझाव भी आ सकते हैं। कुछेक ठीक चीजें आएंगी तोर बिल ठीक प्रकार से बनेगा। उसके बाद बिल को लाएं तो हमें कोई हर्ज़ नहीं है।

09/04/2015/1230/MS/AG/3

इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं। यह बिल यहां पास नहीं होना चाहिए। यह हिमाचल प्रदेश के हितों के खिलाफ है।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश खेल संगमों का रजिस्ट्रीकरण ,मान्यता और विनियमन विधेयक 2015 यहां पर 7तारीख को प्रस्तुत किया गया है। सरकार ने पिछले कल इसको पास करने की बहुत कोशिश की लेकिन पिछले कल एक दिन की और चर्चा के लिए आपने माना और आज इसे यहां पर चर्चा और पारण के लिए रखा गया है। अध्यक्ष जी, आगे चलने से पहले,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

9.4.2015/1235/जेके/एजी/1

श्री रविन्द्र सिंहः--------जारी---------

अध्यक्ष महोदय, इसमें आगे चलने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की मंशा इसमें ठीक नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय आपकी इसमें भावना ठीक हो सकती है

लेकिन आपकी मंशा ठीक नहीं लग रही है। जो आपने शुरूआत की वहीं से पता लगता है कि आपने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जो 42खेल संगम हैं, उनमें जिसे कहते हैं, गिद्ध दृष्टि कइयों की बीच में हो सकती है। उनको कब्ज़ा करने के लिए जो आप ये विधेयक लाए हैं यह प्रदेश के हित में नहीं है इसलिए मैं इसका पुरज़ोर विरोध करता हूं। जैसे कि आपने कहा कि यह उद्देश्य और कारणों का कथन। इसका ध्येय हिमाचल प्रदेश राज्य में खेल संगमों के रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन का उपलब्ध करने और खेल संगमों के क्रियाकलापों और कार्यकलापों को सुकर बनाने और विनियमित करने हेतु उपलब्ध करवाना भी है। इस विधान के अधीन राज्य में खेल संगमों और विभिन्न राजस्व जिला इकाईयों की मान्यता उनके क्रियाकलापों व निर्वाचन के विनियमन हेतु उपबन्ध किए जा रहे और साथ ही इस विधि का व्यापक उद्देश्य का लोकतंत्रिकरण करना भी है। सरकार जिस पर कब्ज़ा कर रही है क्या उसका आप लोकतंत्रिकरण कर रहे हैं? मुख्य मंत्री महोदय, आपको इसमें चलने से पहले, इसके बारे में सोचने से पहले, ऐसा विधेयक लाने से पहले जो आपका इन्दिरा गांधी खेल परिसर, शिमला में है,उसकी स्थिति वर्तमान में क्या है, उसके ऊपर आप ज़रा दृष्टि डालते और फिर यह काम आगे शुरू करते फिर आपको मानते कि आपने निश्चित तौर पर हिमाचल में इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। ये खेल हमारे ग्रामीण स्तर तक पहुंचे उसके लिए अगर आप प्रयास करते तो वह सही था। श्री सुरेश भारद्वाज जी ने यहां पर बिल्कुल सही कहा कि आपका पहला अध्याय प्रारम्भिक उसमें आपने क्रम संख्या 2 के क-भाग में तदर्थ कार्य समिति से ऐसा कार्यकारी निकाय अभिप्रेत है जिसे रजिस्ट्रार द्वारा किसी खेल संगम के कार्यकलापों का प्रबन्ध इस अधिनियम की धारा 25 और 27 के अधीन अस्थायी रूप से न्यस्त किया गया हो। यह आपने यहां पर

9.4.2015/1235/जेके/एजी/2

दर्शाया है कि आप इन दोनों धाराओं के अन्तर्गत इन 42 खेल संगमों के ऊपर आप कब्जा करने की कोशिश इसके माध्यम से करेंगे। इससे आप खेलों को बढ़ावा नहीं देंगे और न ही इससे खिलाड़ियों को कोई प्रोत्साहन मिलेगा। जैसा कि आपने कहा है मैं उसके ऊपर आऊंगा इसमें क्रम संख्या 2 ही चला है इसके न-भाग में कहा गया है कि रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रार के कृत्यों का पालन करने के लिए हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 की धारा 3 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग

करते समय रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति होगा। यानि कि जो सारे का सारा कार्यक्रम आप करेंगे वह रजिस्ट्रार के अधीन होगा। जो व्यक्ति वह चुनकर वहां पर भेजेंगे किसी भी खेल संगम का चुनाव करना है और अन्य गतिविधि पर नज़र रखनी है वह सारे का सारा काम रजिस्ट्रार करेगा। यह जो आप कर रहे हैं यह तो सारे का सारा सरकार का प्रभुत्व इन खेल संगमों पर होगा यह उचित नहीं है। आपने इसी के आगे य-भाग में कहा है कि चयन समिति से खिलाड़ियों के चयन के लिए राज्य स्तरीय खेल संगम द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब हमारा धर्मशाला में शीतकालीन सत्र लगा था। मैंने वहां से विषय उठाना शुरू कर दिया । अभी तक तो आपका नियंत्रण नहीं है। लेकिन एक खिलाड़ी पूजा नाम की ऊना जिले की लड़की जिसने प्रदेश स्तर पर कबड्डी की टीम में वहां पर अपनी हाज़री लगाई है लेकिन उसको वहां से निकाल दिया। निकालने वाले को आप जानते है जिसका जिक्र यहां पर सुरेश भारद्वाज जी कर रहे थे। ऐसे लोगों को वहां पर बिठाने की कोशिश की गई है जिनका खेलों से कोई लेना-देना नहीं है। केवलमात्र खेलों और खिलाड़ियों को तंग करने के सिवाय कुछ नहीं है। उसके स्थान पर ऊषा नाम की लड़की का चयन किया गया है जिसने प्रदेश स्तर से और स्कूल स्तर से कोई मैच खेला तक नहीं है। उन्होंने पूजा नाम की लड़की को निकाल दिया और ऊषा नाम की लड़की को रख लिया। जैसे कि यहां पर मुकेश अग्निहोत्री, संसदीय कार्य मंत्री जी को पता है। जब भी आप ऐसा विधेयक ले कर आएंगे तो ऐसे खिलाड़ियों के ऊपर क्या आपकी भावना वर्तमान में क्या है और जब यह विधेयक

बन जाएगा और पास भी आप करवा देंगे। बहुसंख्या आपके पास है। आप कर सकते हैं। प्रतिभावान जो हमारे खिलाड़ी हैं वे बेचारे क्या करें? यहां पर सही कहा कि विजय कुमार जैसे नौज़वान साथी और ऐसी हमारी कई प्रतीभाएं छिपी है जो आगे बढ़ने की कोशिश में है लेकिन जब ऐसे-ऐसे लोग खेल संगमों में विराजमान हो जाएंगे उसका खिलाड़ियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वह देखने की आवश्यकता है? आपने इसमें कार्रवाई कुछ भी नहीं की। वह एक शैड्यूल ट्राईब लड़की है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-------

श्री रविन्द्र सिंह क्रमागतः

जिसने पूरे प्रदेश स्तर पर वहां खेला, वहां से चयन हुई, उसकी घोषणा वहां पर कर दी गई लेकिन आपने उसके प्रति कोई संवेदना नहीं दिखाई। बाद में आपकी ओर से स्टेटमैंट आ गई कि वह लड़की क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। हालांकि जो वहां पर नहीं खेली उसको आपने शामिल कर दिया।

इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय ,इन्होंने यहां पर अध्याय-4 में विवादों का निपटारा लिखा है जिसका ज़िक्र भारद्वाज जी भी कर रहे थे। आप देखेंगे इसमें लिखा है - "यदि किसी खेल संगम के गठन, प्रबंध क्रियाकलाप, निर्वाचन या सम्बद्धता के दावे से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसका निपटारा सुलह या माध्यस्थम् के माध्यम से किया जायेगा।" आपने आगे इसी में कहा है - "विधि परामर्शी-एवं-प्रधान सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार उपधारा-(1) के अधीन माध्यस्थम् कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए एकमात्र मध्यस्थ होंगे।" यानी कि जो आपके प्रिंसीपल सैक्रेटरी (लॉ) कर देंगे that is final. उसके बाद कोई अपील-दलील नहीं होगी। आपने तो वैसे ही पूरा-का-पूरा नियंत्रण सरकार का कर दिया है। कोई झगड़ा-फसाद होगा तो पहले रजिस्ट्रार के पास, वहां नहीं होगा तो उसके बाद आपके प्रिंसीपल सैक्रेटरी (लॉ) जो फैसला कर देंगे वह सभी को मान्य होगा। मुख्य मंत्री जी, जो आप कर रहे हैं यह कहां तक खेलों को बढ़ावा देने के लिए है? जो मैंने शुरू में कहा, आपने कहा कि हम लोकतंत्रीय प्रणाली लागू करेंगे। वह लोकतंत्रीय प्रणाली इसमें कहां दिखाई दे रही है? इसलिए जो बिल आप लेकर आए हैं यह जल्दबाजी में किया गया फैसला है। जैसे 6 तारीख को आपने इसे एजेण्डे में शामिल किया, पहले वह नहीं था। 7तारीख को आपने प्रस्तुत कर दिया और दूसरे दिन पास कराने की प्रक्रिया जारी कर दी। आप जल्दबाजी में क्यों हैं? अभी डेढ़-दो साल आपके बाकी हैं। यहां पर भारद्वाज जी ने सही कहा -- (व्यवधान)-- भूल जाईये। उसके लिए तो भूल जाईये। अब कांग्रेस मुक्त भारत चल पड़ा है। इस विषय में न कहें तो अच्छी बात है। मैंने तो नाम लिया नहीं, मुख्य मंत्री महोदय, किस तरफ चल पड़े। कोई ऐसी बात नहीं है अब कांग्रेस मुक्त भारत की शुरूआत हो गई है। लेकिन इसके माध्यम से जो आपने कहा है कि सारे-का-सारा आयोजन की जिम्मेदारियां आपने अधिकारियों को ही दे दी हैं और अधिकारियों के पास

कितना समय इन खेल संगमों को सशक्त करने के लिए है वह आप भलीभांति जानते हैं। इन्होंने केवलमात्र जाना

09.04.2015/1240/SS-JT/2

है, अपना आदेश देना है और वापिस आ जाना है। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं है। आप देखेंगे कि जो चुनिंदा हमारे खेल हैं उनमें हमारे खिलाड़ियों ने बड़ा नाम रोशन किया है। वे या तो प्रदेश के बाहर चले गए या कोई अच्छे संगठन यहां पर काम कर रहे हैं। वहां से निकल कर उन्होंने हिमाचल प्रदेश की छाप अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर छोड़ी है लेकिन जिनका कंट्रोल ऐसे लोगों के पास है या ऐसे सरकारी क्षेत्र के अधीन है वहां पर हम आगे बढ़ नहीं पाए। ये आपको सोचना चाहिए और मेरी व्यक्तिगत तौर पर मांग यह है कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाए। वैसे तो आपको हिमाचल के हित में इसे विदड्रा कर लेना चाहिए। हिमाचल में खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए आप इसको वापिस लें और अगर वापिस नहीं लेना तो कम-से-कम प्रवर समिति को भेजा जाए। यहां पर सिलैक्ट कमेटी का गठन करिये और बिल को उसे भेजें। रिपोर्ट जो उनकी आयेगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई करें। जैसे आपने नगर-नियोजन बिल भेजा था, लगातार यहां पर डेढ़-दो साल प्रयास होता रहा, पिछले कल आपने उसको पारित किया ही है। हमने उसका कोई विरोध नहीं किया। उसी ढंग से इसमें भी उस प्रक्रिया को अमल में लाना चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश में जो खिलाड़ियों के अंदर भावना है वह बनी रहे। उसके अन्तर्गत हमारी खेल भावना बनी रहे और खिलाड़ियों का मान-सम्मान इस प्रदेश में हो।

साथ ही आगे एक और कहा है जिसका ज़िक्र यहां पर किया था। अभिलेख मंगाने और निरीक्षण करने की शक्ति - "रजिस्ट्रार या हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित जांच के लिए किसी खेल संगम का कोई भी अभिलेख मंगा सकेगा।" यानी जब चाहे किसी को तंग करना होगा, कोई छोटी-मोटी शिकायत आ गई तो आपने जो करना है वह कर लें। जो सरकार का आदेश जायेगा, वह उससे बाहर टस-से-मस होगा नहीं। आपने पीछे करने की कोशिश भी की है। रात को डेढ या ढाई बजे वहां पर ताले तोड़कर कब्जा करने की कोशिश की है और वहां पर जो पाया गया वह आपके सामने है मैं उसके इतिहास में नहीं जाऊंगा। लेकिन ये जो आप करने जा रहे हैं ठीक नहीं है। जहां पर पहले खेल संगमों के पूरे लेखे चार्टर्ड एकाऊंटेंट के

माध्यम से जांचे जाते हैं वहां पर आप ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसके साथ ही आगे अध्याय-6 में असंबद्धता, जांच और निरर्हता के बारे में लिखा है। इसमें लिखा है कि राज्य स्तरीय खेल संगम, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, किसी भी ऐसे जिला स्तरीय खेल संगम को असम्बद्ध कर सकेगा, जिसने इस अधिनियम के अध्याय-8 में अधिकथित

09.04.2015/1240/SS-JT/3

किसी भी बाध्यता को लगातार दो वर्ष तक पूरा नहीं किया हो और रजिस्ट्रार को सूचित करेगा, जो तत्पश्चात् धारा-25 के अधीन समुचित कार्रवाई कर सकेगा। यानी कि सारी की सारी पावर आपने रजिस्ट्रार को दे दी। जो उन्होंने निर्णय कर दिया that is final. उसके बाद कोई अपील-दलील नहीं होगी। जो होगी तो छोटी-मोटी होगी। जो सैक्रेटरी (लॉ) फाइनल कर देंगे उसके ऊपर कोई आगे आप सुनवाई नहीं करेंगे।

जारी श्रीमती के0एस0

/1245/09.04.2015केएस/एजी/1

श्री रविन्द्र सिंह जारी----

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, हमारा आपसे निवेदन है कि इस विधेयक को, जो आपने यहां पर जल्दबाज़ी में लाया है, आपकी मंशा इसमें ठीक नहीं है, इससे हिमाचल प्रदेश में खेलों को या खिलाड़ियों को कोई बड़ा योगदान नहीं मिलेगा, बढ़ावा नहीं मिलेगा इसलिए इस विधेयक को वापिस लें और अगर वापिस नहीं लेना चाहते तो हमारे विरोध के मध्यनज़र इसको प्रवर समिति को सौंपा जाए और जो प्रवर समिति की रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर आगे जो कार्रवाई करनी होगी, उसके अनुसार कार्रवाई करें। इसके अतिरिक्त इसके बारे में जो यहां पर कहा है, सही कहा है कि भारतीय ओलम्पिक संघ के चार्टर के अनुसार भी सरकार का हस्तक्षेप कहीं स्वीकार्य नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि सरकार के हस्तक्षेप से कोई भी खेल भावना का भविष्य अच्छा नहीं रहता इसलिए इसको वापिस लेते हुए जैसे प्रदेश के सारे खेल संघ काम कर रहे हैं, उनको काम करने दिया जाए और अगर इससे भी आप सहमत नहीं है तो इसको प्रवर समिति को भेजा जाए। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

/1245/09.04.2015केएस/एजी/2

अध्यक्षः अब मा0 उपाध्यक्ष, श्री जगत सिंह नेगी जी भी इस बारे में कुछ कहना चाहेंगें।

उपाध्यक्षः अध्यक्ष महोदय, स्पोर्ट्स बिल, 2015 पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत लम्बे अरसे से यह महसूस किया जा रहा था कि जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन्ज़ हैं, इनकी जो कार्यशैली है, उसको किस तरह से पारदर्शी किया जाए और इसमें जो कमियां हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए।यह जो बिल आया है, उसका मैं स्वागत करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बिल को लाने के लिए बधाई भी देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ जुड़ने का एक लम्बा तुजुर्बा है। 1979 से मैं खेल संघों के साथ जुड़ा हूं। मुझे हिमाचल प्रदेश राज्य फुटबाल संघ के अध्यक्ष के रूप में काम करने का भी तुजुर्बा है और मौका भी मिला है और ओलम्पिक एसोसिएशन्ज़ के साथ रहने का भी मौका मिला है। अभी मुझसे पूर्व वक्ता श्री रविन्द्र सिंह जी ओलम्पिक चार्टर की बात कर रहे थे, ओलम्पिक स्पिरिट की बात कर रहे थे। अगर उन्होंने सही ढंग से ओलम्पिक चार्टर को पढ़ा हो तो उसमें यही कहा गया है कि खेल संघों के अंदर डैमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए । उसके फंडज़ का ठीक ढंग से युटिलाइजेशन होना चाहिए, उसके इलैक्शन लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए तो इस बिल में भी इसी मंशा को आगे बढ़ाने की बात

/1245/09.04.2015केएस/एजी/3

है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज खेल संघ के ऊपर चंद लोगों ने कब्जा कर रखा है। लगातार 20-20 सालों से बिना इलैक्शन के या जो इलैक्शन होता भी है तो भी एक स्टेज मैनेज इलैक्शन होता है और ये कब्जा जमाए बैठे हैं। अब इसका इसलिए विरोध किया जा रहा है कि इस बिल के अंदर यह कहा गया है कि चार सालों के अंदर इलैक्शन होंगें और इलैक्शन भी अनिवार्य रूप से होंगें इससे यह होगा कि कम से कम खेल संघों के अंदर जो चंद लोग बैठे हुए हैं, उनसे हमें छुटकारा मिलेगा और जो इस बिल का मकसद खेल एसोसिएशनों को आगे बढ़ाना है, वह पूरा होगा।

अध्यक्ष महोदय, अभी यहां पर कब्जा जमाने की बात हो रही थी। मैं इस बारे में भी बताना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद इसका भुगतभोगी हूं। हमने 1979 में किन्नौर जैसे जनजातीय क्षेत्र में ओलम्पिक एसोसिएशन को शुरू किया। 36 साल पहले क्रिकेट एसोसिएशन को शुरू किया। हमें सरकार से कोई ग्रांट नहीं मिलती थी। हमने चंदा इकट्ठा करके और अपनी जेब से पैसा देकर किन्नौर जैसे इलाके से क्रिकेट के लिए ऊना तक हम लगातार टीम कई सालों तक भेजते रहे। इसको हमने जो उस समय का एक्ट था, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन भी करवाया परन्तु एकाएक वर्ष 2006-07 में रातोंरात जिला के अंदर एक एसोसिएशन खड़ी कर दी गई । जो लोग क्रिकेट के साथ सम्बन्ध नहीं रखते थे, वे क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी बन गए और स्टेट एसोसिएशन ने रातोंरात

/1245/09.04.2015केएस/एजी/4

हमें बाहर करके उस तथाकथित एसोसिएशन को मान्यता प्रदान कर दी। उसके बाद क्या हो रहा है?

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

9.3.2015/1250/jt/av/1

उपाध्यक्ष : क्रमागत

और उसके बाद क्या हो रहा है? किन्नौर जिले से क्रिकेट के लिए जो खिलाड़ी जाने चाहिए थे वे नहीं जाते बल्कि जो किन्नौर के अंदर रहते नहीं या किन्नौर के अंदर कभी खेलते नहीं उनको भेजा जा रहा है। इसी तरह से बिलासपुर में जो ओलम्पिक ऐसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश के इलैक्शन हुए थे उसमें क्या हुआ,उसमें किस तरह से कब्जा करने का प्रयत्न किया गया? मैं मान्य सदन का ध्यान उस तरफ भी दिलाना चाहता हूं। उस हिमाचल प्रदेश ओलम्पिक ऐसोसिएशन के इलैक्शन में मुझे प्रीजाईडिंग ऑफिसर रखा गया था। उस समय वहां पर गुंडागर्दी की गई और मेरे से रजिस्टर छीन कर ले जाया गया। वहां पुलिस स्टेशन नज़दीक था। हमने वहां जाकर एफ.आई.आर.लॉज की। मगर उस समय की सरकार ने क्या किया? पहले तो हमें तीन घंटे तक वहां पर बिठा कर रखा। हमारी एफ.आई.आर. को दर्ज नहीं किया गया। जब हमने वहां पर धरना दिया तब जाकर पता चला कि पहले तो वहां पर हमारे खिलाफ

एक एफ.आई.आर. दर्ज की गई फिर उसके बाद हमें एक क्रॉस एफ.आई.आर. लगाई गई। मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर उस समय माननीय सांसद अनुराग ठाकुर जी थे। वे मेरे हाथ से रजिस्टर को छीन कर ले गये। मैंने उसके बारे में भी एफ.आई.आर. में दर्ज करवाया था परंतु पिछली सरकार के समय में उस एफ.आई.आर. के ऊपर कोई इनवैस्टिगेशन नहीं हुई। (---व्यवधान---) मैं बताना चाहता हूं आप लोग क्या मुझे यह कहने से रोक सकते हैं? एफ.आई.आर. के बाद वह केस केंसिलेशन में भेजा गया। केंसिलेशन में भेजने के बाद आज तक उसका पता नहीं कहां चला गया। इसलिए यह जरुरी है कि जो इलैक्शन्ज में इस प्रकार की गुंडागर्दी हो रही है उस पर नकेल कसने के लिए इस कानून में बहुत अच्छे प्रावधान है। इसमें सबकुछ ओलम्पिक स्पिरिट के तहत ही हो रहा है। इसमें जो बाईलॉज बने हैं उसमें बहुत बढ़िया प्रावधान किया हुआ है कि हर चार साल में इलैक्शन होंगे। स्पोर्ट्स ऐसोसिएशन के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए इसमें बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इसमें कुछ कमियां हैं। इन कमियों को और दूर किया जाए। आपने इसमें स्टेट ऐसोसिएशन की बात की है, डिस्ट्रिक्ट

9.3.2015/1250/jt/av/2

ऐसोसिएशन के इलैक्शन्ज की बात की है। मगर जो प्राइमरी मैम्बर होंगे उनके बारे में इसमें बहुत कमियां हैं। अब आप कहते हैं कि गांव स्तर का होगा या फिर एस.सी. स्तर का होगा जो प्राइमरी बॉडी होगी या फिर आपके सबडिविजन स्तर का होगा। केवल 7 आदमी मिलकर प्राइमरी बॉडी तैयार करेंगे। वे 7 आदमी कौन होंगे, उसके बारे में ऐक्ट में साईलैंट है। उसमें यह लिखा गया है कि जो स्पोर्ट्स ऐसोसिएशन है वह उसके लिए रूल्ज और बाईलॉज बनायेगी। उनकी मर्जी पर छोड़ा गया। अब जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऐसोसिएशन है वह कहेगी कि 7 आदमियों की जो प्राइमरी बॉडी है उसको हम रिकोग्नाईज करेंगे। उसके अंदर जो बाईलॉज होंगे उसके बारे में यह एक साईलैंट है। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लैवल की स्पोर्ट्स ऐसोसिएशन को दोबारा से मनमानी करने का मौका दिया गया है। प्राइमरी बॉडी को रजिस्ट्रेशन से भी बाहर रखा गया है। प्राइमरी बॉडी चाहे वह गांव के अंदर बने। एक गांव में एक 6 प्राइमरी बॉडी तैयार हो जाए तो डिस्ट्रिक्ट बॉडी किसको अपनी बॉडी में लेगी; उसके बारे में भी इसमें साईलैंट है। इसलिए प्राइमरी बॉडी के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होना चाहिए। उसमें कितने मैम्बर्ज होंगे, कैसे इलैक्शन होंगे क्योंकि प्राइमरी बॉडी डिस्ट्रिक्ट ऐसोसिएशन

के इलैक्शन में भाग लेगी। हम जब तक प्राइमरी बॉडी को मजबूत नहीं करेंगे, नियम नहीं बनायेंगे और इस ऐक्ट में उसका ठीक से प्रावधान नहीं करेंगे तो इस ऐक्ट की मंशा को किसी न किसी रूप में नुकसान होने वाला है। यहां बड़ी-बड़ी ऐसोसिएशन्ज हैं। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट ऐसासिएशन है। इनको बी.सी.सी.आई. से करोड़ों रुपये आते हैं। अगर मेरी जानकारी सही है तो बी.सी.सी.आई. प्रत्येक स्टेट बॉडी को हर साल 20 करोड़ रुपये देती है। मगर उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? उसको कहां पर खर्च किया जा रहा है? उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। अब इस ऐक्ट के तहत हर स्टेट बॉडी को यह बताना पड़ेगा कि यह पैसा कहां खर्च किया जा रहा है। यह आर.टी.आई. के अंदर भी आयेगा। अभी हमारी खेल ऐसासिएशन्ज आर.टी.आई. के दायरे में नहीं है। हमें नहीं पता कि उसमें किस किस्म का काम हो रहा है। जब खेल संघ आर.टी.आई. के दायरे में आयेंगे तो जिस तरह से अभी रवि जी कह रहे थे कि

9.3.2015/1250/jt/av/3

एक सलैक्शन कमेटी में गड़बड़ हई है। अगर ये संघ आर.टी.आई. के तहत आयेंगे तो हम पूछ सकते हैं कि सलैक्शन किस आधार पर हुई है। इसलिए इस ऐक्ट को पारित करना बहुत जरुरी है---

जारी बी जे द्वारा

09.04.2015/1255/negi/ag/1

माननीय उपाध्यक्ष महोदय... जारी...

इस ऐक्ट को पारित करना बहुत जरूरी है । यह बिल्कुल ओलम्पिक स्प्रिट के अगेन्स्ट में नही है बल्कि ओलम्पिक स्प्रिट के ही फेवर में है। इसमें स्टेट के जो 42 स्पोट्स एसोसिएशन्ज़ हैं उनको दर्शाया गया है। इसमें स्कूल क्रीडा एसोसिएशन जो हैं या स्टेट लेवल पर स्कूलों के जो स्पोट्स एसोसिएशन्ज़ हैं उनको भी इसके दायरे में लाने की जरूरत है। क्योंकि अगर आज सबसे ज्यादा खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं तो वो हमारे स्कूलों के स्पोट्स एसोसिएशन्ज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोट्स स्कूल एसोसिएशन्ज़ हैं। ये संघ अंडर-14, अंडर-17 व अंडर-19 टूर्नामैन्ट करवाते हैं। ये ग्रास लेवल से टूर्नामैन्ट करवाते हैं। जबकि आज कोई भी स्पोट्स एसोसिएशन ग्रास लेवल पर काम नही कर रहा है। केवल स्कूल स्पोट्र्स एसोसिएशन इस काम को कर रहा है। परन्तु हमें उनकी

फंडिंग करने की जरूरत है। इसमें फंड के बारे में कहा गया है। आज केवल मात्र 75 हजार रूपये स्टेट लेवल के एसोसिएशन को सरकार की तरफ से ग्रांट दिया जा रहा है। इस ग्रांट को बढ़ाने की आवश्यकता है। जो लोकप्रिय खेल है, ये जो 42 स्पोर्ट्स एसोसिएशन हैं इसमें ऐसे खेल भी हैं जिसमें केवल 5 लोग खेलने वाले भी हैं। कोई ब्रिज खेलने वाला है, कोई चैस खेलने वाला है और उनको भी 75 हजार रूपये मिल जाता है । लेकिन फुटबॉल, कब्बडी ,हॉकी जैसे लोकप्रिय खेलों के लिए भी 75 हजार है। खेल के लोकप्रियता के हिसाब से बहुत अच्छा ग्रांट सरकार की तरफ से मिले तभी खेलों को हिमाचल प्रदेश में बढ़ावा मिल सकता है। इसके साथ, मैं यहां पर शैडयूल-(सी) जो इस ऐक्ट में है, उसमें यह भी बताया गया है कि कौन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। उसमें यह कहा गया है कि जिनको खेल के बारे में जानकारी होगी, वही स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी बन सकते हैं। परन्तु फिर दोबारा यह डिफाइन नही करता है कि इसको कौन कहेगा या कौन इसको सैटिस्फाई करेगा कि फ्लॉना व्यक्ति स्पोर्ट्स का ज्ञानी है ,स्पोर्ट्स के बारे में जानता है । तो उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन कॉज लगाना जरूरी है। मेरा यह सुझाव है कि कम से कम जिसने स्कूल लेवल पर कोई खेल खेला हो, उसके पास कोई सर्टिफिकेट हो या कोई

09.04.2015/1255/negi/ag/2

कॉलेज लेवल पर खेला हो या किसी ने कोई ट्रेनिंग कर रखी हो, जैसे पी.टी.आई. की ट्रेनिंग कर रखी हो या स्पोर्ट्स में उसने किसी किस्म की डिग्री हासिल की हो, वही लोग स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी में होने चाहिए। उसी से खेल एसोसिएशनों के माध्यम से खेलों को बढ़ावा मिल सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं । मुझे उम्मीद है कि कुछ कमियां जो प्राइमरी बॉडी के बारे में है उसको रूल्ज़ में आप इनकॉरपोरेट करेंगे और जो थोड़े बहुत इसमें और सख्ती करने की जरूरत है वह भी किया जाना चाहिए ,धन्यवाद।

समाप्त

09.04.2015/1255/negi/ag/3

अध्यक्षः अब श्री रणधीर शर्मा। Kindly be brief. ज़रा संक्षिप्त में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, सरकार, हिमाचल प्रदेश खेल विधेयक, 2015 ले करके आई है । यह किस हालात में ले करके आई उसपर तो कल भी चर्चा हुई । कितनी जल्दबाजी, कितनी हडबडाहट, वह इस बात से साबित होता है कि जो यह विधेयक है उसको लाने के लिए सप्लीमेन्टरी एजेन्डा रखना पड़ा और बिना विपक्ष के विधायकों को ऐक्ट की कॉपियां दिए उसपर चर्चा कराने का प्रयास हुआ। आज इसपर जब चर्चा हुई है, हमारे माननीय सदस्य, श्री सुरेश भारद्वाज़ व श्री रविन्द्र सिंह रवि जी ने विस्तृत रूप से इस बात का जिक्र किया है कि इस तरह के विधेयक की आज आवश्यकता ही नही है। क्योंकि खेलों को हमारे देश में दो संस्थाएं कंट्रौल करती है, इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन और बी.सी.सी.आई.। इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन का चार्टर क्या कहता है, माननीय भारद्वाज़ जी ने विस्तृत रूप से उसकी चर्चा की। उस चार्टर के मुताबिक कोई सरकार कानून बना नही सकती । अगर सरकार के नियन्त्रण में इस तरह के खेल संघ होंगे तो खिलाड़ी ओलम्पिक खेलों में भाग नही ले सकते । एक तरह से इससे खिलाड़ियों का विकास रूक जाएगा, ऐसा माननीय भारद्वाज़ जी ने कहा है। और भी अनेक धाराओं पर भारद्वाज़ जी और रवि जी ने चर्चा की, मैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

/1300/09.04.2015यूके/जेटी1/

श्री रणधीर शर्मा---जारी---

ये जानते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है । ये जो इसमें इन्होंने कारण बताए हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो उद्देश्य यहां पढ़े हैं, मैं यह भी जानता हूं कि यह उद्देश्य इनके नहीं है । इस विधेयक को लाने के पीछे अध्यक्ष महोदय, एक हिडन एजेंडा है और वह हिडन एजेंडा मैं बताता लेकिन मुझे से पहले ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने उसका जिक्र कर दिया । वह हिडन एजेंडे को पूरा करने की कोशिश इस सरकार ने 2005 में भी की थी । यही सरकार, यही मुख्य मंत्री, 2005 में भी ऐसा ही विधेयक ले कर आए थे । उसका उद्देश्य भी, उस का हिडन एजेंडा भी यही था । परन्तु उस विधेयक का क्या हुआ? जो सरकार 2005 में वह विधेयक ले कर आयी, 2007 में उसी सरकार की कैबिनेट ने यह पास कर दिया कि हम उस विधेयक का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सके इसलिए उस विधेयक को वापिस करते हैं । आपने कैबिनेट में 2007 में यह अप्रूव किया । यह ठीक है

उसके बाद चुनाव हो गए और आप सत्ता से बाहर हो गए । वह विधेयक हमारे समय में वापिस हुआ । परन्तु आपने उस समय रियलाईज़ कर लिया था कि यह विधेयक खेलों के विकास का उद्देश्य, खिलाड़ियों के विकास का उद्देश्य तो पूरा कर ही नहीं सकता । परन्तु जो आपका भी हिडन एजेंडा है, जो आप चाहते हैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ पर कब्जा करना, जो आप नहीं पचा पाते, हिमाचल में क्रिकेट के विकास को वह एजेंडा न आप उस समय पूरा कर सके न माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस बार आप पूरा कर सकेंगे ।

मुख्य मंत्रीः क्या आपने हिमाचल क्रिकेट ऐस्सोसिएशन पर कब्जा किया है? अगर कब्जा किया है तो it comes by certain process. ये क्या बात करते हैं ?

श्री रणधीर शर्माः मैं बताता हूं कि आपने किस दिन कब्जा किया । आपने दिन को नहीं आपने तो रात को कब्जा करने के प्रयास किए, आधी-आधी रात को कब्जा करने के प्रयास किए ।

मुख्य मंत्रीः अगर कोई गलत काम हुआ है तो वह जंग जारी रहेगी । गलत काम किया है तो we don't bother who is going to be President, we will fight as per law.

/1300/09.04.2015यूके/जेटी2/

श्री रणधीर शर्माः मुख्य मंत्री महोदय, आप भूल गए अदालत ने उस पर आपको क्या कहा था? क्या टिप्पणी उस वक्त प्रदेश सरकार के बारे में अदालत ने दी थी ?

अध्यक्षः श्री रणधीर जी, एक मिनट । अभी लंच टाईम हो रहा है, मेरा ख्याल है कि इस प्रस्ताव को पास करके लंच कर लें क्योंकि आप ही बोलने वाले रह गये हैं । यदि कंटिन्यू रखेंगे तो आप संक्षेप में बोलिए ।

श्री रणधीर शर्माः माननीय मुख्य मंत्री जी ने बाद में जवाब देना है तो बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं ।

मुख्य मंत्री : आप गलत बात कर रहे हैं ।

श्री रणधीर शर्माः गलत क्या है ? जो है वह है । आप 2005 में बिल लाए, आपने 2007 की कैबिनेट बैठक में उसको वापिस करने का निर्णय ले लिया । मैं तो यही पूछता हूं कि जब 2007 में आपने इसी विधेयक को वापिस लेने का निर्णय लिया था तो 2015 में इसको दोबारा लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई ? क्यों वापिस ला रहे हैं? मैं जानता हूं कि काई मंत्री इसके पक्ष में नहीं है, मैं जानता हूं कि कांग्रेस के विधायक भी इसके पक्ष में नहीं है । किसके कहने पर मुख्य मंत्री महोदय, यह कर रहे हैं ? अब तो बोलोगे । परन्तु आप फाईल पर नोटिंग देखिए ,किसके आग्रह पर किसके नोट पर यह विधेयक आ रहा है ? आज वह विधान सभा का सदस्य भी नहीं है । क्यों ऐसा हो रहा है? उस व्यक्ति के हाथ में ऐसी आपकी क्या कमजोरी है कि उस व्यक्ति के कहने पर गलत काम भी आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं । क्यों आपने उसको सिर पर बैठा कर रखा हुआ है ? राजनीति के खेल में पिछड़ गए, बाकी के खेलों में भी पिछड़ जाएंगे, इसमें भी कामयाब नहीं होंगे, अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं । इसका भी वही हश्र होगा जो 2005 के विधेयक का हुआ । क्योंकि यह गैर-कानूनी है, इसमें है कुछ नहीं । यह इंडियन ऑलम्पिक ऐस्सोसिएशन के चॉर्टर के खिलाफ और BCCI के प्रावधानों के खिलाफ है । आप कानून बना देंगे, आपके क्रिकेट के खिलाड़ी देश के कम्पीटिशन में जा ही नहीं सकेंगे, रणजी के मैचिज़ खेल

/1300/09.04.2015यूके/जेटी3/

नहीं पाएंगे । देश को सेवाएं दे नहीं सकेंगे । आप करना क्या चाहते हैं ? अगर आप खेल का विकास करना चाहते हैं, अगर आप हिमाचल प्रदेश में खेल को विकसित करना चाहते हैं तो आप उसका आधारभूत ढांचा मजबूत करिए ।

एसएलएस द्वारा जारी------

09.04.2015/1305/sls-ag-1

श्री रणधीर शर्मा...जारी

...(व्यवधान)... (श्री नीरज भारती, सी.पी.एस. से) आप टाईम ले लो, फिर बोल लेना। ...(व्यवधान) ...टाईम ले लो, फिर बोल लेना। आपको बीच-बीच में दौरा पड़ता है। ...(व्यवधान) ...आप टाईम ले लो, फिर बोलना।...(व्यवधान) ...अध्यक्ष महोदय, ये

बैठे-बैठे बोल रहे हैं। आप विपक्ष के विधायकों को तो रोकते हैं कि बैठे-बैठे न बोलें जबकि यहां सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्री बैठे-बैठे बोलते हैं।

Speaker: Please don't disturb the speaker. आप अगर बोलना चाहते हैं तो बाद में बोल लें। Please don't waste time. अभी माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। इसमें टाईम वेस्ट होता है।... (व्यवधान)...

श्री रणधीर शर्मा : आपका यही हाल रहा तो अगली बार जनता आपको वैसे ही बाहर कर देगी।

मुख्य मंत्री :आप ही सबसे पहले जाएंगे। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।

श्री रणधीर शर्मा : और क्या बोलें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये बोलने ही नहीं देते।

मुख्य मंत्री : आप तमीज़ से बात करो।

श्री रणधीर शर्मा :इससे ज्यादा और तमीज़ कहां से लाएं।... (व्यवधान)...उनको तमीज़ सिखाओ। आप अपने विधायकों को तमीज सिखाओ।... (व्यवधान) ...आप अपने विधायकों को तमीज सिखाओ। क्या ये तमीज से बोल रहे हैं? ये किस नियम के अंतर्गत बोल रहे हैं? ...(व्यवधान)...

Speaker: Please don't waste time.कोई स्पीच दे रहा है तो उसके बीच में मत बोलिए। अगर आपने बोलना है तो बाद में बोल लीजिए। इससे टाईम वेस्ट होता है और फायदा कोई नहीं है। Please don't waste time.

09.04.2015/1305/sls-ag-2

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को लाने के पीछे जो इनका हीडन एजैंडा है... ,(व्यवधान)...

अध्यक्ष : अब आप भी बस करो।

श्री रणधीर शर्मा :अध्यक्ष महोदय, यह एजैंडा प्रदेश हित में नहीं है। एच.पी.सी.ए., जिसके अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी हैं, मुझे बड़ा दुःख होता है कि हमारे विधान सभा के उपाध्यक्ष महोदय उनकी आलोचना कर रहे थे। शुरू में कहा कि मैं खिलाड़ी रहा हूं और खेलों से जुड़ा हूं। मुझे लगता है ,कहना नहीं चाहिए क्योंकि उपाध्यक्ष है ,लेकिन खिलाड़ी असली है कि फ़र्जी है ,यह हमें जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर जी का जो योगदान हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए रहा है, वह किसी से छुपा नहीं है। सरकार का जो योगदान है, इन्होंने (मुख्य मंत्री) 8 साल पहले शिमला में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए कहा था, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, उस सरकार द्वारा उस स्टेडियम में 8 सालों में 8 ईंटें नहीं लगीं। अनुराग ठाकुर ने तो दो सालों में ही धर्मशाला में इतना सुंदर स्टेडियम बना दिया जिसके कारण आज दुनिया में नाम रौशन हुआ है। आज हमीरपुर के नदौन में स्टेडियम है, मण्डी में स्टेडियम है, बिलासपुर में स्टेडियम है, शिमला में स्टेडियम है और आज क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में क्रिकेट अकादमी अगर किसी ने खोली है तो एच.पी.सी.ए. के अध्यक्ष हमारे सांसद अनुराग ठाकुर ने खोली है। आपको तो उनकी पीठ थपथपानी चाहिए। आपको तो उनका धन्यवाद करना चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी आई.पी.एल. में खेल कर करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। वह किसके कारण कमा रहे हैं? आज स्टेडियम्ज बनें, अकादमियां बनीं, कोचिंग हुई तभी आज हिमाचल के खिलाड़ियों को करोड़ों रुपये आई.पी.एल. में खेलने से मिल रहे हैं। आज से पहले ऐसा क्यों संभव न था? तकलीफ़ तो यही है जो उपाध्यक्ष महोदय के मुंह से निकली है। जो करोड़ों रुपया आता है, वह कहां जाता है? वह आपकी ज़ेब में नहीं जाता बल्कि क्रिकेट स्टेडियम

09.04.2015/1305/sls-ag-3

बनाने में और हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने में लगता है। आपके हाथों चला जाएगा तो वही होगा जो औरों का हो रहा है।...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : सुनिएं। यह मत भूलिए कि एक-एक स्टेडियम को बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि मुफ्त में दी है।

श्री रणधीर शर्मा : आप तो उसका भी विरोध कर रहे हैं।...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : लेने वाला पुत्र था और देने वाला पिता था।... (व्यवधान)...

श्री रणधीर शर्मा : आपके द्वारा तो उस ज़मीन का भी विरोध हो रहा है।... (व्यवधान)...

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, जो बात मुख्य मंत्री जी ने कही, आपका स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन इतना है कि अपने पिताश्री के नाम से क्रिकेट टुर्नामैंट करवाते हो और माताश्री के नाम से वालीबाल का टुर्नामैंट करवाते हो। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन यही है।

मुख्य मंत्री : जब ये कहते हैं कि किसी ने स्टेडियम बनाया है तो यह भी सच्चाई है कि एक-एक स्टेडियम के लिए; आप मुख्य मंत्री थे और आप उस ऐसोशियेशन के चीफ पैट्रन थे ,उस हैशियत में आपने सरकारी भूमि मुफ्त में दी या एक छोटी-सी टोकन रकम में दी। मैं समझता हूं कि मुफ्त में दी।... (व्यवधान)...

जारी ..श्री गर्ग जी

09/04/2015/1310/RG/AG/1

मुख्य मंत्री -------**क्रमागत**
समझ लो कि मुफ्त में ही दी। Therefore, there is a contribution of the State also, not only of the man जिसको ये श्रेय दे रहे हैं।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : आप जो रोहड़ू में पदमसिंह के नाम पर या माता के नाम टूर्नामेंट करवाते हो ,तो क्या वह आपके पिताश्री का है? सरकारी जमीन होती है जो खेलों के लिए ली जाती है वही होती है। लेकिन टूर्नामेंट आपने अपने नाम पर शुरू करा दिए। वह जमीन कहां से दी?

मुख्य मंत्री : नहीं वह गवर्नमेंट का स्टेडियम है। But you have given the Government land to a particular Association.

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : आपने उसको ले लिया। जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तब क्या हुआ? जो आपकी आज टिप्पणी आई है।

मुख्य मंत्री : आपने मुख्य मंत्री होते हुए and you were the Chief Patron of H.P. Cricket Association, you have given large tracts of land at different places in Himachal Pradesh at just one rupee lease. (Interruption) I am not objecting to that. Then you should not use such language. आपने दिया है। अगर आप नहीं देते, तो वह सारा कुछ कहां बनता---(व्यवधान)---मैं यह कह रहा हूं कि अगर किसी ऐसोसियेशन ने स्टेडियम बनाया है ,you as a Chief Patron of the Association have given large tracts of land at just one rupee lease.

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी ओर का माईक भी ऑन किया जाए।

श्री रणधीर शर्मा : सर, आपने क्या-क्या दिया? इनको दिक्कत है।

अध्यक्ष : श्री रणधीर शर्मा जी, कृपया आप जल्दी समाप्त करें।

श्री रणधीर शर्मा : मैं कर रहा हूं। इनको दिक्कत है कि हमारी सरकार ने क्रिकेट स्टेडियम बनाने को जमीन क्यों दे दी? हमने तो खेलों के लिए, स्टेडियम बनाने के लिए और अन्तरराष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए जमीन दी। लेकिन इन्होंने तो शिमला में कार्ट रोड पर कांग्रेस भवन बनाने के लिए जमीन दे दी। बिलासपुर में भाखड़ा बांध विस्थापितों को प्लॉट नहीं मिल रहे हैं वहां पर इन्होंने कांग्रेस कार्यालय बनाने को जमीन दे दी। हमने अगर क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जमीन दी ,तो आज ये कोर्ट में केस कर रहे हैं।--- (व्यवधान)-----हमने प्राइवेट जमीन खरीद कर बनाया, हमने सरकारी जमीन पर नहीं बनाया और आपने जिस जमीन पर दफ्तर बनाया है वहां किसानों के लिए सब्जी मण्डी बननी थी। बिलासपुर में भाखड़ा बांध विस्थापितों के लिए प्लॉट आबंटित किए जाने थे।

श्री अजय महाजन : नूरपुर का जो स्टेडियम था वह कैसे ले लिया?

श्री बम्बर ठाकुर : आपने वहां कॉम्प्लैक्स भी बनाया, सरकारी जमीन भी कोड़ियों के दामों पर दे दी।---(व्यवधान)-----

09/04/2015/1310/RG/AG/2

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, या तो आप इनको समय दे दें। यदि ये इस तरह बीच में बोलते रहेंगे, तो मैं कैसे बोलूंगा? ये किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं?

अध्यक्ष : श्री रणधीर शर्मा जी, आप बोलिए।----(व्यवधान)-----

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इन्हीं मुख्य मंत्री महोदय ने उस जमीन का कब्जा, स्टेडियम का कब्जा लेने के लिए रात के 12.00 बजे कैबिनेट मीटिंग की ,डेढ़ बजे मीटिंग खत्म हुई ,फिर फैक्स से निर्णय भेजा गया और अढ़ाई बजे पुलिस धर्मशाला स्टेडियम में पहुंच गई। जो गोवा की टीम आई थी वह बेचारी बाहर निकाल दी गई। इनका ऐसा हाल है। बिलासपुर स्टेडियम की चर्चा जो मेरे मित्र श्री बम्बर ठाकुर जी कर रहे हैं। इनको भी ध्यान होना चाहिए कि वह जमीन हिमाचल सरकार की है ही नहीं।

श्री बम्बर ठाकुर : वहां पर आपने अपना कब्जा कर लिया है।

श्री रणधीर शर्मा : भैया, मुझे बोलने दो।

अध्यक्ष : श्री बम्बर ठाकुर जी आप इन्हें बोलने दें।

श्री रणधीर शर्मा : आप सुन तो लो, सुनने की कैपेसिटी भी रखो। आप बाद में बोल लेना।---(व्यवधान)-----अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर में जो भी स्टेडियम बना है वह जमीन हिमाचल सरकार की नहीं है, बी.बी.एम.बी. की है।

श्री बम्बर ठाकुर : वह बनाया किसने?

श्री रणधीर शर्मा : प्लीज, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं। यह क्रिकेट की बात हो रही है।----(व्यवधान)---क्रिकेट स्टेडियम बी.बी.एम.बी. की जमीन लेकर एच.पी.सी.ए. ने

बनाया और जिस दिन रात को कैबिनेट ने डिसीजन लिया ,बिलासपुर में बाप और बेटा उस बी.बी.एम.बी. की जमीन पर भी कब्जा करने पहुंच गए। उनको यही नहीं पता कि यह हिमाचल की जमीन नहीं है, यह बी.बी.एम.बी. की जमीन है। इस पर आप किस हैसियत से कब्जा कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, इन बातों से इनका यह हिडेन एजेण्डा जग-जाहिर होता है--जारी

एम.एस. द्वारा जारी

09/04/2015/1315/MS/AG/1

श्री रणधीर शर्मा जारी----------

इसमें अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह विधेयक है, यह न खिलाड़ियों के पक्ष में है और न खेल के पक्ष में है।

मुख्य मंत्रीः ऐसा है, एच0पी0सी0ए0 का मैटर सब-ज्यूडिस है। It is still in court of law. It cannot be discussed the way he is discussing.

श्री रणधीर शर्माः यह ध्यान आपको बड़ी देर बाद आया? पहले तो आप इसी पर बोल रहे थे और इसी पर कमैंट कर रहे थे। अध्यक्ष जी, पहले बता देना चाहिए था कि यह मैटर सब-ज्युडिस है। तब तो यह बोले नहीं। अध्यक्ष जी, जब मैं ज्यादा बोलता हूं तो ये ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।

अध्यक्षः कृपया, वाइंडअप कीजिए।

श्री रणधीर शर्माः मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक खेल विरोधी है, खिलाड़ी विरोधी है और हिमाचल विरोधी है इसलिए इस विधेयक को वापिस लेना चाहिए। यह विधेयक न कानून के दायरे में खड़ा होता है, न खेल की भावना के दायरे में खड़ा होता है और न ही खिलाड़ियों की भावना के दायरे में खड़ा होता है इसलिए इसको विड्रो

करना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं अगर आप इस पर सीक्रेट बैलेट करवाएंगे तो विधान सभा में बहुमत से यह विधेयक गिर जाएगा। हम उधर की (पक्ष की ओर ईशारा करते हुए)भावनाएं जानते हैं। हर कोई जानता है कि यह विधेयक राजनीति से प्रेरित विधेयक है। जिस तरह से कल सहकारी संस्थाओं का सरकारीकरण करने का प्रयास हुआ, उसी तरह इस विधेयक द्वारा खेल संस्थाओं का सरकारीकरण बल्कि मैं तो कहूंगा कि कांग्रेसीकरण करने का प्रयास हो रहा है। जिसमें न हमने इनको सफल होने दिया है और न हम आगे सफल होने देंगे। पहले तो इस विधेयक को हम पास होने नहीं देंगे, हम इसका विरोध करते हैं। उसके बाद भी इसको रोकने के लिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में खिलाड़ियों का विकास हो, खेल का विकास हो इसलिए हम इस विधेयक को लागू तक नहीं होने देंगे। यह बात कहते हुए अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्षः अब मैं इस सदन से आग्रह करूंगा क्योंकि अभी लंच टाइम भी हो गया है। (व्यवधान)

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष जी, दोपहर का भोजन कर लेते हैं।(व्यवधान)

09/04/2015/1315/MS/AG/2

अध्यक्षः नहीं, नहीं। मेरी बात सुनिए। (व्यवधान)पहले बात तो समाप्त करने दीजिए। आप लोग बीच में बोलते हैं तभी तो समय लगता है। Please don't speak in-between. मैं यह कह रहा हूं कि अभी लंच भी करना है और उसके बाद तीन रेजोल्यूशन्ज भी प्राइवेट मैम्बर्ज डे के लिए लगे हैं तथा यह विधेयक भी पास होना है। प्राइवेट मैम्बर्ज के लिए ढाई घण्टे का समय निर्धारित किया हुआ है। आप उसके हिसाब से देख लीजिए। आप लोगों ने इस मद पर काफी बोल लिया है। यदि सभी बोलना चाहेंगे तो समय लगेगा। इसलिए इस बारे में डिसाइड कर लीजिए।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष जी, आपने चर्चा से देख लिया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। लोक सभाएं और विधान सभाएं कानून बनाने के लिए होती हैं और उस पर अगर डिटेल में चर्चा नहीं होगी तो गलत ढंग के कानून बन जाएंगे। फिर कोर्ट्स उसमें इंटरफेयर करती रहेंगी। इसलिए इस पर चर्चा के लिए समय दिया जाए। यदि इस पर

चर्चा आज पूरी नहीं होती है तो कल की जा सकती है लेकिन इस पर डिटेल में चर्चा होनी चाहिए। अन्यथा हमारा निवेदन है कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाए। वहां पर चर्चा हो जाएगी और फिर उसके बाद दुबारा इसे यहां पर ले आएं। अगर अभी लंच करना है तो कर लेते हैं और अगर नहीं करना है तो भी हम तैयार हैं।

अध्यक्षः मैं यह कह रहा हूं कि टाइम मैनेज करने के लिए आपके तीन स्पीकर बोल चुके हैं। उसमें सारी सैन्स आ गई है। यदि सारे ही बोलने लगेंगे तो यह काम खत्म नहीं होगा। जो रविन्द्र सिंह जी, भारद्वाज जी और रणधीर जी ने बोला है, उसमें सारी sprit of the speech आ गई है। उसमें आप क्या चाहते हैं? अब अगर सारे बोलना चाहेंगे तो मैं समय की बात कर रहा हूं। मैं लंच की बात नहीं कर रहा हूं। लंच हम भी फोरगो कर सकते हैं लेकिन बाकी एजैंडा भी करना है या तो आप ब्रीफ में चर्चा कीजिए। क्या करना है, बोलिए? आप लोग क्या करना चाहते हैं, बोलिए?

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, लंच कर लेते हैं, उसके बाद बोलेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, डिसीजन यह था कि पहले इसको करेंगे और उसके बाद प्राइवेट मैम्बर्ज डे का एजैंडा लेंगे। इसलिए पहले आप इसको कम्पलीट करवाइए फिर लंच करेंगे। उसके बाद प्राइवेट मैम्बर्ज डे के एजैंडा पर चर्चा करेंगे।

09/04/2015/1315/MS/AG/3

अध्यक्षः मेरा कहने का यह मतलब था कि या तो आप संक्षेप में बोलिए या फिर वाइंडअप करे या फिर अभी चर्चा कर लेते हैं। यदि लंच के बाद इस चर्चा को लिया तो फिर प्राइवेट मैम्बर्ज डे वाली चर्चा रह जाएगी।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष जी, इसको इनकम्पलीट डिस्कशन मानकर कल के लिए पोस्टपोंड कर दें।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष जी, इसको कल के लिए पोस्टपोंड कर दीजिए। इस पर कल चर्चा कर लेंगे। आपने खुद देख लिया है। इसमें थ्रेडवेयर चैक होना ही चाहिए। इसमें प्रदेश का डिसीजन होना ही चाहिए।

अध्यक्ष श्री जे0के0 द्वारा -----

9.4.2015/1320/जेके/जेटी1/

___(व्यवधान)___

अध्यक्षः मैं आप लोगों से रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि आपके मेम्बर्ज संक्षेप में बोलें और इसको खत्म करते हैं। दो-तीन आदमी जो चाहें वो बोल लें, उसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जहां तक चर्चा हो चुकी है वहां पर इसको रोक कर आगे कल के लिए स्थगित कर दिया जाए और फिर कल इसको पारित कर दिया जाए। जहां हमारे प्राईवेट मेम्बर्ज डे पर डिस्क्शन है लंच के बाद उसको ले लिया जाए।
___(व्यवधान)___

अध्यक्षः श्री रविन्द्र सिंह जी एक मिनट प्लीज।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, लंच के बाद जो हमारे प्राईवेट मेम्बर्ज डे के बिल कर लिए जाएं। इस बिल को रिलैक्स करके कल रेगुलेशन के साथ आज के लिए पोस्टपोन किया था। इसमें पांच बजे के बाद भी इस परपज़ के लिए समय बढ़ाया जा सकता है। आज हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। हम इसको कल के लिए न रखें आज ही कर लें।

अध्यक्षः मैं यही बात करना चाह रहा था। आप लोग मेरी बात सुनिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं? I am not against कि आप न बोलें। ऐसा है कि किसी चर्चा के लिए समय भी निर्धारित होता है। We cannot expect कि एक चर्चा दो दिन चलती रहे। इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। ऐसा है इसके लिए समय मैंने निर्धारित करना है। आप उसके

अन्दर बोलिए। आप संक्षेप में बोलें तो ठीक है। अगर आप चाहें कि दो दिन चर्चा करते रहे, then I will not agree.

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, इस बिल के लिए कार्य सलाहकार समिति में कोई समय फिक्स नहीं हुआ है। कार्य सलाहकार समिति में यह बिल नहीं आया है। आप तय कर सकते हैं। मेम्बर्ज को आप बुला लेते। इसमें हमारा इतना सुझाव है कि लंच के बाद प्राईवेट मेम्बर्ज डे करना है। पांच बजे के बाद इस बिल को टेक अप

9.4.2015/1320/जेके/जेटी/2

करने के लिए समय एक्सटैंड कर दें। यह हाऊस की मर्ज़ी होती है और हाऊस टाईम को एक्सटैंड कर सकता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, आज प्राईवेट मेम्बर डे है और प्राईवेट मेम्बर्ज डे पर पांच बजे के बाद टाईम एक्सटैंड नहीं किया जाता है। इसलिए मेरी रिक्वैस्ट है कि जो लोग इसमें बोलना चाहते हैं वे भी बोलें। मुख्य मंत्री जी ज़वाब देंगे and the Bill will be put to vote.

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, यह आज के लिए बिल पोस्टपोन हुआ है इसलिए प्राईवेट मेम्बर्ज डे का समय हम पहले करते हैं और पांच बजे के बाद इसको ले सकते हैं। There is no such rule.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः इनके अब दो मेम्बर्ज बोलें और उनको बोलने दें।

अध्यक्षः कुछ मेम्बर्ज बोल लीजिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इनके मेम्बर्ज को आप बोलने दो।

अध्यक्षः आप लोगों ने कितने घण्टे बोलना है। आप मुझे समय बताईये कि आप लोग आधा घण्टा बोलेंगे या ज्यादा।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत बढ़िया सुझाव श्री सुरेश भारद्वाज जी ने रखा है। ठाकुर कौल सिंह जी जो कह रहे हैं हम इनसे भी सहमत हैं। इन्होंने कहा कि प्राईवेट मेम्बर्ज डे को पांच बजे के बाद एक्सडैंट नहीं किया जा सकता है। हम उससे सहमत है। लेकिन जो बिल का समय है उसको तो हम पांच बजे के बाद भी ले सकते हैं। यह तो हाऊस की मर्ज़ी है।

अध्यक्षः मेम्बर्ज के लिए जो समय निर्धारित होना है उसका कम से कम पता तो लगे।

9.4.2015/1320/जेके/जेटी/3

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा कि इस बिल को कल ले लिया जाए और प्राईवेट मेम्बर्ज वाले दिन बिल की चर्चा हुई। चर्चा के बाद श्री सुरेश भारद्वाज जी और हम सब लोग कह रहे हैं कि इसके बाद प्राईवेट मेम्बर्ज डे को ले लिया जाए। पांच बजे के बाद हाऊस की मर्ज़ी होती है। House is supreme. हाऊस का टाईम बढ़ानें के लिए rules are framed by the House और स्पीकर रूल्ज को फोलो करते हैं। फिर इसको पांच बजे के बाद लिया जाए।

श्री नीरज़ भारती (मुख्य संसदीय सचिव) :यहां पर चर्चा जो हो रही है सिवाय क्रिकेट को छोड़ करके। अगर सारे सदस्य एक क्रिकेट के ऊपर ही फोक्स करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि ऑलरेडी फोक्स हो चुका है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

9.04.2015/1325/SS-JT/1

श्री नीरज भारती, मुख्य संसदीय सचिव क्रमागतः

तो आप उसको पास करिये, जो करना है आप उसको आगे करिये। उसके बाद आप प्राइवेट मेम्बर डे के प्रस्ताव को करिये। क्रिकेट के अलावा किसी अन्य खेल की यहां पर चर्चा नहीं हो रही है। क्रिकेट की तो सारी डिस्कशन हो चुकी है।

अध्यक्षः मैं भारद्वाज जी, यह पूछना चाहता हूं कि चर्चा का समय भी निर्धारित होना चाहिए। So, let me know how long you are going to speak.

श्री सुरेश भारद्वाजः सर, इतने गरिमामय सदन में बहुत दुख होता है जब इम्मिच्योर किस्म के लोग चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी के रूप में यहां पर बोलते हैं। टोटल, मैंने इनीशियेट की थी, एक भी शब्द क्रिकेट नाम का यूज नहीं किया है। पहली बार माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने क्रिकेट की बात की है। हमारी तरफ से क्रिकेट की बात नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, एक तो मंत्रियों को और चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरीज़ को सिखा दें कि कैसे बोलना है, कब बोलना है।

अध्यक्षः मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि इस बिल पर जो चर्चा हो रही है, मुझे पता होना चाहिए कि आप इस पर कितना टाइम लेंगे। --(व्यवधान)--इस चर्चा के लिए आप कितना टाइम लेंगे यह तो मुझे पता होना चाहिए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। यह बिल सब खेलों के बारे में है। किसी ने किसी खेल विशेष का नाम नहीं लिया। ये रणधीर सिंह जी हैं जिन्होंने बीच में आकर इस मामले को बिगाड़ा है।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं जैसे ठाकुर कौल सिंह जी ने कहा कि इस चर्चा को खत्म करके इस बिल को पास कर दीजिए और उसके बाद लंच ब्रेक कीजिए तथा उसके बाद प्राइवेट मेम्बर बिजनेस लिया जाए।

अध्यक्षः मैं यही कह रहा हूं कि चर्चा की भी लिमिटेशन होनी चाहिए।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी सदन के नेता हैं उन्होंने कहा है कि मैंने क्रिकेट पर चर्चा शुरू की है। यह कथन सत्यता से परे है। क्रिकेट की चर्चा

पहले माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने की थी। मैंने तो एक भी बार क्रिकेट का नाम नहीं लिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी जो सदन के नेता हैं वे सदन को गुमराह नहीं

09.04.2015/1325/SS-JT/2

कर सकते। यहां पर हमारे दो सदस्यों ने न क्रिकेट की चर्चा की और न अनुराग जी की चर्चा की। क्रिकेट की चर्चा, अनुराग की चर्चा सबसे पहले विधान सभा के माननीय उपाध्यक्ष ने की है। मैंने उनकी बातों का जवाब दिया है। --(व्यवधान)--

श्री नीरज भारती, मुख्य संसदीय सचिवः आप चर्चा कीजिए। स्पीकर साहब, आप चर्चा एलाऊ कीजिए। क्रिकेट का नाम नहीं लिया जाए। हमने अपनी गलती मान ली। ठीक है हमने आपका नाम ले लिया। आगे से जो भी सदस्य बोले वह नाम न ले, वह किसी और खेल के बारे में भी ज़िक्र करे। किस-किस खेल को प्रोत्साहन दिया है उस पर चर्चा करते हैं।

अध्यक्षः आप बैठ जाईये। भारद्वाज जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि चर्चा के लिए कितना समय लेंगे? श्री सतपाल सत्ती जी, आप चर्चा करें। मैं निवेदन करूंगा कि संक्षेप में एक-दो सदस्य बोलें, उसके बाद इसको खत्म कर देते हैं। We can't allow everybody to speak on this. आप सभी 27 के 27 मेम्बर्ज़ बोलना चाहें तो वह मैं एलाऊ नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ समझूंगा। यह गलत बात है। आप किसी कानून को नहीं मानते। श्री सतपाल सिंह सत्ती जी।

श्री सतपाल सिंह सत्तीः अध्यक्ष महोदय, जो खेल विधेयक का विषय यहां चला है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है लेकिन बार-बार खेल के मुद्दों में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो राजनीति करने की कोशिश करती है। --(व्यवधान)-- वीरभद्र सिंह जी, कह रहे हैं कि गलत बात है। लेकिन बार-बार आप इसके बारे में जो विधेयक लाते हैं उससे आपका रवैया ध्यान में आ जाता है। बहुत से जो टेक्निकल विषय हैं उसके बारे में सर्वश्री सुरेश भारद्वाज, रविन्द्र सिंह रवि और रणधीर जी ने विषय निकाला है। ...

जारी श्रीमती के0एस0

09.04.2015/1430/negi/ag/1

सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरानत अपराह्न 2.35 बजे पुनः आरम्भ हुई।

अध्यक्षः मुझे खेद है कि विधान सभा में एक-दो दिन से कुछ सदस्य चेयर के अगेन्स्ट और डिप्टी-स्पीकर के चेयर के गरिमा के विरूद्ध नारे लगाते और अपशब्द बोलते रहे हैं। इसका मतलब यह नही है कि हम किसी को मौका नही देते हैं। आपको बोलने का पूरा अवसर दिया जाता है । बोलने के लिए आप जो मर्ज़ी कहिए, परन्तु चेयर की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। मान्य सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप किसके अगेन्स्ट बोल रहे हैं। यह टॉलरेट नही किया जाएगा । आपने जो आज अपशब्द बोले हैं, डिप्टी-स्पीकर के अगेन्स्ट, मैं उसपर नोट लेता हूं और we will take appropriate action against this. इसका मतलब यह नही है, हम आपको पूरा आदर देते हैं और सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी आप यह समझते हैं कि हम कुछ नही कहते। हम पूरी ऐक्शन ले सकते हैं और आपको रेप्रिमांड कर सकते हैं । जो भी है, मेम्बर्ज़ को शालीनता से बोलना चाहिए। आप डिसकशन में हिस्सा लीजिए और टाईम का भी ख्याल रखिए। ऐसा कोई रेज्योल्यूशन नही होता जिसमें आप इन-डेफिनेटली बोलते जाएं और टाईम निर्धारित न हो। टाईम को निर्धारित करना यह मेरे ही अधिकार क्षेत्र में है। आज भी जो गवर्नमैन्ट का बिल था उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि आप इतना बोल कर भी, ऑपोजिशन के सीनियर मैम्बर्ज़ इस बिल पर बोले हैं और अन्य सदस्यों को भी मैं आमंत्रित कर रहा था कि आप बोलिए, थोडा-थोड़ा बोलिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप इस बिल को पास करने के या इस बिल पर चर्चा करने के हक में नही हैं। मुझे तो ऐक्शन लेना है। लेकिन यह बड़े दुःख की बात है।

09.04.2015/1430/negi/ag/2

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

"संकल्प"

अध्यक्षः अब गैर-सरकारी सदस्य संकल्प होंगे। सबसे पहला संकल्प श्रीमती आशा कुमारी जी का है, अब श्रीमती आशा कुमारी जी आपना संकल्प प्रस्तुत करेंगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि -:

"This House resolves that a master plan be drawn up for the entire State to earmark & construct parking's at district headquarters and places of religious and tourist importance."

अध्यक्षः संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "This House resolves that a master plan be drawn up for the entire State to earmark & construct parking's at district headquarters and places of religious and tourist importance."

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी..

/1440/09.04.2015यूके/1

अध्यक्ष---- **जारी**-----

माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग ले सकते हैं । मेरे पार इस पर बोलने के लिए श्री महेश्वर सिंह जी का भी नाम आया है, ये चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं ।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, आपने सदन में मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद । अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यापक समस्या है जिसको मैं आपके माध्यम से इस सदन में चर्चा हेतु लाना चाहती हूं और प्रस्ताव के द्वारा, प्राईवेट मैम्बर रेज्योलूशन के द्वारा इस विषय को मैने यहां पर उठाया है । आज की तारीख में जो हमारे वाहन है, वह चाहे छोटे और निजी वाहन हों, ट्रक्स हों, बसिज़ हों सबकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और वाहनों के बढ़ने से और लोगों के पास निजी वाहन भी एक-एक घर में जहां एक भी वाहन नहीं होती थी वहां भारत सरकार की नीतियों को देखें, जिसकी वजह से देश आगे गया है, देश आगे गया, देश ने तरक्की की, लोगों का लिविंग स्टेंडर्ड बढ़ा और शहरों में तो शहरों में,

गांवों-गांवों में लोगों के घरों में अब वाहन, गाड़िया, कारें, पिकअप्ज़, ट्रक्स है । बसिज़ चलती हैं, निजी वाहन चलते हैं । लोगों का अपने कामों के लिए डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर, सब डिवीज़नल हैड-क्वार्टर्स पर आना-जाना बढ़ गया है। जो हमारे शहर हैं, यहां हम जिनको शहर मानते हैं, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर्स है, यहां की सड़कें इतने वाहनों को उनका जो लोड है या उनकी वजह से जो रोड में समस्याएं आती हैं, उसके लिए शहर उस हिसाब से प्लांड नहीं थे । हम कहीं की भी सड़क देख लें, कोई भी शहर देख लें । शिमला शहर का सबसे ज्यादा जिक्र इस विधान सभा में भी आता है और इस सत्र में भी शिमला चुनाव क्षेत्र के माननीय सदस्य ने पार्किंग की चर्चा की है, पार्किंग की बात प्रश्न के माध्यम से भी उठायी और दो-चार जो इन्होंने वक्तव्य दिए, उसमें भी उठायी । शिमला शहर में शहरी विकास मंत्री जी ने काफी सारी पार्किंग के जहां बनने के प्रस्ताव है उसकी चर्चा की, मगर शिमला शहर ही पार्किंग की समस्या से ग्रसित नहीं है । हम कहीं भी चले जाएं । मैं तो विशेष कर के चम्बा की बात करूंगी । चम्बा शहर अकेला ऐसा शहर होगा जो कि एक अरबन एरिया है जिसमें एक भी पार्किंग नहीं बनी है । पार्किंग है ही नहीं वहां । सड़कों के किनारे, ये मेरे दोनो छोटे भाई सिर भी हिला रहे है

/1440/09.04.2015यूके/2

क्योंकि ये खुद भी इस समस्या से ग्रसित रहते है । माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप जब भी चम्बा जाते हैं, आप पीछे भी चम्बा गए हुए थे, सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की लेकर लोग आते हैं । शहर में दिक्कत भी है, जगह की भी कमी है । स्पेस कंसट्रेंन भी है । इन बातों को देखते हुए भी अगर हम देखें कोई न कोई इसका समाधान निकालना पड़ेगा । किस तरह से हम ये पार्किंग बनाएंगे ,कहां-कहां बनाएंगे, मैं नहीं समझती कि यह हैफेज़र्ड तरीके से करना चाहिए । अब समय आ गया है कि हमारा जो पूरा प्रदेश है, इसमें हम यह बात कोई एजेंसी के थ्रू या हम अपने डिप्टी कमिशनर के थ्रू कर सकते हैं । या हमारे PWD के सर्कल के ,या SEs के थ्रू सकते हैं। व्यापक तौर पर हमें यह देखना होगा कि कहां-कहां, किस जिले में पार्किंग की समस्या बढ़ती ही जा रही है । आऊट ऑफ कंट्रोल हो गयी है । गाड़ी या अन्य वाहन लगाने को जगह ही नहीं है । लोगों ने जो घर बना रखे थे, उनके घरों तक गाड़ी जाती नहीं है । सड़कों में लोग गाड़ी पार्क कर देते हैं । जब सड़कों में गाड़ी पार्क कर देते हैं तो चम्बा की गलियों में तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है । कई जगहों पर वन-वे कर रखा है । फिर भी

एसएलएस द्वारा जारी----

09.04.2015/1445/sls-ag-1

श्रीमती आशा कुमारी... जारी

मुख्य मंत्री महोदय, आप आए थे। आपने कहा था कि चम्बा शहर में तो सभी को नैनो गाड़ी ही रखनी पड़ेगी। जगह ही नहीं रही है। लोग किसी भी जगह गाड़ी पार्किंग कर देते हैं क्योंकि पार्किंग नहीं है। लोगों ने गाड़ियां खरीद ली हैं जिसके लिए हम मना नहीं कर सकते। एक ही घर में पति के पास अलग, पत्नी के पास अलग, बेटे के पास अलग और बहू के पास अलग गाड़ी है जबकि पार्किंग एक गाड़ी के लिए भी नहीं है। कहीं-न-कहीं हमें यह सोचना होगा। अब समय आ गया है कि हम एक मास्टर प्लान बनाएं। जो टूरिस्ट प्लेसिज हैं जैसे डलहौजी है, वहां हमारी जो सड़कें हैं they are not equipped to take the tourist traffic. जब अभी सीजन शुरू होगा तो 2-2, 4-4 ,3-3 घंटे का जाम जी.पी.ओ. से लेकर खजियार के रोड पर लगा होता है। हालांकि डलहौजी में । am grateful to the Chief Minister, पार्किंग्ज के लिए आपने पैसा दिया। कुछ पार्किंग्ज बनी भी हैं लेकिन वह पर्याप्त नहीं हैं। बौटल नैक्स देख कर इसमें काम किया जाए। बनीखेत है, चम्बा है और विशेष करके, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का और मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान उस ओर ज़रूर आकर्षित करना चाहूंगी कि जो हमारे रिलीजियस प्लेसिज हैं, जैसे भलेई मंदिर है, वहां जो पार्किंग होती थी वहां पर आपकी कृपा से एक बहुत बड़ा शैड बनकर तैयार है जो एक आडीटोरियम टाईप का बन गया है जहां अब जगराते आदि के कार्यक्रम होते हैं। वहां एक दिन में हजारों की संख्या में लोग आते हैं लेकिन पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ी-बड़ी बसें आती हैं जबकि रोड छोटी है। लोग रोड के किनारे गाड़ी पार्क कर देते हैं। उससे ट्रैफिक जाम हो जाता है। घंटों-घंटों तक मूवमैंट नहीं हो पाती। यही हाल हमारे सब-डिविजनल हैडक्वार्टर्ज़ का है। सलूणी है, तीसा है, यहां तक कि चुवाड़ी है; चुवाड़ी में अभी इतनी समस्या नहीं है क्योंकि चुवाड़ी थोड़ा-सा प्लेन है। लेकिन तीसा और सलूणी में पार्किंग के लिए कोई जगह ही नहीं है। मेरा सरकार से यह अनुरोध रहेगा कि पूरे प्रदेश में स्थान आईडैंटिफाई करके एक मास्टर प्लान बनाया जाए। जिलाधीश, एस.डी.एम. या

09.04.2015/1445/sls-ag-2

आप जिस एजैंसी को ठीक समझें ,उनकी ड्यूटि लगाकर जहां बौटल नैक्स हैं ,जहां टूरिस्ट ट्रैफिक बहुत ज्यादा है ,जिन रिलीजियस प्लेसिज पर ज्यादा ट्रैफिक है या सरकारी दफ्तरों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है; ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने भी अक्सर देखा होगा। यहां से जब हम जाते हैं तो जो दाड़लाघाट वाली रोड है ,इसको जितना भी चौड़ा करो, उसमें जो फ्री फ्लो ट्रैफिक है ,उसको कोई फायदा नहीं होता है। उसमें ट्रक पार्क कर देते हैं। कोई डैजिग्नेटिड पार्किंग प्लेसिज हैं ही नहीं। आप भी उसी रास्ते जाते हैं और हम भी उसी से जाते हैं। बरमाणा है जहां से लोग बिलासपुर और कुल्लू मनाली के लिए जाते हैं। वहां भी वही हाल है। सड़क चौड़ी की जाती है पर चौड़ी होने पर वह व्हीकुलर ट्रैफिक के फ्री फ्लो के बदले पार्किंग के लिए प्रयोग हो रही है। उसका कारण यही है कि डैजिग्नेटिड पार्किंग नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह रहेगा कि हम कोई ऐसा मास्टर प्लान बनाएं जिसके तहत पूरे प्रदेश में चिन्हित स्थानों पर, जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है ,पार्किंग्ज बनाई जाएं। इसमें हम पुलिस विभाग की मदद ले सकते हैं क्योंकि वह भी बौटल नैक्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे एस.डी.एम. हैं, पब्लिक रिप्रजैंटेटिव्ज हैं या लोकल रिप्रजैंटेटिव्ज हैं, उन सबकी सलाह से एक प्लान बनाएं वरन् आने वाले समय में गाड़ियां खड़ी रहेंगी लेकिन मूवमैंट कोई नहीं होगा। कम-से-कम चम्बा शहर और डलहौजी टाऊन के बारे में तो मैं यह बात विशेष करके कह सकती हूं। इसके बाद टू-व्हीलर्ज़ हैं। आपको यह भी देखना होगा कि जहां आपको छोटी जगह मिलती है, कार पार्किंग नहीं बन सकती, वहां टू-व्हीलर्ज़ की पार्किंग बना दी जाए। हमारे यंगस्टर्ज़ जो बाईक्स बगैरहः लेकर जाते हैं; आप चम्बा शहर की किसी भी गली में चले जाएं, आपको पूरी गली में मोटर साईकिल पार्कड मिलेंगे। इसी तरह लोग ट्रक्स पार्क कर देते हैं। शहर में लोग सब्जियां बेजने के लिए गाड़ी लेकर आते हैं तो अनलोड करने के लिए गाड़िया पार्क कर देते हैं। यह समस्या तब तक रहेगी जब तक हम पर्याप्त पार्किंग्ज नहीं बनाएंगे। पर्याप्त पार्किंग्ज बनाने के इरादे से ही मैं यह संकल्प लाई हूं।जारी ..श्री गर्ग जी

09/04/2015/1450/RG/AG/1

अध्यक्ष : इस संकल्प पर चर्चा करने एवं उत्तर देने हेतु साठ मिनट का समय निर्धारित किया गया है। अभी श्रीमती आशा कुमारी जी ने अपना संकल्प प्रस्तुत किया है। अब श्री महेश्वर सिंह जी इस संकल्प पर होने वाली चर्चा में भाग लेंगे।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पार्किंग समस्या समाधान हेतु जो संकल्प इस सदन की माननीय वरिष्ठ एवं पूर्व मंत्री महोदया ने यहां प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने एवं उस पर चल रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज यह न केवल शहरों की समस्या रह गई है बल्कि चाहे आप नेशनल हाइवे देखिए, स्टेट हाइवे देखिए या चाहे छोटे-छोटे कस्बे देखिए, अब तो यह समस्या गांवों में भी पहुंच चुकी है। समय रहते यदि इसका निदान नहीं हुआ, तो यह विकराल रूप धारण कर सकती है। कई बार घण्टों तक पर्यटक भी इस ट्रैफिक जाम में फंसते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान नेशनल हाइवे की ओर ले जाना चाहूंगा। स्वारघाट से लेकर नेहरचौक तक ऐसी विकट समस्या है कि रात को घण्टों तक विशेषकर जब फलों का सीजन आता है, वहां ट्रैफिक जाम लगता है। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जहां-तहां गाड़ियों का खड़ा करना और उसके साथ जगह-जगह वर्कशॉप्ज हैं और वर्कशॉप्ज कई लोगों की तो अपनी जगह पर होगी, लेकिन गाड़ी रिपेयर के लिए सड़क का इस्तेमाल होता है। इसके अतिरिक्त ढाबे हैं। पता नहीं कितने ढाबों की अपनी जगह है और गाड़ियों की पार्किंग सड़कों पर होती है। मैं इसका एक ज्वलंत उदाहरण धर्मपुर का देना चाहूंगा। धर्मपुर में एक 'ज्ञानी का ढाबा' है पता नहीं वह अपनी जगह पर है या किसकी जगह पर है कि उस ढाबे के आगे इतना जमघट लगता है कि यदि वह सड़क छः लेन भी हो जाएगी, तो जगह वही इस्तेमाल करेगा। इसलिए केवल चार लेन बनने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें कहीं-कहीं हरियाणा के पैटर्न का अनुसरण करना होगा कि कोई ऐसी जगह 4-4 या 6-6 किलोमीटर के पश्चात हो जहां पार्किंग भी हो , शौचालय की व्यवस्था भी हो और वहां ढाबे भी बनें और साथ में उसकी जगह वर्कशॉप भी बन जाए। किसी को विस्थापित करने की बात नहीं है। लेकिन प्रॉपर ढंग से इन चीजों को करना है।

अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार उदाहरणतः बिलासपुर में है। विशेषकर सुबह के समय में जो वॉल्वों बसें इत्यादि पहुंचती हैं और हिमाचल पथ परिवहन निगम के पास शहर से बाहर इतनी बड़ी जगह है कि वहां कभी पहले वर्कशॉप थी, लेकिन वह भी

09/04/2015/1450/RG/AG2

अब किनारे पर है। वहां गाड़ियों में फ्यूल डाला जाता है और जब वहां पर्यटक बाहर निकलते हैं, तो शौचालय के लिए जगह नहीं है। उसके सामने जो ढाबे बने हैं वे भी सड़क साइड हैं। क्या हम उस जगह पर, यहां इस समय परिवहन मंत्री जी नहीं हैं, तो क्या हम उस जगह का उपयोग नहीं कर सकते? वहां पार्किंग नहीं बन सकती और क्या पार्किंग के साथ अंदर ढाबे नहीं बन सकते? वहां रात के अंधेरे में पर्यटकों को जंगलों में बोतल लेकर भागना पड़ता है। वहां शौचालयों के लिए भी जगह नहीं है। तो क्या इस प्रकार की जगह का हम शौचालय के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते?

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त ट्रकों को जहां-तहां लगाना गलत है। इसके लिए जगह-जगह पार्किंग होनी चाहिए और पार्किंग में अगर कोई कॉमर्शियल व्हीकल है, तो उसके चार्जिज भी लिए जा सकते हैं। अन्यथा इस समस्या का समाधान नहीं होगा। बड़े शहर हैं चाहे वह कुल्लू या मण्डी है या कोई अन्य शहर है। हमें यहां बैठकर इस समस्या के बारे में कोई-न-कोई समाधान निकालना चाहिए। रोहतांग दर्रे को टूरिस्ट ट्रैफिक सबसे ज्यादा जाता है और यह विचित्र बात है कि वहां इतना खुला मैदान होने पर भी रोहतांग पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां लोग घण्टों तक सुबह-शाम ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। इसके अलावा एक विचित्र बात और है कि कोई इन्डिविजुअल नाजायज़ कब्जा करता है, तो वन विभाग उसको नहीं छेड़ता। एक-दूसरे के सिर पर बला टालते हैं, एक कहता है कि यह रैवेन्यु का काम है और वह कहता है कि यह वन का काम है और उन्हीं जगहों पर ढाबे बने हैं, उनको कोई नहीं छेड़ता , लेकिन यदि पार्किंग या शौचालय की बात करो ,तो सर्वप्रथम उसका विरोध करने के लिए वन विभाग आता है------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

09/04/2015/1455/MS/AG/1

श्री महेश्वर सिंह जारी----------

सर्वप्रथम वन विभाग उसका विरोध करने के लिए आता है। जब तक यहां पार्किंग नहीं होगी तो टूरिस्ट भी यहां घण्टों आकर फंसते रहेंगे। तीर्थाटन में भी आप मणिकर्ण की हालत देखिए। वहां थोड़ी गुरूद्वारा वालों की पार्किंग है अन्यथा कोई स्थान नहीं है। करसोग बड़ी खुली जगह है, वहां पर पार्किंग बनाई जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि गांव भी इससे ग्रसित हैं। रामपुर की अपनी क्या हालत है कि डकोलड़ से लेकर खनेरी अस्पताल तक गाड़ियां सड़क के दोनों तरफ लगी हुई हैं। पुलिस वाले उनको हटा-हटाकर थक जाते हैं लेकिन जब जगह ही नहीं है तो गाड़ी कहां लगाएंगे? आनी सड़क छोटी सी सड़क है। वहां पर एक ने वर्कशॉप बीच रास्ते में सड़क से बाहर निकाली हुई है। सारी टूटी-फूटी गाड़ियां जो रिपेयर के लिए उसके पास आई होती हैं, वे भी सड़क में खड़ी होती हैं। जब तक इन चीजों की व्यवस्था न की जाए और मैं तो कहूंगा कि जहां-जहां पर ये वर्कशॉप्स ,होटल और ढाबे हैं, इन पर कहीं-न-कहीं रोक लगानी चाहिए। खासकर जो शहरों के बीच में हैं। कुल्लू में बस स्टैंड के पीछे देखें ,वहां भी गाड़ियों का जमघट लगा होता है। इसलिए यह एक बड़ा ही सामयिक विषय इन्होंने उठाया है। इस पर विचार होना चाहिए और इसका निदान होना चाहिए। अध्यक्ष जी, मेरा सुझाव रहेगा कि जिस बात को माननीय सदस्या ने यहां पर कहा कि इसके लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया जाए। अच्छा होगा कि जिलाधीश की अध्यक्षता में जिलाशः कोई-न-कोई कमेटी का गठन करके उसमें विचार-विमर्श किया जाए और ऐसे स्थानों को चिन्हित करे कि कहां-कहां पार्किंग बनाई जा सकती है। इसमें व्यापार मण्डल का भी सहयोग लें। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि दुकानदार अपनी दुकान के आगे गाड़ी पार्क कर देता है और अपनी दुकान में बैठे-बैठे वह देखता रहता है कि लोग ट्रैफिक में फसे हैं। जब तक सड़क में गाड़ियों का ज्यादा जमघट न लग जाए ,तब तक वह अपनी गद्दी नहीं छोड़ता। चाबी उसकी जेब में है और गाड़ी बाहर लगी होती है लेकिन वह किनारे नहीं करता। इसलिए इस प्रकार का जो व्यापारियों का काम है, उनके लिए शहर/मार्किट के नजदीक कोई पेड पार्किंग होनी चाहिए ताकि वे गाड़ी वहां लगाए। कोई भी अपनी दुकान के आगे गाड़ी न लगाए। यदि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी तो इसका हल भी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मैं इतना ही कहना चाहूंगा

09/04/2015/1455/MS/AG/2

कि जब तक इस प्रकार की जिलाधीश की अध्यक्षता में कमेटी का गठन नहीं होगा, कमेटी की मीटिंग नहीं होगी, उसको समयबद्ध नहीं किया जाता कि इतने दिनों में स्थान चिन्हित करे और उसका प्लान तैयार करे ,तब तक यह संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने कहा कि इसका कारण यह है कि जहां-जहां वर्कशॉप्स हैं और सारा काम सड़क में करना बंद नहीं होगा और जहां-कहीं गाड़ी पार्क करना जब तक बंद नहीं होगा ,तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

09/04/2015/1455/MS/AG/3

अध्यक्षः अब चर्चा में श्री कुलदीप कुमार जी भाग लेंगे।

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्या श्रीमती आशा कुमारी जी ने संकल्प यहां पर रखा गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प यहां पर लाया गया है। मैं थोड़ा सा समय लेकर इस पर अपनी बात रखूंगा।

हिमाचल प्रदेश में हम कई सालों से सोच रहे हैं कि इसको टूरिस्ट हब बनाया जाए और यहां पर टूरिज्म का बहुत पोटैंशियल है। लोग दूर-दराज़ और देश-प्रदेश से इस प्रदेश में घूमने आना चाहते हैं। लेकिन अभी उनको यहां समस्या आती है। चाहे वह पर्यटन की दृष्टि से रिलीजियस टूरिज्म हो या दूसरा टूरिज्म हो। जो दूर-दराज़ से लोग यहां घूमने आते हैं, जब उनको यहां पर ट्रैफिक की समस्या आती है तो उसको देखकर वे परेशान हो जाते हैं। जैसे माननीय सदस्य ने शिमला की बात की है। शिमला में बहुत टूरिस्ट आते हैं,

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

9.4.2015/1500/जेके/जेटी/1

श्री कुलदीप कुमारः-------**जारी**--------
शिमला में बहुत टूरिस्ट आते हैं। पहले गर्मियों में आते थे लेकिन अब सर्दियों में भी आते हैं और जब छुट्टी होती है तब भी आते हैं। सैंकड़ों लाखों टूरिस्ट यहां पर बढ़ रहे हैं। यहां पर ट्रेफिक का हाल दिन-प्रति-दिन खस्ता होता जा रहा है। इसी तरह से मनाली का,

रोहतांग का हाल है। वहां पर बहुत अच्छी सुन्दरता है वह भगवान की देन है। वहां लोग जाना चाहते हैं। वहां पर तो हालत यह है कि एक बार हमने केलांग जाना था। हमें कहा गया कि आप लोग 3 बजे निकलो तब जा करके आप रोहतांग पास कर सकोगे। वहां पर ऐसी हालत हो गई है। इसी तरह से दिन-प्रति-दिन हमारे हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट में बढौत्तरी हो रही है। हर घर में 2-3 गाड़ियों की बढ़ौत्तरी हो रही है। मैं यहां पर सिर्फ ऊना की बात करूंगा। हमारा हिमाचल प्रदेश देवी-देवताओं का प्रदेश है। ऊना जिला में काफी धार्मिक स्थान है जिनमें लोगों की बहुत आस्था है। जैसे शीतला मंदिर है, चिन्तपूर्णी मंदिर है, बाबा बड़भाग सिंह मंदिर है, सदाशिव मंदिर है और पीर निगाह है। यहां पर लाखों श्रद्धालू आतें हैं। पहले तो यह होता था कि कभी नवरात्रे हुए, होली हुई या कोई दूसरे अवसरों पर टूरिस्ट्स आया करते थे, लेकिन अब तो कोई भी छुट्टी हो, इन जगहों पर टूरिस्ट पहुंच जाता है। रोज़-ब-रोज़ टूरिस्ट व श्रद्धालु बढ़ता जा रहा है। इनमें जो पार्किंग की समस्या है उसमें बढ़ौत्तरी होती जा रही है, जो कि एक बहुत गम्भीर समस्या है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि इन्होंने हमें चिन्तपूर्णी में एक 45 करोड़ रूपए का पार्किंग प्रोजैक्ट दिया। वह बड़ी तेज़ी से बन रहा है। जब वह तैयार हो जाएगा उसमें 500-600 गाड़ियों का प्रावधान हो जाएगा। वहां पर सड़कों पर जो लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं जिससे ट्रेफिक की समस्या खड़ी हो जाती है। वहां उस पार्किंग के बनने से उस समस्या का समाधान होगा। इसी तरह से जो हमारे दूसरे धार्मिक स्थान है। बाबा बड़भाग सिंह मेड़ी में है वहां पर जब मेले लगते हैं तो वहां पर पंजाब से बहुत ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। वहां पर लोग सड़कों पर गाड़ियां खड़ी करके ट्रेफिक की समस्या उत्पन्न कर देते हैं। मैं यही सुझाव दूंगा कि जैसा चिन्तपूर्णी में पार्किंग का प्रोजैक्ट टूरिज्म डिपार्टमैंट की

9.4.2015/1500/जेके/जेटी/2

तरफ से बन रहा है। ऐसा ही जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं या जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहां का मास्टर प्लान बना करके केन्द्र सरकार को भेजा जाए ताकि जो दिन प्रति दिन ट्रेफिक की समस्या बढ़ रही है उसका हल हो सके। पार्किंग के लिए लोग पैसा देने के लिए भी तैयार हैं ताकि उनका समय बचें। ऐसी पार्किंग बनाई जाएं। वे चाहे केन्द्र सरकार की मदद से हो चाहे राज्य सरकार की मदद से हो। आने वाले दिनों में इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट भी बढ़ेगा और ट्रेफिक का भी समाधान

होगा। आपने समय दिया आपका धन्यवाद। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

9.4.2015/1500/जेके/जेटी/3

अध्यक्षः अब श्री सुरेश भारद्वाज जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुरेश भारद्वाजः आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन की वरिष्ठ सदस्या और पूर्व में शिक्षा मंत्री रही आदरणीय श्रीमती आशा कुमारी जी, इन्होंने बहुत ही सामायिक विषय पर प्रस्ताव रखा है। सम्पूर्ण विश्व में यह समस्या आज भयंकर रूप धारण कर रही है। हिन्दुस्तान में किसी भी बड़े शहर में जाओ अब तो एफ.एम. रेडियो पहले एनाऊंस करते हैं कि इस रोड़ पर मत जाइए क्योंकि इस रोड़ पर जाम लगा है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

09.04.2015/1505/SS-JT/1

श्री सुरेश भारद्वाज क्रमागतः

और बाकी प्रदेशों में बड़े-बड़े महानगरों में इस प्रकार की स्थिति हो तो बात समझ में आ सकती है लेकिन हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी प्रदेश में उसके जो छोटे-छोटे स्थान हैं, छोटे-छोटे नगर हैं, वहां भी पार्किंग की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। चार-पांच साल पहले हम पी0ए0सी0 के टूअर पर काजा गए तो काजा में भी मेन जगह पर गाड़ियां लगाने के लिए जगह नहीं थी। गाड़ियां-ही-गाड़ियां खड़ी थीं। हालांकि कई बार दोनों तरफ से रास्ते खराब होते हैं वहां पर बाहर से पहुंचना भी मुश्किल होता है। यहां पर शिमला की बात आदरणीय आशा कुमारी जी ने की। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल है और वास्तव में सच कहें तो अगर आशा जी बाहर जाकर हिमाचल प्रदेश का कहेंगी तो कोई नहीं जानेगा, शिमला का कहेंगी तो इनको सब पहचानेंगे। इसलिए शिमला में जो पार्किंग की बहुत गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है उसकी ओर ध्यान देना मैं समझता हूं कि सरकार का और लोकल अथोरिटीज़ का आज प्रमुख उद्देश्य हो गया है। आज शायद इनको बहुत सारे काम इनके कांस्टीचुऐंट बताते हैं लेकिन शिमला में या तो ट्रांसफर या फिर पार्किंग दो प्रमुख चीज़ें रहती हैं। स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है। अब तो सर्कुलर रोड पर आई0एस0बी0टी0 नया बन गया है। टूटीकंडी में बाईपास पर बना है। सोचा यह गया था कि उसके बाहर जाने से शिमला में जो ओल्ड बस स्टैंड है उस ओर ट्रांसपोर्टेशन की

समस्या कम होगी लेकिन आज तो विधान सभा में जो विधायक सदन है वहां से आप अक्सर देख सकते हैं कि लम्बी-लम्बी लाइनें विक्टरी टनल से ले करके 103 टनल तक लगी रहती हैं। यहां भी अगर आपको ठीक समय पर कहीं पहुंचना है तो कम-से-कम आपको आधा-पौना घंटे का गैप छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर आप समय की कैलकुलेशन करके जायेंगे तो आप समय पर अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच सकते। पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति है। हम धर्मशाला जाते हैं तो वहां पर भी गाड़ियों की इसी प्रकार की मुश्किल आती है। लेकिन चूंकि अभी वहां पर बहुत सारा स्थान ऐसा है जहां पर मकान नहीं बने हैं इसलिए उतनी भयंकर समस्या नहीं लगती है। आप सोलन में जाईये। रोहडू जाईये। रोहडू में आपको पीछे बडयारा से ले करके दूसरी साइड कासाकोटी तक और इस साइड जब आप पटसारी से ही चलते हैं तो आपको रोहडू तक सड़क के दोनों किनारों पर वाहन मिल जायेंगे। वहां कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। हमारे विधायक, मोहन लाल जी प्रश्न लगाते रहते हैं कि वहां पार्किंग कब बनेगी। तो ऐसे-ऐसे छोटे स्थानों पर भी

09.04.2015/1505/SS-JT/2

आज बहुत मुश्किल हो गई है और धार्मिक स्थान हैं जिनका प्रस्ताव में भी वर्णन किया है उसके लिए मास्टर प्लान बनना चाहिए चाहे हाटेश्वरी माता का मंदिर है, सराहन में भीमाकाली का मंदिर है या सारे बड़े-बड़े शक्तिपीठ हैं, ज्वालामुखी, चिन्तपुरनी या बाबा बालक नाथ जैसे स्थान हैं, उन स्थानों पर जब तक मास्टर प्लान बना करके पार्किंग की व्यवस्था के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाये जायेंगे तो यह समस्या गम्भीर-से-गम्भीर हो जायेगी। मैं समझता हूं कि पार्किंग से बढ़ करके आवश्यकता इस बात की है कि प्रॉपर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाई जाए। जब तक शहरों में आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्ट्रैंथन नहीं होगा, वह ठीक से काम नहीं करेगा तो लोग प्राइवेट गाड़ियां यूज करते रहेंगे। आप अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम दीजिए। अगर आप टाइम पर चलने वाली बसें शिमला में लगायेंगे तो उसमें स्कूलों के बच्चे भी जा सकते हैं। ऑफिसर या दूसरे जो इम्प्लॉईज़ हैं वे अपनी गाड़ी घर में रखेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जायेंगे। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं होता है, अच्छी बसें नहीं होती हैं, टाइम पर चलती नहीं हैं, टाइम के बाद चलती हैं तो आप टाइम पर पहुंच नहीं सकते इसलिए लोगों को अपनी गाड़ी लेकर जाना पड़ता है और फिर वे जाम में फंस

जाते हैं। जिस स्थान पर जाते हैं वहां जाम हो जाता है। अब शिमला में सैंटएडवर्ड में मैक्सिमम बड़े-बड़े अफसरों के और बहुत पैसे वाले दूसरे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं..

जारी श्रीमती के0एस0

/1515/09.04.2015केएस/जेटी/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी---

शिमला के सैंट एडवर्ड स्कूल में अधिकतर बड़े-बड़े ऑफिसरों और पैसे वाले लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और जब वहां सुबह स्कूल लगता है और जब दिन को एक-दो बजे छुट्टी होती है तो आप उस रास्ते से जा ही नहीं सकते हैं। वहां गाड़ियों की वजह से जाम लगा होता है। हिमलैंड और टॉलैंड के बीच में दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी रहती है और एक बच्चे को ले जाने के लिए एक गाड़ी आती है जिसके कारण वहां पर जाम लग जाता है। फ्यूल का खर्चा व बाकी जो खर्चा होता है ,वह अलग बात है । वहां पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल वाले अंदर एक भी गाड़ी नहीं ले जाने देते। ताराहॉल में तो व्यवस्था हो गई है। वहां पर बस जाती है तो बस अंदर से मुड़ती है लेकिन सैंट एडवर्ड वाला हाथ भी नहीं लगाने देता और उसके अंदर एक इंच भी नहीं जा सकते तो गाड़ी मोड़ने को वहां पर जगह नहीं मिलती। माननीय बाली जी, यहां पर बैठे हैं, इनके पास 1300 बसें केन्द्र की एनडीए सरकार ने इनको दी हैं। मुफ्त में वे बसें आई है, इनका तो सिर्फ डीज़ल ही लग रहा है और केन्द्र सरकार ने वह भी सस्ता कर दिया है। अगर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर लोकल बसिज़ को अच्छी बसें बना दें और आप आई.ए.एस. कॉलोनी से भी बसें लगाएं, परिमहल से लगाएं, स्कूल के बच्चों के लिए भी अच्छी बसें चलें और अगर हो सके तो बाकी लोगों के लिए भी ताकि अपनी सरकारी गाड़ियों का यूज़ किसी और काम के लिए करें तो मैं समझता हूं कि इससे पार्किंग की समस्या कम हो सकती है। बाकी आपके पास पार्किंग के जितने स्थान है, जहां स्थान है वहां पर तो आप सीधी पार्किंग बना सकते हैं और जहां कम

/1515/09.04.2015केएस/जेटी/2

स्थान है वहां मल्टी स्टोरी पार्किंग बना सकते हैं। शिमला में जितनी भी पार्किंग है, मा0 मंत्री जी ने जो जवाब भी दिया था, 619 गाड़ियों की पार्किंग बनी और वह सब की सब हमारी सरकार के समय में, मा0 धूमल जी जब मुख्य मंत्री थे, तब बनी थी और अब भी

जो तीन पार्किंग है, जिसमें से एक का शिलान्यास आज हो रहा है वह पार्किंग भी हमने पी.पी.पी. मोड पर बनवाई लेकिन उसका उद्घाटन भी जब यहां पर प्रश्न लगा, तब जाकर आज करने जा रहे हैं और वह भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। बाकी लिफ्ट के पास बनने जा रही है, छोटा शिमला में बन रही है। इसके अलावा बहुत बड़ी-बड़ी चार पार्किंग और हैं जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के पास पिछले 6-7 सालों से पड़ी हैं। उसके लिए न तो पैसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास और न सरकार के पास होगा पार्किंग बनाने के लिए इसलिए आप इसको बी.ओ.टी. या पी.पी.पी. मोड पर बनाएंगें तो आपकी बहुत बड़ी समस्या हल हो सकेगी। इसी के साथ जो आपके मकानों की पॉलिसी है, उसमें नए मकानों में जब तक पार्किंग नहीं होगी, जो कि सड़क के साथ बनते हैं, उसमें बिना पार्किंग के परमिशन मत दीजिए और पार्किंग के लिए अगर दो फ्लोर आपको एक्स्ट्रा भी देने पड़ते हैं तो आपको लाभ ही होगा। फिर बहुत सारे स्थानों पर तो आप सीमेंट की, कंकरीट की पार्किंग बना ही नहीं सकते। आपके पास इस प्रकार के स्थान है जहां पर आपको मल्टी स्टोरी पार्किंग अगर बनानी है तो उसमें आपको स्टील फैब्रिकेशन की पार्किंग बनानी पड़ेगी। बॉम्बे आदि स्थानों में अब लिफ्ट की तरह पार्किंग है। गाड़ी खड़ी करो और ऊपर आपकी गाड़ी चलती है तो

/1515/09.04.2015केएस/जेटी/3

इस प्रकार की टैक्नोलॉजी और इस प्रकार के लोगों को ढूंढें तो मेरे ख्याल में यहां पर गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था करने में आसानी हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, शिमला शहर में तो हर वार्ड में पार्किंग के स्थान चिन्हित किए हैं लेकिन सारी फोरैस्ट लैंड है । फोरैस्ट लैंड पर परमिशन ही नहीं मिलती और अगर मिल जाए तो आपके पास पैसा नहीं होता है इसलिए आप बी.ओ.टी. पर या पी.पी.पी. मोड पर या एम.पी., एम.एल.ए. वगैरह का जो पैसा आता है, हमारी राज्यसभा की सांसद श्रीमती विमला कश्यप ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आज से चार-पांच साल पहले 10 लाख रुपए दिए थे । अनाज मण्डी में डी.डी.यू. हॉस्पिटल के साथ पार्किंग बननी थी । उस वक्त 10 लाख रुपये दिए थे लेकिन उनके पास सर्वे करने वाला और ऐस्टिमेट बनाने वाला ही कोई नहीं है । ऐस्टिमेट बनाने के लिए हिमुडा को दे दिया और हिमुडा ने ऐस्टिमेट बनाने के ही पांच लाख रुपये ले लिए जबकि वह गवर्नमैंट की एजैंसी है। तो पार्किंग कहां से बनेगी और उसके बाद पांच साल में उसकी लागत बढ़कर कहते हैं कि

अब तो वह 80 या 90 लाख रुपये से कम में नहीं बनेगी। तो इन चीजों पर अगर प्रॉपर चैक व प्रॉपर गौर नहीं करेंगें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, पंचायतों को या बाकी बॉडीज़ को जो इस प्रकार के फंड डिपोज़िट वर्कस के भी आते हैं उनको वे किसी और काम में खर्च कर देते हैं और जिस काम के लिए वह दिया जाता है वह नहीं होता है तो बाद में मंहगाई बढ़ जाती है और वह काम नहीं हो पाता है तो इसकी ओर अगर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगें।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

9.4.2015/1515/av/ag/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी -------

ध्यान देंगे, क्योंकि शहरों में अर्बन डिवैल्पमैंट है। अर्बन डिवैल्पमैंट के लिए प्रोपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और प्रोपर पार्किंग की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। आप आज संजौली जा रहे हैं, आपको सेंटबीड्ज से लेकर संजौली तक दोनों तरफ गाड़ियां मिलेंगी। संजौली से अगर आप आई.जी.एम.सी. आयेंगे तो आपको दोनों तरफ गाड़ियां मिलेंगी। वहां पर पार्किंग के लिए कोई स्थान ही नहीं है। संजौली में निचली साइड 16 नम्बर वार्ड है और वहां पर कहीं से भी गाड़ी नहीं जाती है। अब लोगों के पास गाड़ियां हैं तो उन्होंने कहीं-न-कहीं खड़ी करनी है। अब खड़ी करने के लिए अगर स्थान नहीं होगा तो उसके लिए मुश्किल होगी। वहां पर बहुत सालों से पार्किंग के लिए जेबियर स्कूल की साइड को एक स्थान है ,आज मुख्य मंत्री जी वहां जा रहे हैं। उसकी एफ.सी.ए. भी क्लीयर हो गई है। उसके लिए आप पैसे का प्रबंध कर दें या उसको किसी ओर मोड में तैयार करें। वहां दूसरी साइड को एक और पार्किंग बन सकती है। वहां एक मल्टी स्टोरी पार्किंग ऐक्रोस द रोड बन सकती है। मैं समझता हूं कि वहां पर एक बहुत अच्छी पार्किंग बन सकती है। आज शिमला की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक कनजैशन, यहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और यहां का पार्किंग सिस्टम है।

श्रीमती आशा कुमारी जी ने बहुत ही सामायिक विषय पर यह प्रस्ताव लाया है। विशेषकर शहरों के लिए यह बहुत ही कारगर साबित होगा। अर्बन डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट बैठकर पूरे प्रदेश के लिए एक मास्टर प्लान बनाएं और उसमें वह स्थान चिन्हित कर दें। जैसे शिमला में आपने हर वार्ड के लिए एक-एक स्थान ढूंढा है। अब बनेगी या नहीं बनेगी वह बाद की बात है। मगर आपने कुछ स्थान चिन्हित तो किए हैं। इसी प्रकार पूरे प्रदेश के लिए पार्किंग का मास्टर प्लान बन जाए तो अच्छा रहेगा। प्रदेश

के किसी भी शहर में हम जाते हैं तो निकल नहीं सकते हैं। हमीरपुर में तो अब एक बाईपास हो गया है इसलिए आप बाईपास से निकल जाते हैं। अब वहां पता नहीं चलता है मगर यदि आप मण्डी जाओ या प्रदेश के किसी दूसरे शहर में जाओ तो

9.4.2015/1515/av/ag/2

पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इस समस्या का समाधान यदि हम पार्किंग तथा ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दृष्टि से मास्टर प्लान बनाकर करेंगे मैं समझता हूं कि हम शहरों में कुछ अगले वर्षों के लिए इस समस्या का समाधान करने में सफल हो सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

9.4.2015/1515/av//3

अध्यक्ष : अनिरुद्ध जी, कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें। अभी मंत्री जी ने जवाब भी देना है और 5.00 बजे अपराह्न सदन का समय भी समाप्त हो रहा है।

Shri Anirudh Singh : Speaker Sir, earmark & construct parking's at district headquarters and places of religious and tourist importance के विषय पर चर्चा हेतु आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

पूरे प्रदेश में हर रोज तकरीबन 200 गाड़ियां रजिस्टर होती है। एक साल में लगभग 7000 से 10000 तक गाड़ियां रजिस्टर हो रही है। परंतु यह बात भी ठीक है कि इतनी पार्किंग का निर्माण समय रहते नहीं हो रहा है। यदि ऐसे ही रहा तो एक समय ऐसा आयेगा जब हिमाचल में हा-हाकार मच जायेगी। आज उपयुक्त समय है कि we have to act fast on this. इसके लिए जो टूरिस्ट प्लेस, मंदिर या जिला हैड क्वार्टर इत्यादि है जिसमें मुख्य शिमला और कुसुम्पटी क्षेत्र है। मैं इसके लिए यह कहना चाहूंगा कि जब तक विभागों की आपस में कोर्डिनेशन नहीं होगी तो ये जितने भी प्रोजैक्ट हैं, डिले होते रहेंगे। इसमें टी.सी.पी, टूरिज्म और फॉरैस्ट मेनली हैं। जैसे महेश्वर सिंह जी ने कहा कि कोई ढाबा बना दे तो उसको कुछ नहीं कहा जाता परंतु यदि कोई वहां पर गाड़ी खड़ी कर दे तो फॉरैस्ट वाले तुरंत आ जाते हैं। एक और बहुत गम्भीर समस्या है,

क्योंकि सरकार कड़े आदेश कर रही है कि ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए वन-वे किया जाए। मगर जहां-जहां वन-वे ज्यादा है जैसे शिमला या कुसुम्पटी में, वहां साइड में पार्किंग भी साथ-साथ शुरु हो जाती है। अगले दिन से ही पार्किंग शुरु हो जाती है जिसके कारण सड़क और छोटी हो जाती है। माननीय मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे कुसुम्पटी क्षेत्र में कई जगह पार्किंग बनी भी हैं, शिमला में भी बनी है परंतु मैं आपके ध्यान में कुछ लाना चाहूंगा। कुसुम्पटी बाजार की एक पार्किंग है। उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं आदेश किए थे मगर मुझे बड़े दुःख के साथ

श्री बी जे द्वारा जारी

09.04.2015/1520/negi/ag/1

श्री अनिरूद्ध सिंह ..जारी...

परन्तु मुझे अधिकारियों की जो कार्यशैली है उसपर दुःख होता है। उन्होंने उल्टा चिट्ठी लिख दी कि एक स्कूल है जो ऑलरेडी रेवेन्यु के नाम है, साथ में पटवारखाना है। कुसुम्पटी का जो पटवारखाना था पहले वह दूसरी जगह था लेकिन उसको वहां पर शिफ्ट किया गया है। उस बिल्डिंग में पटवारी रह रहा है और घोड़े रह रहे हैं। उसके लिए चिट्ठी लिखी गई कि इस स्कूल को तोड़ करके ऑफिस बनाया जाए। हमने बोला कि वहां पर पार्किन्ग बनाओ। राजा साहब, यह एक बहुत गम्भीर विषय है और इसमें आपको तुरन्त इन्टरवीन करने की आवश्यकता है। एटलिस्ट 200 गाड़िया उस पार्किंग में खड़ी हो पाएंगी। उन्होंने एक बहाना और बनाया कि 12 लाख रूपये उस पटवारखाने के 2 मंजिलों पर लगे हैं और इसको बने हुए 10 साल हो गए हैं इसलिए इसको तोड़ा नही जा सकता। मैं चाहूंगा कि आप इस मुद्दे को इमिडिएटली कैबिनेट में ले करके जाएं ताकि स्थानीय लोगों को वहां पर पार्किंग की सुविधा मिल सके। जो-जो पार्किंग आपके आशीर्वाद से बनी हैं ,चाहे लिफ्ट की पार्किंग है, परन्तु देखा गया है कि जहां-जहां बड़ी-बड़ी पार्किन्ज भी बन रही है वहां ट्रैफिक जाम और होने लग गया है क्योंकि गाडियां अन्दर जानी है और बाहर निकलनी है। अभी लिफ्ट पर आप पार्किंग बना रहे हैं उसकी कैपेसिटी 700 गाडियों को पार्क करने की है परन्तु वहां पर कम से कम 1200 गाडियां खड़ी होंगी। आप समझ सकते हैं कि टूरिस्ट सीजन में अगर 1200 गाडियां अन्दर-बाहर होंगी तो वहां पर परमानेन्ट ही जॉम लगा रहेगा। मेरा एक और सुझाव भी है, एक अल्टरनेट रोड, लिफ्ट से लेकर हाईकोर्ट तक बन सकता है। गाडियां स्टील स्ट्रक्चर रोड़ पर वहां से जा सकती हैं। साथ ही, ऐसा ही ढली की पार्किन्ग है। डी.सी. ऑफिस में

भी पार्किन्ग बन सकती है परन्तु डी.सी.ऑफिस के पास जो ज़मीन है वह सी.पी.डब्ल्यू.डी. की ज़मीन है। वहां पर भी लगभग 500 गाडियों की पार्किन्ग बन सकती है। आज से 10-12 साल पहले इसपर चर्चा भी हुई थी और कार्य भी शुरू हुआ था परन्तु कार्य आगे नही बढ़ सका। इसमें भी गम्भीरता से विचार करने की बात है । विकासनगर में जो पार्किन्ग बन रही है उसका भी बहुत जल्दी शिलान्यास होने वाला है। एक और बात,

09.04.2015/1520/negi/ag/2

यहां पर शहरी विकास मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, जो एस.डी.ए. कॉम्पलैक्स है, वहां पर सबसे ज्यादा रश रहता है, ट्रैफिक जाम रहता है। मेरा सुझाव है कि वहां पर जितनी भी सरकार बिल्डिंग्ज़ हैं, जिस टाईम वह कॉम्पलैक्स बनाया गया था, आर्किटैक्ट ने सोचा नही था कि वहां पर इतनी गाड़ियां हो जाएंगी । तो वहां पर जितनी भी सरकारी बिल्डिंग हैं उनकी एक-एक मंजिल तोड़ करके पार्किन्ग में कंवर्ट किया जाए और चाहे तो गवर्नमैन्ट उनमें एक-एक मंजिल और ऐड कराए। एस.डी.ए. कॉम्पलैक्स कुसुम्पटी में जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्ज़ हैं वे सारी रोड़ के साथ कनैक्टिड हैं। वहां पर कोई भी ऐसा ब्लॉक नही है जो रोड़ से कनैक्ट नही है। परन्तु उनकी गाड़ियां बाहर सड़क पर रहती हैं। उन भवनों के ग्राउंड फ्लोर जिसमें ऑफिसिज़ हैं उनको पार्किन्ग में कंवर्ट किया जाए। एक और मंजिल उन भवनों में ऐड-ऑन किया जाए क्योंकि उन भवनों का स्ट्रक्चर एक मंजिल को विद-स्टैंड कर लेगा। साथ ही, एस.डी.ए. कॉम्पलैक्स के साथ जहां विकास नगर को ज्वाइंन होता है वहां पर बहुत उतराई है और वहां पर 400-500 गाडियों की बढ़िया पार्किन्ग बन सकती है। मैंने पी.डब्ल्यू.डी. विभाग को यह साईट भी दिखाई थी । इसपर भी कार्य किया जाए। राजा साहब, एक और मुख्य पार्किन्ग सिमिट्री में है जिसका आपने स्वयं गाड़ी से उतर करके निरीक्षण किया और यह माननीय मंत्री जी के ध्यान में भी है। सिमिट्री में पी.डब्ल्यू. डी. की बिल्डिंग है जो ड्राइवर्ज़ को अलॉट हुआ है परन्तु पी.डब्ल्य.डी. के ड्राइवर्ज़ उसमें नही रहते हैं, उन्होंने आगे सबलैट किया हुआ है। उस बिल्डिंग को तोड़ा जाए। इस केस को भी कैबिनेट में ले जाया जाए क्योंकि बिना कैबिनेट के यह संभव नही है। साथ ही, कुफरी, नालदेरा और ऑकलैंड टनल के बैकसाइड में पार्किन्ग का तुरन्त प्रावधान किया जाए, वहां पर जगह भी है। राजा साहब, एक बहुत अच्छा सुझाव है, कोई भी निजी भूमि वाले को सर्कुलर रोड़ या पी.डब्ल्यू.डी. रोड़ के साथ भवन बनाने की परमिशन नही दी जाती है और उसको पार्किन्ग बनाने की

परमिशन भी नही दी जाती है। मेरा यह सुझाव है, पूरे प्रदेश में अगर गवर्नमैन्ट चाहे उन लोगों को जिनकी सड़क के साथ ज़मीन है, स्टील स्ट्रक्चर के लिए ताकि उसमें वह अपनी निजी गाड़ी खड़ी कर सके, उसके लिए इमिडिएटली

09.04.2015/1520/negi/ag/3

परमिशन दें। उसमें इतनी फार्मेलिटीज न हो,सिर्फ ज़मीन के कागज़ लगे और साथ में एफिडेविट लें कि जब भी गवर्नमैन्ट चाहे रोड़ बढ़ाने के लिए या रोड़ चौड़ा करने के लिए तो पार्किन्ग तोड़नी पड़ेगी। यह बहुत अच्छा सुझाव है। इस तरह से कम से कम 10 हजार गाड़ियों की पार्किन्ग की समस्या इमिडिएटली सुलझेगी, at owners own cost. इसमें सरकार का ....

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

152/09.04.20155/यूके/एजी/ 1

श्री अनिरूद्ध-- जारी-----

इसमें सरकार का कोई काम नहीं है । साथ ही एक और सुझाव देना चाहूंगा क्योंकि बड़े-बड़े बस स्टैंड बन रहे हैं, बाली साहब, बड़े-बड़े बस स्टैंड बनवा रहे हैं, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि ढली में भी एक बस स्टैंड बन रहा है परन्तु बी0ओ0टी0 या पी0पी0पी0 मोड पर जो बन रहे हैं, लोग उन प्रोजेक्टों को लेने को आज इच्छुक नहीं है । क्योंकि उसकी फारमेलिटीज़ ही इनती है कि जब तक वह प्रोजेक्ट पब्लिश होता है तब तक 50 लाख रुपए का ऐस्टिमेंट 80 लाख या एक करोड़ तक पहुंच जाता है । सरकार पहले फारमेलिटीज़ करे फिर BOT या PPP मोड पर पार्किंग या अन्य जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं वे पब्लिश करें ।

आखिर में साथ ही मैं थोड़े सुझाव हैं जो मैं देना चाहूंगा । Give permission of elevated parking with no setback. एक मेनडेटरी पार्किंग के लिए TCP विभाग नोटिफिकेशन करे । सारी बिल्डिंग के लिए जो सड़क के किनारे आती हैं उनको मेनेडेटरी पार्किंग करें । साथ ही एक मंजिल की जगह उसको दो मंजिल दें उसकी हाईट कम कर के और वह FAR से ऐग्ज़म्प्ट हों । इसके अलावा क्योंकि एक ट्रांसपोर्ट का कानून भी आ रहा था, अभी वह आया नहीं, एक कानून होना चाहिए, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में भी लाना चाहूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है । क्योंकि आज

कल जिनके पास पैसे हैं और घर में यदि 4 सदस्य हैं तो सबने दो-दो गाड़ी रखी है । एक-एक घर में 8-8 गाड़िया होने जा रही हैं । इसलिए जैसे गाड़ी खरीदने के लिए चाईना, अमेरिका, जापानर, सिंगापुर में कानून है, उसकी फीस ही इतनी है कि वन टाइम फीस है, वह लाईसैंस है, वह लाईसैंस आप वन टाइम लेंगे उसी लाईसैंस पर आप जब दूसरी गाड़ी खरीदेंगे तो उसमें आपको वह नहीं लेना पड़ेगा । दो गाड़ी की परमिशन हो । दो गाड़ी के लाईसैंस दिए जाएं प्रति घर को तब जा कर कहीं हमारा ट्रैफिक कंट्रोल हो पाएगा । जो एक बहुत अच्छा सुझाव है । साथ ही विदेशों में जैसे जापान या सिंगापुर में भी है प्लाइंग ऑन ऑल्ट्रनेट डेज़ । वहां गाड़ियां ऑल्ट्रनेट डेज़ में प्लाई होती है, हफ्ते में 3 दिन वह खड़ी रहेंगी, 3 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ेगा । ऐसा कानून हम लोग भी ला सकते हैं । क्योंकि सीज़न में तो जितनी गाड़िया हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, उससे दुगुनी गाड़िया टूरिस्टों की भी आती हैं तो एटलीस्ट हम लोग हिमाचल की गाड़ियों पर यह आल्ट्रनेट डेज़

152/09.04.20155/यूके/1

का अंकुश लगा सकते हैं । एटलीसस्ट हफ्ते में एक दिन प्राईवेट गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए । जैसे न्यू शिमला या हिमाचल प्रदेश के अन्य एरिया हैं वहां जो सड़क के साथ मकान है और जिनकी ऑलरेडी मंजिलें ऐलीवेट हैं, उन्होंने नक्शा पास कराने के लिए ऐप्लाई करना है, वह अभी बन्द है । परन्तु वह खुल सकें, जैसे न्यू शिमला में हर बिल्डिंग में पार्किंग है, परन्तु अगर वे खोलेंगे तो उन पर केस हो जायेगा । तो कोई ऐसा कानून लाएं कि वे उसे खोल सकें और उनकी गाड़ी जो सड़क पर खड़ी होती है वह उनके घर के अन्दर खड़ी हो सके और ट्रैफिक जाम से भी निजात मिल सके । मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो भी काम है राजा साहब, this should be done on war foot ताकि आने वाली पीढ़ी 5 साल बाद हमें याद करेंगी क्योंकि मैं टी0वी0 पर देख रहा था कि दिल्ली में एक घोड़ा और गाड़ी इकट्ठे चलाए तो घोड़ा गाड़ी से जल्दी पहूंच गया क्योंकि ट्रैफिक ही इतना था । तो ऐसा समय हम हिमाचल या शिमला में नहीं देखना चाहते । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति दी मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे ।

एसएलएस द्वारा जारी----

09.04.2015/1530/sls-ag-1

मुख्य मंत्री :अध्यक्ष महोदय, श्रीमती आशा कुमारी जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है, यह बहुत सामयिक है। आज हमारे नगरों में, चाहे बड़ा नगर हो या छोटा नगर हो, खासकर हमारे शिमला के अंदर जो प्रदेश की राजधानी है ,तथा कई जिलों में स्थित मंदिरों के पास भी यह पार्किंग की समस्या उत्पन्न हुई है। जैसे-जैसे अर्बनाईजेशन हो रहा है, शहर बढ़ रहे हैं ,आबादी विशेषकर शहरों में एकत्रित हो रही है, वहां पर यह समस्या गंभीर रूप ले रही है। इसका समाधान करना बहुत आवश्यक है ताकि आगे चलकर इस समस्या से न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि जो टूरिस्ट्ज बाहर से आते हैं, उनको भी कोई कठिनाई न हो।

Respected Speaker, Sir, I appreciate the concern of the Hon'ble Member that parking for vehicles has emerged as an important issue and infrastructure for this purpose needs to be developed with the pace of growth and requirements of time. I would like to apprise the Hon'ble House that different departments of the Government like Tourism, Urban Development, Town & Country Planning, PWD, and Transport etc. have already started working in this direction.

The Department of Tourism has already constructed 52 parkings in different parts of the State and work on 15 parking sites is in progress. The Department is also working on providing wayside amenities in Shivalik and Dhauladhar circuits. 28 places throughout the Statehave been identified where wayside amenities are being constructed to facilitate the tourists. In addition, mega parking at Shimla, Dharamshala and Dalhousie are being constructed. Parking facilities for about 1000 vehicles is being constructed at Shri Naina Deviji, Chintpurni, Kangra and Pong Dam. Being capital of the State and important tourist destination, parking for about 2500 vehicles is being constructed in different parts of

09.04.2015/1530/sls-ag-2

Shimla town. I am pleased to inform that the Department of Tourism is preparing 20-year Perspective Tourism Master Plan in which parking and wayside amenities are the major components. HPIDB is also examining development of 13 parking sites in PPP mode in different parts of the State. Hon'ble Members are aware that we have kept a budget provision of Rs. 15 crores this year for parking facilities for supporting 50 per cent of the project cost. The Government is examining the proposal of multi-level parking in shopping complexes and big buildings. There is a need for strict enforcement of mandatory parking in the building abutting roads.

It is true that with the increase in vehicle population, we have to plan for parking facilities not only at State and District level but parking facilities need to be provided at micro levels also. Keeping this in view, a proposal has been submitted to Government of India for developing parkings at District and Sub Division level throughout the State.

Hon'ble Members will appreciate that this issue concerns various agencies and a coordinated effort would be required to overcome the problem. There are issues concerning land, funding, forest clearances etc. The Government would constitute a Committee consisting of members from concerned departments to prepare a Perspective Plan for development of parkings in different parts of the State. Necessary mapping for this purpose shall be done. The Urban Development Department shall be the nodal Department and shall submit the report in a time bound manner.

09.04.2015/1530/sls-ag-3

From this it would be clear that the Government is taking effective steps for providing parking facilities throughout the State and will strive to do so in future also.

In view of this, I would request the Hon'ble Member to withdraw this Resolution.

But before doing so, one or two points have been raised by some Hon'ble Members. Hon'ble Member from Kasumpti, Shri Anirudh Singhji has made some specific recommendations. We will keep that in mind. One is near Sanjauli Tunnel below Cemetery. I have visited the site along with him and that is one of the possible places where big parking complex can come up and we will certainly take action about it. He has also suggested about some other parking areas at SDA Complex and other places. That will also be kept in mind. Thank you very much.

Concluded.

Continued by RG . . .

09/04/2015/1535/RG/AG/1

अध्यक्ष : तो क्या माननीय सदस्य श्रीमती आशा कुमारी जी माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए अपना संकल्प वापस लेने के लिए तैयार हैं?

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगी कि जो इन्होंने टाइमबॉण्ड मैनर में शहरी विकास विभाग को नोडल एजेन्सी बनाकर पूरे प्रदेश में पार्किंग की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है और इसके अतिरिक्त जो इन्होंने बजटरी प्रोवीजन्ज रखे हैं। इन बातों को देखते हुए, क्योंकि मेरी मन्शा भी यही थी कि यह हो। जब इन्होंने इसको मान ही लिया है ,तो मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं।

अध्यक्ष : तो क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प को वापस लिया जाए?

(प्रस्तार स्वीकार)
संकल्प वापस हुआ।

अब श्री सुरेश कुमार जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं। 'यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीति बनाई जाए।'

अध्यक्ष : संकल्प प्रस्तुत हुआ कि 'यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीति बनाई जाए।' इस पर श्री सुरेश कुमार जी आप बोलिए।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, पर्यटन आज पूरे विश्व में दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है। जहां विश्व में तेल से सबसे ज्यादा वर्ल्ड इकॉनॉमी आती है वहीं आज पर्यटन दूसरे नंबर पर है। अन्य उद्योगों की तरह आज पर्यटन भी एक उद्योग बन चुका है। क्योंकि पर्यटन से लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। एक चाय वाले या ढाबे वाले से लेकर, चाहे होटल इण्डस्ट्रीज है ,एयरलाइन्ज हैं ,अन्य ट्रांसपोर्ट है या रेलवेज है। बहुत से लोग टूरिस्ट गाइड्ज हैं, किसान हैं ,सभी लोगों को पर्यटन से आज रोजगार मिल रहा है। आज विश्व में पर्यटन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है ,

09/04/2015/1535/RG/AG2

देश और प्रदेशों में भी आज पर्यटन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और देश में भी पर्यटन आर्थिकी का बहुत बड़ा साधन है। जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है ,यहां भी पर्यटन में लगातार वृद्धि हो रही है--------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

09/04/2015/1540/MS/AG/1

श्री सुरेश कुमार जारी----------

जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है ,यहां भी पर्यटन में लगातार वृद्धि हो रही है और आज सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत पर्यटन से हिमाचल प्रदेश को आता है जोकि

हमारी परम्परागत कृषि से जो सकल घरेलू उत्पाद है, उससे भी अधिक है। पर्यटन पर अगर 10 लाख रूपये का खर्च किया जाता है तो इससे लगभग 50 लोगों को रोजगार मिल जाता है जबकि कृषि में इतने ही खर्च पर मात्र 45 लोगों को ही रोजगार मिल पाता है। आज हिमाचल प्रदेश में भी पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश को कुदरत ने बहुत खूबसूरत बनाया है। हिमाचल जिसका अर्थ हिम का आंचल है। यहां की खूबसूरत तलहट्टियों पर प्रतिवर्ष देश और विदेश से बहुत से सैलानी आते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में हमारे सभी 12जिलों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रत्येक जिला अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यदि जिला शिमला की बात करें तो यहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। शिमला में सन् 1819में अंग्रेजों के समय में पहला कच्चा मकान उस समय के असिस्टैंट पॉलिटिकल एजैंट कैप्टन रॉस ने बनाया था। वर्ष 1930 तक शिमला में मात्र 50 घर थे और आज स्थिति क्या है, सब देख सकते हैं। आज शिमला में कई हजार मकान बन चुके हैं और वैसे भी शिमला का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। यह अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है। इसके अलावा वर्ष 1971का युद्ध और जो एग्रीमैंट हुआ था, उसका भी शिमला गवाह है। हैरिटेज टूरिज्म की दृष्टि से भी शिमला में देश और विदेश से प्रतिवर्ष अनेकों पर्यटक आते हैं। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, पालमपुर और डल्हौजी अंग्रेजों के समय से ही काफी विकसित रहे हैं परन्तु इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो प्रसिद्ध शक्तिपीठ हैं, वे रिलीजियस टूरिज्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कांगड़ा जिला में ज्वालामुखी, कांगड़ा देवी, चामुण्डा और चिन्तपूर्णी माता इत्यादि प्रसिद्ध मंदिर हैं। चम्बा जिला में नारायण मंदिर, भरमौर में चौरासी टैम्पल्ज, मनाली में हिडिम्बा माता मंदिर, कुल्लू में बिजली महादेव मंदिर और प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर आदि हैं। इसी प्रकार से शिमला में भीमाकाली और हाटकोटी मंदिर हैं जोकि देश-विदेश के पर्यटकों की आस्था के प्रतीक हैं। प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु देश व विदेश

09/04/2015/1540/MS/AG/2

से यहां पर आते हैं। इस तरह से यहां पर धार्मिक पर्यटन का बहुत महत्व है। परन्तु माननीय आशा कुमारी जी ने जो यह संकल्प आज यहां पर लाया है, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि पार्किंग की जो समस्या है, वह इन धार्मिक स्थलों पर भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा भी बहुत सी समस्याएं हैं। पर्यटन की दृष्टि से ही कांगड़ा का बीड़, जहां के एडवैंचर टूरिज्म का बहुत महत्व है, वहां पर पैरा-ग्लाइडिंग होती है। इसके अलावा

हिमाचल प्रदेश में सैंकड़ों ऐसे भी स्थल हैं जहां पर एडवैंचर टूरिज्म के अंतर्गत पवर्तारोहण की, हैली स्कीइंग की और आइस स्केटिंग की गतिविधियां हैं। हमारी बहुत सी झीलें, जैसे रेणुका झील, डल झील, रिवाल्सर झील ,खजियार झील और पौंग डैम इत्यादि में वाटर स्पोर्ट्स की बहुत सम्भावनाएं हैं। इसके अलावा जो हमारी बहुत सी चोटियां हैं उनको भी एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। वहां पर भी ट्रैकिंग रूट्स बनाए जा सकते हैं। कुल-मिलाकर हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को और आगे ले जाने की बहुत आवश्यकता है। यहां पर बहुत पोटैंशियल है। समय-समय पर जो भी सरकारें यहां पर रही हैं,

जारी श्री जे0के0 द्वारा---

9.4.2015/1545/जेके/जेटी/1

श्री सुरेश कुमारः----जारी-----

समय-समय पर जो भी सरकारें यहां पर रही हैं उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया है। वर्ष 2005 में हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म पॉलिसी बनी। उसके बाद वर्ष 2013 में सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए पॉलिसी लाई गई। उसी प्रकार वर्ष 2008 में होम स्टे योजना उस समय के मुख्य मंत्री, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी द्वारा लाई गई। उससे टूरिज्म को गांव-गांव तक बढ़ाने का अवसर मिला और गांव में भी टूरिज्म की ओर लोगों का रूझान बढ़ा। आजकल गांवों में भी हर कोई अपने घर में पर्यटकों को सुविधाएं देते हैं। गांव के लोग अच्छा माहौल और शुद्ध हवा व पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा हमारी योजनाएं हर गांव की कहानी, घर-घर की कहानी बहुत सी अच्छी योजनाएं थी। इन योजनाओं ने टूरिज्म को बढ़ावा देने में अपना योगदान दिया। आज पूरे प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं यहां पर सिरमौर जिला की बात करना चाहूंगा। जिला सिरमौर में टूरिज्म की अपार सम्भावनाएं हैं। परन्तु आज वहां पर जरूरत रोड़ कनैक्टिविटी की है। सबसे ज्यादा दिक्कतें रोड़ कनैक्टिविटी की है। जिला सिरमौर जो कि दिल्ली से भी नज़दीक है और चण्डीगढ़ से भी बहुत नज़दीक है लेकिन यहां पर सड़कों की हालत बहुत दयनीय है। मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि रोड़ कनैक्टिविटी पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि जो टूरिस्ट यहां पर एक बार आ जाता है और यहां की प्राकृतिक सुन्दरता को देख कर वह खुश हो जाता है, परन्तु जब बाद में कमर दर्द करती है तो दोबारा आने के लिए दूसरी बार सोचता है। इसके अलावा जिला सिरमौर के लिए ही मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि वहां पर रेल कनैक्टिविटी की तरफ भी ध्यान दिया जाए ,क्योंकि यहां पर रेल कनैक्टिविटी नाममात्र है। जिला

सिरमौर का जो भी हमारा हिस्सा है उसमें रेल कनैक्टिविटी नहीं है। प्रकृति ने इसे बहुत सुन्दर बनाया है। बहुत से ऐसे स्थल है, जैसे कि माता बाला सुन्दरी का मंदिर। जो हमारे दूसरे कांगड़ा के मंदिर हैं, मण्डी या दूसरे जिलों के मंदिर हैं उनकी तरह ही यह मंदिर भी बहुत सुन्दर है। इसे 1573 में उस समय के राजा दीपक प्रकाश ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यहां पर नवरात्रों

9.4.2015/1545/जेके/जेटी/2

के दौरान लाखों की संख्या में हमारे डोमैस्टिक टूरिस्ट हैं, पंजाब , हरियाणा, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश से यहां पर आते हैं। इसके अलावा जिला सिरमौर में ही नाहन जो कि एक छोटा सा शहर है यह भी बहुत खुबसूरत है। इस शहर को 1621 में बसाया गया था। राजा कर्म प्रकाश ने इस शहर को बसाया था। यहां पर रानीताल, बिरला मंदिर, जगन्नाथ मंदिर आदि रमणीक स्थान हैं। नाहन को भी टूरिज्म की दृष्टि से और ज्यादा विकसित करने की आवश्यकता है। यहां पर नाममात्र एक छोटा सा टूरिस्ट रिसैप्शन सेन्टर है, जो कि कभी खुलता है और कभी बन्द रहता है। मेरा सरकार से यह निवेदन रहेगा कि वहां पर इसको प्रॉपर ढंग से चलाया जाए और अधिक से अधिक पब्लिसिटी तथा जो भी पर्यटक यहां पर आते हैं उन्हें जिला सिरमौर से दूसरे स्थानों को जाने के लिए गाईड किया जाए। इसके अलावा पांवटा साहिब में पांवटा का गुरूद्वारा है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। पांवटा का ही देवी मंदिर है। हमारे यहां रेणूका में रेणूका माता मंदिर, रेणूका झील, रेणूका वाईल्ड लाईफ सेंक्चुरी तथा रेणूका विधान सभा क्षेत्र का ही हरिपुर धार जहां पर माता भगाणी का मंदिर स्थित है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

09.04.2015/1550/SS-JT/1

श्री सुरेश कुमार क्रमागतः

वहां भी लाखों श्रद्धालू आते हैं परन्तु जिस प्रकार की वहां रोड की व्यवस्था है या दूसरी व्यवस्थाएं हैं जैसे पीने की पानी की व्यवस्था या वे-साइट एमिनिटीज़ की बात है या

अन्य ट्रांसपोर्ट सुविधाओं की बात है उसकी ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे यहां पर सुकेती का फॉसिल पार्क जोकि कई हज़ारों साल पुराना है और अपनी तरह का एशिया का पहला फॉसिल पार्क है जहां पर बहुत ही पुराने अवशेष रखे हुए हैं परन्तु जिस प्रकार से उसको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना चाहिए विकसित नहीं हुआ है। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इसकी ओर भी अधिक ध्यान दिया जाए। इसे और अधिक विकसित किया जाए।

दूसरा, हमारे यहां चूड़धार जोकि शिरगुल महादेव की तपोस्थली रही है यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालू प्रतिवर्ष जाते हैं परन्तु यहां पर भी पहुंचने के लिए रास्ते की समस्या है। वह बहुत कठिन मार्ग है और रास्ते में जो सुविधाएं होनी चाहिएं उस प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं। मेरा इसमें भी निवेदन रहेगा कि चूड़धार जाने के लिए जो ट्रैक रूटस हैं या जो रास्ते हैं उन पर अधिक-से-अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएं। जहां तक बात मेरे विधान सभा क्षेत्र पच्छाद की है, पच्छाद में भी पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं। यहां पर सेरज़गास से एक जगह है जहां पर पिछले दिनों पैराग्लाइडिंग अभ्यास का एक शिविर भी चला जोकि 16 मार्च से शुरू हुआ था और इस पर तकरीबन साढ़े चार लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि बीड़ की तरह इसे भी पैराग्लाइडिंग के लिए विकसित किया जाए। लगातार यहां पर पैराग्लाइडिंग हो और अधिक-से-अधिक उसे यहां पर बढ़ावा दिया जाए ताकि देश-विदेश से यहां पर्यटक और जो एडवैंचर टूरिस्टस हैं वे आएं और यहां पर भाग ले सकें। ऐसा मेरा आपसे निवेदन रहेगा। हमारे आराध्य देव शिरगुल महादेव की जन्मस्थली षाया में पड़ती है जोकि राजगढ़ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है जोकि नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए धार्मिक आस्था का प्रतीक है। इसको भी धार्मिक दृष्टि से जोड़ा जाए क्योंकि अभी तक शिरगुल महादेव के स्थान को जितनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी वह अभी तक नहीं मिली। पिछले दिनों यहां जो मंदिर था वह मंदिर भी जल चुका है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन भी करना चाहूंगा कि इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए भी कुछ धनराशि उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा दीदक, हावन जहां पर ट्रैक रूट बनाए जा

09.04.2015/1550/SS-JT/2

सकते हैं इसको भी एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार सराहां एरिया में भुलेश्वर महादेव मंदिर है जिसे कि धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। कुल मिलाकर आज पूरे प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं परन्तु आवश्यकता है कि यहां पर जो भी समस्याएं हैं जैसे कि रोड कनैक्टिविटी की समस्या है, अधिक-से-अधिक रोड कनैक्टिविटी इन पहाड़ी रमणीय स्थलों के साथ की जाए और सड़कों की दुर्दशा में सुधार लाया जाए। अधिक-से-अधिक रज्जू मार्गों का निर्माण किया जाए। वे-साइट एमिनिटीज़ जैसे टॉयलैटस सुविधा, पीने का शुद्ध पानी इन पर्यटक स्थलों पर अधिक-से-अधिक उपलब्ध करवाया जाए। इसके अलावा सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट का प्रबंध किया जाए। क्योंकि बहुत से पर्यटक जब आते हैं, जिस भी पर्यटक स्थल या चोटी पर जाते हैं वहां पर बहुत-सा कचरा छोड़कर चले जाते हैं तो इस सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट का उचित प्रबंध किया जाए।

दूसरा, पार्किंग की समस्या के बारे में अभी मुझ से पूर्व यहां पर विस्तृत चर्चा की गई जोकि बहुत ही कंसर्न का विषय है। पार्किंग का प्रबंध हर जगह, हमारा जो भी टूरिस्ट डैस्टीनेशन है, वहां किया जाए। टूरिस्ट आते हैं परन्तु उन्हें अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए समस्या हो जाती है इसलिए इस ओर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो भी हमारे टूरिस्ट इंफोरमेशन सेंटर्ज़ हैं..

जारी श्रीमती के0एस0

/1555/09.04.2015केएस/एजी1/

श्री सुरेश कुमार जारी---
इसलिए इस ओर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो भी हमारे टूरिस्ट इन्फोर्मेशन सैंटर हैं, वहां अधिक से अधिक मात्रा में ब्रोशर्ज़ और टूरिज्म से रिलेटिड सामग्री उपलब्ध करवाई जाए और अधिक से अधिक ट्रेंड गाईड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। आज क्योंकि कम्प्यूटर का जमाना है तो इंटरनैट के माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए। जिस प्रकार से पिछले दिनों गुजरात में भी अमिताभ बच्चन को स्टेट का पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, हिमाचल में भी इस ओर ध्यान दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, हमारे हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में बहुत ही सुन्दर क्रिकेट का स्टेडियम बना है। यहां पर अधिक से अधिक क्रिकेट के मैच करवाए जा सकते हैं। आज श्री अनुराग ठाकुर बी.सी.सी.आई. के सचिव हैं उनके सहयोग से, राजनीति से ऊपर उठकर सरकार को अधिक से अधिक क्रिकेट मैच यहां पर करवाने के बारे में ध्यान देना चाहिए क्योंकि देश और विदेश से अनेक क्रिकेट प्रेमी और दूसरे लोग यहां पर आएंगें और इससे हमारे प्रदेश की आर्थिकी में मदद मिलेगी। इसके अलावा इस सदन में कई प्रश्न भी लगे थे जिसमें कि हमारे जो होटल और दूसरी इकाइयां हैं, उनमें टोटल जो 69 इकाइयां हैं, जिनमें 59 होटल और 10 रैस्टोरैंट हैं और उनमें से 21 होटल और 7 रैस्टोरैंट हमारे घाटे में चल रहे हैं। इनको घाटे से उबारने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और अगर सम्भव हो सके, क्योंकि प्राईवेट सेक्टर में होटल मुनाफे में चलते हैं परन्तु सरकारी क्षेत्र में घाटे में चल रहे हैं तो अगर सम्भव हो सकें तो इनको

/1555/09.04.2015केएस/एजी2/

लीज़ पर भी दिया जा सकता है । इसके अलावा प्रदेश में केरल की तर्ज पर आयुर्वेदा से टूरिज्म को जोड़ा जाए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो कि एक पहाड़ी राज्य है, यहां सभी आयुर्वेदिक हॉस्पिटलों में पंचकर्मा की सुविधा है तो अधिक से अधिक इस सुविधा का उपयोग किया जाए क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि फिट रहे और एलोपैथिक मैडिसिन के बारे में जैसा कि माना जाता है कि उनका साइड इफैक्ट भी होता है तो ज्यादातर लोगों का रुझान आयुर्वेदा की ओर आज के समय में है इसलिए इस ओर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मेरा इस प्रस्ताव के माध्यम से यही निवेदन रहेगा कि जो पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हिमाचल प्रदेश में हैं उस ओर ध्यान दिया जाए और आने वाले समय में अधिक से अधिक पर्यटक यहां पर आएं और अधिक से अधिक इस देश और प्रदेश का विकास हो,ऐसी कोई ठोस नीति बनाई जाए । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद। जयहिन्द।

/1555/09.04.2015केएस/एजी3/

अध्यक्षः संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीति बनाई जाए ।"

अब श्री जगजीवन पाल जी चर्चा में भाग लेंगें। मैं माननीय सदन को अवगत करवाना चाहता हूं और जैसे कि माननीय सदन को पता भी है कि संकल्प पर माननीय सदन का निर्धारित समय एक्सटैंड नहीं होता है और इस रैज़ोल्यूशन पर सात लोग बोलने वाले हैं। या तो वे थोड़ा-थोड़ा बोलें या मंत्री जी कट करके इसका उत्तर देंगें या फिर अगले सत्र में इसको लाना पड़ेगा। पांच बजे के बाद यह टाईम एक्सटैंड नहीं होगा। मेरा निवेदन यह है कि बोलने वाले जो सात लोग हैं आप फैसला कर लीजिए कि क्या करना है। कुछ लोग नहीं बोल पाएंगें और अगर सभी बोलना चाहते हैं तो फिर अगले सैशन में इसको टेकअप करेंगें। जगजीवन पाल जी आप बोलिए।

श्री जगजीवन पालः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री सुरेश कुमार जी ने जो पर्यटन के बारे में ठोस नीति बनाने के बारे में यहां प्रस्ताव रखा है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

9.4.2015/1600/av/ag/1

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव) :आदरणीय श्री सुरेश कुमार जी ने जो ठोस नीति बनाने के लिए पर्यटन के बारे में यहां प्रस्ताव रखा है मैं उस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

आदरणीय सदस्य ने जहां तक टूरिज्म नीति के बारे में कहा है तो हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म नीति तो बनी हुई है और आदरणीय मुख्य मंत्री जी ही टूरिज्म मंत्री भी है। हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को उद्योग का दर्जा दिया गया है तथा इसे होटल इण्डस्ट्री के साथ भी जोड़ा गया है। लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि हमारा सदन और माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे द्वारा दिए जा रहे सुझावों पर अमल करेंगे।

सबसे पहले तो यह है कि हिमाचल प्रदेश में दो तरह का पर्यटन है। पहला तो 'कुदरत' जो हिमाचल प्रदेश को भगवान ने सुंदरता/हरियाली दी है। जिसको देखने के

लिए हमारे गर्म इलाके जैसे साउथ से और पूरे हिन्दुस्तान से पर्यटक आते हैं। हिमाचल में खासकर शिमला एक मशहूर पर्यटन स्थल है। अब मनाली हो गया है और रोहतांग पास, कांगड़ा, पालमपुर ,लाहौल-स्पिति आदि आगे तक बढ़ गया है। अब हिमाचल में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हो गई हैं। खासकर होटल इण्डस्ट्री और होम स्टे को इसके साथ जोड़ा गया है। यहां पर सुरेश जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव रखा है, मैं भी रखना चाहता हूं। इन्होंने बात की है कि हिमाचल में भी केरल की भान्ति पंचकर्मा जैसी चीजें जोड़ी जाएं। पंचकर्मा को कौशल विकास भत्ता के साथ जोड़ा जाए। लोगों को पंचकर्मा में ट्रेनिंग दी जाए और उन लोगों को सर्टिफिकेट तथा कुछ कर्जा भी दिया जाए। यदि केरल की भांति होटल्ज और होम स्टे में टूरिस्ट्स को पंचकर्मा की सुविधा मिलेगी तो वे केरल की तरह हिमाचल प्रदेश के लिए भी आकर्षित होंगे। यहां पर सुविधा होगी तो टूरिस्ट यहां आने के लिए अपनी दिलचस्पी दिखायेंगे। इसके साथ-साथ, मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश एक सुंदर वादियों का प्रदेश है। हमारी हिल साइड में जितने मर्जी मल्टी

9.4.2015/1600/av/ag/2

स्टोरीज मकान बनाने हो; उसकी इजाजत दी जाए मगर वैली साइड में सड़क से ऊपर मकान बनाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। चाहे वहां शहर है या गांव है। वहां चाहे सरकारी मकान बनना है या निजी मकान बनना है; सड़क के ऊपर बनाने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। गांव और शहर के लिए एक ऐसी ठोस नीति बननी चाहिए ताकि जब टूरिस्ट चलता है तो उसको हर तरफ सुंदर, हरी-भरी वैलियों को देखने का मौका मिले। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में जितनी ज्यादा हवाई पट्टियों का निर्माण करवाया जाए और रोप-वे का निर्माण करवाया जाए वह अच्छा रहेगा। वैसे यहां पर हवाई जहाजों से आने का इतना बड़ा स्कोप तो नहीं है मगर आने वाले समय में हो सकता है। अगर हमारी प्रदेश सरकारों का दृढ़ संकल्प होगा तो यह जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी हुआ है कांगड़ा का हवाई अड्डा बना है, भुन्तर का हवाई अड्डा बना है। शिमला का हवाई अड्डा बना है, इनकी बढ़ोतरी हो रही है। इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे हैलिपैड और रोप-वे बनने चाहिए। सड़क के किनारे हरियाणा की तर्ज पर, जैसे पार्किंग और टूरिज्म का सवाल है यह एक इकट्ठा सब्जैक्ट है। टूरिस्ट को 15-20 किलोमीटर के बाद यदि छोटा सा ब्रेक लेना है तो वहां उनको पार्किंग की

व्यवस्था मिले, खाने की व्यवस्था और साथ में, वहां पर टॉयलैट्स इत्यादि की व्यवस्था भी हों और ईको-----

श्री बी जे द्वारा जारी

13

09.04.2015/1605/negi/ag/1

माननीय मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन राम).. जारी...

और इको फ्रेंडली टूरिज्म की व्यवस्था करने की कोशिश की जाए ताकि हमारे यहां टूरिस्ट आएं। इन्होंने ठीक कहा कि लोग वर्कशॉप तो खोल लेते हैं लेकिन वे सड़कों पर गाड़ियां ठीक करते हैं। इसपर रोक लगनी चाहिए। जो व्यक्ति वर्कशॉप खोलता है अगर वह सड़क पर गाडी ठीक करता है तो वह जिस म्युनिसिपल कमेटी के एरिया में खोलता है वहां की म्युसिनिपल कमेटी उसपर रोक लगाए और अगर पंचायत एरिया में खोलता है और ऐसा करता है तो उनके ऊपर वे अंकुश लगाएं ताकि वे सड़क में गाड़ियां ठीक न करें और जॉम न लगे।

इसके साथ-साथ, मेरा एक और सुझाव है। हमारी 3-4 जो बड़ी सड़कें हैं, जैसे परवाणू से शिमला सड़क है, यह सड़क आगे तक जाती है। इस सड़क के दोनों तरफ फूलदार पौधे लगे। जैसे ही हिमाचल की वादियों में टूरिस्ट एन्टर करे, जैसे परवाणू से या सोलन से आगे कई जगह देखा गया है कि फूलदार पौधे लगे हैं। जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, बसन्त का मौसम आता है तो फूल निकलने शुरू होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। सारे प्रदेश में ऐसा हो। पठानकोट से मनाली और चण्डीगढ़ से कीर्तपुर -स्वारघाट हो करके मनाली तक ये सड़कें चौड़ी बनने जा रही है, इन सड़कों पर ध्यान रखा जाए और पी.डब्ल्यू.डी. विभाग को भी ये निर्देश दिए जाएं कि सड़कों के किनारे फूलदार पौधे लगाए जाएं ताकि एक सुन्दर हिमाचल टूरिस्टों को नज़र आए और वे बार-बार हिमाचल आने की कोशिश करें। जहां तक सड़कों का सवाल है, सुरेश कुमार

जी ने भी यहां पर सड़कों का जिक्र किया है। लेकिन कुदरत के साथ तो कोई मुकाबला नही कर सकता। लेकिन इस बार जो बारिशें हो रही है, हमें सहन करना पड़ेगा । जैसा मौसम बदल रहा है । जहां मार्च महीने में गर्मी आ जाती थी और सड़कों के ऊपर तारकोल बिछाने का काम शुरू हो जाता था लेकिन इस बार 15अप्रैल आने वाला है, आज धूप निकली है, उस वजह से सड़कें ठीक नही हो सकी है। मैं मानता हूं कि कई जगह सड़कें ठीक करने की वाकयी जरूरत है ताकि जो टूरिस्ट आते हैं या हमारे अपने लोग आते हैं उनको

09.04.2015/1605/negi/ag/2

अच्छी सड़कें चलने को मिले और बहुत बढ़िया सड़कें उन्हें मिले। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ, अध्यक्ष महोदय, आपने जैसे ही मुझे कहा है, मैं अपना सुझाव बन्द कर रहा हूं । आदरणीय, श्री सुरेश कुमार जी, विधायक पच्छाद ने जो यह प्रस्ताव रखा है कि ठोस नीति बननी चाहिए, ठोस नीति तो है लेकिन इसमें कई क्षेत्रों को इसके साथ जोड़ा जाए । हिमाचल में दो ही ऐसी संभावनाएं हैं, एक हाइडल प्रोजेक्ट और दूसरा टूरिज्म जिससे हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी बढ़ सकती है और हमारे खजाने में धन आ सकता है । इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में धार्मिक टूरिज्म भी है। हमारे कांगडा, हमीरपुर और ऊना में धार्मिक टूरिज्म बड़ा भारी है । जैसे बाबा बालक नाथ जी का मन्दिर है, जैसे माता चिन्तपूर्णी का मन्दिर है, कांगड़ा में बृजेश्वरी माता मन्दिर है, चामुण्डा माता मन्दिर है वहां पर गुप्त नवरात्रे लगते हैं और उसके बाद नवरात्रे लगते हैं और वहां पर हजारों-लाखों की भीड़ आती है । लेकिन जहां तक हमारे सरकारी खजाने का संबंध है, लोग वहां पर बसों में आते हैं, ट्रकों में आते हैं और कई बार पुलिस को सम्भालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां पर जो धार्मिक टूरिस्ट हजारो-लाखों की तादाद में आ जाते हैं उनको सम्भालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपर भी जरूर ध्यान दिया जाए कि इतने लोग जो लाखों की तादाद में आते हैं उनसे जो आमदनी होती है उसका कुछ न कुछ हिस्सा सरकारी खजाने में भी आए ताकि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो। इन्हीं सुझावों के साथ आपने अध्यक्ष महोदय मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद, जयहिन्द।

अध्यक्षः अब श्री रिखी राम कौंडल जी।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

16/09.04.201510/यूके/1

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, माननीय सुरेश जी ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस माननीय सदन के अन्दर लाया है कि पयर्टन पर एक ठोस नीति बनाई जाए । इस पर इन्होंने बड़े विस्तार से सुझाव भी दिए और अपने क्षेत्र के साथ-साथ सारे प्रदेश की समस्या भी सामने रखी ।

अध्यक्ष महोदय, अभी श्री जगजीवन पाल जी ने कहा कि टूरिज़म को एक उद्योग के रूप मे इस प्रदेश के अन्दर जोड़ा गया है और इसकी नीति बनाई गई है । अध्यक्ष महोदय, यदि नीति को ठीक से अमल में लाया होता तो आज प्रदेश में जिस गति से टूरिस्ट आता है उस गति से टूरिस्ट आना कम हुआ । अगर इस इस नीति का अनुपालन ठीक किया होता तो टूरिस्ट और ज्यादा बढ़ता । हिमाचल प्रदेश टूरिज़म डवेलपमैंट कारपोरेशन के हैड आफिस में ही 208 कर्मचारी हैं, अधिकारियों से लेकर निचले स्तर तक 21 कैटेगरी के 208 अधिकारी केवल मात्र शिमला में ही इस सारे पयर्टन की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल करते हैं । उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा । किस हिसाब से पोस्टें सैंक्शन हुई, किस हिसाब से इतना टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन टूरिज़म में हुआ और बाहर जो हमारे टूरिज़म के कॉम्पलैक्स हैं, उनके कर्मचारी अलग हैं । आज कोई भी पर्यटन की दृष्टि से सड़क के किनारे एक छोटा सा काम प्राईवेट सैक्टर में करता है । दो साल के बाद वह प्रॉफिट में आता है उसको बढ़ाता है । लेकिन हमारे जो टूरिज़म के कॉम्पलैक्स हैं, कुछ को छोड़ कर के अधिकांश टूरिज़म कॉम्पलैक्स घाटे में है । अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि 2012-13 का जो एंडिंग ईयर था, उसमें हिमाचल प्रदेश के अन्दर पर्यटक स्थलों और धार्मिक स्थलों पर 147,15,586 टूरिस्ट आए थे 2013 में और विदेशी पर्यटक 4,14,252 आए । ये मैं वर्ष 2013 के आंकड़े बता रहा हूं । अगर टूरिज़म की नीति ठीक होती तो जो 2014 की जो इन्होंने फिगर कम्पाइल की है, उसमें विदेशी पर्यटक 3,89,699 हुए । अगर उनको सारे प्रदेश के अन्दर सुविधा ठीक दी जाती तो जो 50 हजार की कमी आयी है, वह नहीं आती । किन्नौर में तो बहुत ही कमी आई है । किन्नौर में कम से कम एक लाख फॉरनर टूरिस्ट की कमी आयी है,एक साल के अन्दर ही, केवल

किन्नौर के अन्दर । जब टूरिस्ट किसी प्रदेश के अन्दर आता है तो वह हमेशा दो-तीन बातें देखता हैं । एक तो सबसे पहले यह देखता है कि जिस रास्ते मैं जाऊंगा क्या मेरे लिए वह रास्ता कमफर्टेबल है । हमारा

16/09.04.201510/यूके/एजी/2

हिमाचल प्रदेश एक सुन्दरता से भरा हुआ पहाड़ी प्रदेश है । टूरिज़म की अपार संभावनाएं हैं । लकिन यहां रेल का नैटवर्क कम है, बिल्कुल नहीं है । एयर-सर्विस का नैटवर्क बड़ा कम है । जब यह सरकार बनी तो पहले ही बजट भाषण में कहा गया कि हम हैली-टैक्सी चलाएंगे । आज उस हैली-टैक्सी का क्या हुआ ? यह घोषणा करना या बजट में बोलना या राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भाषण करना, वह तो बड़ा आसान होता है । यहां सदन के अन्दर जो कैबिनेट ने फैसला किया, राज्यपाल महोदय उसको पढ़ देंगे । पर उसको इम्पलीमैंट करना, उसको क्रियान्वयन करना, वहीं सरकार की पारदर्शिता नजर आती है । क्या वह इम्पलीमैंट हुआ ? घोषणा-पत्र को तो इन्होंने अपना निजी दस्तावेज बनाया । क्या उसको इम्पलीमैंट किया? यह तो 2-3 बातें मैनें कहीं । हिमाचल प्रदेश के अन्दर हमारे ट्रैवल एजेंट

एसएलएस द्वारा जारी----

09.04.2015/1615/sls-ag-1

श्री रिखी राम कौंडल...जारी

हिमाचल प्रदेश में 1662 ट्रैवल एजैंट्स हैं और 745फोटोग्राफर्ज़ हैं। उन लोगों को पर्यटन से रोज़गार मिला है। अगर टूरिज्म की अच्छी नीति हो, अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर हो तो जो प्राईवेट सैक्टर में हमारे फोटोग्राफर्ज़ और गाईड्स हैं, उनकी तादाद बढ़ेगी। इससे जो हिमाचल प्रदेश में बरोज़गारी है, उससे हम बच सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, कोई भी टूरिस्ट जब प्रदेश के अंदर आता है, वह जिस होटल में ठहरता है; हिमाचल प्रदेश में होटल कैपेसिटी के फिगरज़ भी मेरे पास हैं ,अगर ज़िक्र करना हो तो वह मेरे पास हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भी पर्यटक आएगा, वह जहां ठहरेगा, वह वहां पर 2-3 बातें हमेशा देखेगा। सबसे पहले यह देखेगा कि क्या जिस

होटल में मैं 4 दिन ठहरूंगा ,वहां बिजली सारा दिन उपलब्ध होगी; पानी होगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्होंने एक नीति बनाई है - रेन वॉटर हारवैस्टिंग कंपलैक्सिज। यानी जो वारिस का पानी हो, उसको स्टोर करके इस्तेमाल किया जाए। आज हिमाचल के अंदर पानी की गंभीर समस्या है। जिस भी होटल में कोई व्यक्ति ठहरता है, उसको नहाने और टॉयलैट के लिए ठीक पानी न मिले तो वह दोबारा उस होटल में नहीं आएगा। हिमाचल प्रदेश में अनेकों होटल हैं लेकिन जिलावार इस नीति को इम्लीमैंट केवल 6 8होटलों ने किया है। इसका क्या कारण है? अगर नीति ठीक होती तो इसकी इम्पलीमैंटेशन भी ठीक होती।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात है, सड़कों की व्यवस्था। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले रेल नैट वर्क की आवश्यकता है जिसके लिए, आज तक जो सरकार ज्यादातर सत्ता में रही है, उसके द्वारा हिमाचल प्रदेश में नैट वर्क की ओर ध्यान नहीं दिया गया। जब यह सरकार बनी तो सबसे पहले मैंने माननीय मुख्य मंत्री का वक्तव्य कुल्लू के एयर स्ट्रिप बढ़ाने वाला वक्तव्य सबसे पहले सुना कि वहां पर हम बड़ी एयर सर्विस स्टार्ट करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उस पर कोई गौर नहीं हुआ।

09.04.2015/1615/sls-ag-2

अध्यक्ष महोदय, जहां तक धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों के आने की बात है, हमारे शाह तलाई में बाबा बालक नाथ हैं। शहरी विकास मंत्री यहां बैठे थे, लेकिन अभी नहीं हैं। पिछली सरकार के समय लाखों की तादाद में नैणा देवी और बाबा बालक नाथ, जो हमारे चुनाव क्षेत्रों के धार्मिक स्थल हैं, वहां पर यात्री आते थे। ऊना में भी मां चिन्तपुर्णी मंदिर है। कांगड़ा में ज्वाला जी माता का मंदिर है, वहां लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं। पिछली सरकार के समय में ,माननीय प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व की जब सरकार थी, हमने तलाई में बड़ी पार्किंग बनाने के लिए वहां व्यवस्था शुरू की और उसका काम शुरू किया। मैंने पिछले सत्र में उसका प्रश्न भी किया था। आज वह पार्किंग अधूरी पड़ी है। दो वर्षों में उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन धार्मिक स्थलों पर प्राईवेट पार्किंग में लोग जो गाड़ियां खड़ी करते हैं पार्किंग वाले उनको इस ढंग से एक्सप्लॉयट करते हैं ताकि वह दोबारा न आ सकें। वह एक बार आते हैं और दूसरी बात हाथ जोड़ देते हैं कि अब हम नहीं आएंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनमें जो पर्यटक आते हैं वह धार्मिक आस्था के साथ आते हैं। एक शुरू से ही पुरानी प्रथा है कि पंजाब से अनेकों ट्रक आते हैं। एक ट्रक में लकड़ी का स्लैब डालकर 200-300 आदमी एक ट्रक में आते हैं। जब वह धार्मिक स्थलों पर आते हैं ,जहां पर हिमाचल में उनकी एंट्री होती है, वहां से ही उनकी ज़ेब खाली करना शुरू करते हैं और अंत में ड्राइवर भी और मालिक भी खाली होकर चले जाते हैं। हिमाचल में इस तरह कौन ऐसे धार्मिक स्थलों पर आएगा? आज जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनमें आस्था रखने वाले लोगों की तादाद कम हो गई है। जितने टूरिस्ट धार्मिक स्थलों पर आएंगे, वह वहां पर कुछ-न-कुछ दान करेंगे और इस तरह हमारी आय के साधन बढ़ेंगे। जो वहां ट्रस्ट बने हैं, उनकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ने से वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी, मेरा निवेदन है कि इसके बारे में एक ऐसी नीति बनाई जाए ताकि जो टूरिस्ट हिमाचल के अंदर आए वह यहां पर अपने लिए सुविधा महसूस करे। सबसे पहले, अगर टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो आपको सड़कों का सुधार करना पड़ेगा।

जारी ..श्री गर्ग जी

09/04/2015/1620/RG/JT/1

श्री रिखी राम कौंडल------क्रमागत

यदि यहां सड़कों का सुधार हो गया, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा पयर्टक आएंगे। यह एक शांतप्रिय प्रदेश है ,यहां हरेक आदमी आना चाहता है और हमारे यहां के लोग भी भोले-भाले हैं। माननीय धूमल जी जब मुख्य मंत्री थे, इन्होंने एक कॉन्सैप्ट शुरू किया था ,लेकिन वह भी वहां-का-वहां खड़ा है। उस कॉन्सैप्ट में यह था कि जैसे धार्मिक स्थलों में कोई भी धार्मिक पर्यटक आए, तो जो रजिस्ट्रेशन कराने वाले गांवों के लोग हैं उनके लिए एक कानून बना दिया गया था कि वे अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ताकि वहां उनके यहां भी यात्री आकर ठहर सके। लेकिन जब मैंने नैट पर कम्पाइल किया ,तो इन दो सालों में एक भी ऐसी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। जिन्होंने अप्लाई किया है उन सबकी ऐप्लीकेशन्ज पैण्डिंग पड़ी हैं। इसलिए इस विषय पर माननीय मुख्य मंत्री जी गौर करें। क्योंकि इनके पास यह विभाग भी है और मुख्य मंत्री के पास जो विभाग होता है उसमें इशारे से ही पारदर्शिता आ जाती है। इसलिए मैंने ये कुछ सुझाव आपके समक्ष रखे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमारे यहां शाहतलाई से दियोटसिद्ध तक पिछली सरकार के समय में एक रोप वे की प्रपोज़ल बनी थी जो आज तक वह कम्पलीट हो जानी चाहिए थी। हमने उसकी डी.पी.आर. बना दी, टैण्डर्ज हो गए, सब कुछ हो गया था- नैना देवी के बारे में तो श्री रणधीर शर्मा जी बोलेंगे कि इनके यहां वस्तुस्थिति क्या है। लेकिन यदि आज उस प्रोजैक्ट को अमलीजामा पहनाएंगे ,तो वहां और अधिक पर्यटक बढ़ेंगे।

बिलासपुर में वाटर ट्रांसपोर्ट की बहुत संभावनाएं हैं। भाखड़ा में पर्यटक आते हैं। बिलासपुर से जैसे पर्यटक भाखड़ा आएगा और अगर आप पर्यटन की दृष्टि से वाटर ट्रांसपोर्ट की सुविधा ठीक रखेंगे, तो भाखड़ा से पर्यटक सीधे बिलासपुर आएगा। इससे बिलासपुर की इनकम भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त जो बिलासपुर की झील है जिसमें साल में 9-10 महीनों तक पानी भरा रहता है। अगर उसको और बढ़ावा दिया जाए ,तो इससे प्रदेश में आमदनी भी बढ़ेगी। इस प्रकार से टूरिज्म रिसोर्सिज मोबालाइजेशन का एक सबसे बड़ा साधन है। इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ श्री सुरेश कुमार जी ने जो संकल्प यहां लाया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस पर गहन विचार किया जाए और ठोस नीति बनाई जाए। इसके अतिरिक्त टूरिज्म के जो हमारे अदारे घाटे में हैं ,उनको या तो प्राइवेट

09/04/2015/1620/RG/JT/2

सैक्टर में दिया जाए या उनमें सुधार किया जाए ताकि वे प्रॉफिट में चल सकें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

समाप्त

3/-

09/04/2015/1620/RG/JT/3

अध्यक्ष : अब श्री किशोरी लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, श्री सुरेश कुमार, सदस्य ने यहां संकल्प रखा है कि प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए कोई ठोस नीति बनाई जाए। हिमाचल प्रदेश एक बहुत खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश है। दूसरे प्रदेशों से, दूसरे देशों और हिन्दुस्तान की राजधानी से लगातार पर्यटक यहां आते हैं। यहां जो हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार हैं जहां से पर्यटकों की ऐन्ट्री होती है और जहां तक पर्यटकों को आना होता है ,रास्ते में मन-मोहक नज़ारे, सुन्दर चाय बागान ,हरे-भरे जंगल और कलकल बहती हुई नदी-नाले या झरनें पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। सरकार ने भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयत्न किए हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस क्षेत्र में और भी सुधार करने की जरूरत है। हमारे प्रदेश में आज भी ऐसे अनछूए पर्यटक स्थल हैं जहां पर्यटक नहीं पहुंच पाता है। उन पर्यटन स्थलों को विकसित करने की आवश्यकता है। कई ऐसे स्थान हैं जहां गर्म पानी की चश्में हैं जिसमें बैजनाथ का ततवाणी भी आता है। इसके अतिरिक्त बैजनाथ से बड़ा भंगाल जो आज भी सड़क सुविधा से वंचित है ,छोटे भंगाल के बीड-बिलिंग से बड़ा गांव तक सड़क मार्ग भी अभी बनना है। अगर पूरे प्रदेश में देखा जाए, तो कई और भी ऐसे स्थान हैं जो आज भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। अगर उनको भी सड़क सुविधा से जोड़ा जाए, तो प्रदेश में अधिक पर्यटक आएंगे-----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

09/04/2015/1625/MS/AG/1

श्री किशोरी लाल जारी----------

जो आज भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। अगर उनको भी सड़क सुविधा से जोड़ दिया जाए तो हिमाचल प्रदेश में अधिक पर्यटक आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पर्यटन हिमाचल प्रदेश की आय का साधन है। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों से ट्रांसपोर्ट, होटल, ढाबा, फल, चाय तथा दूसरे जो उद्योग व्यवसायी हैं, उनको आय होती है। जहां तक टैक्सी ऑप्रेटर का सवाल है उन्हें भी टूरिस्ट्स से आय होती है। होम स्टे वालों को भी पर्यटकों से लाभ मिलता है। इसके अलावा, जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको भी पर्यटकों का सामान उठाने से लाभ होता है। पर्यटन हिमाचल प्रदेश का एक उद्योग है इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार ने प्रदेश में पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकारी तौर पर होटल खोले हैं। इसके अलावा यात्री सदन तथा प्राइवेट सराय भी हैं। जो श्रद्धालु हमारे यहां देवी-देवताओं के दर्शन के लिए आते हैं, उनके ठहरने के लिए भी सुविधाएं हैं। अध्यक्ष जी, प्रदेश में पर्यटक अधिक-से-अधिक इसलिए भी आने लगे हैं क्योंकि यह शांतिप्रिय

प्रदेश है। यहां पर पर्यटक अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए वे इस प्रदेश का रूख करते हैं। मैं भी छोटा सा होटल व्यवसायी हूं। हमारे जो निजी होटल हैं वे तो लाभ में हैं लेकिन सरकारी होटल क्यों घाटे में हैं? इसका कारण यह है कि सरकारी होटलों में एम्प्लॉइज की संख्या अधिक होती है। होटल में मैनेजर, असिस्टैंट मैनेजर और वेटर के अलावा कई तरह के मुलाजिम होते हैं। उन्हें जो वेतन और भत्ते देने पड़ते हैं उससे सरकारी होटल लाभ में नहीं आ पाते। मैं चाहता हूं कि इस ओर आदरणीय मुख्य मंत्री जी ध्यान देंगे ताकि जो घाटे में होटल चल रहे हैं, वे लाभ में आएं। जो प्रदेश में पर्यटक आते हैं, उनकी सुविधा के लिए जैसे पठानकोट से जोगेन्द्र नगर रेल लाइन है या अन्य रेल लाइनें है, इस बारे केन्द्र सरकार से मामला उठाया जाए। यहां जो ट्रेन इत्यादि नियमित तौर पर चलती थीं, वे अब नहीं चल रही हैं। जब पिछले चुनाव आए तो लेह-लद्दाख का सपना उस वक्त दिखा दिया लेकिन आज जो 6 रेलगाड़ियां वहां पर चलती थीं, वे भी नहीं चल रही हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि केन्द्र सरकार से इस मामले को उठाया जाए ताकि पपरोला से पठानकोट चलने वाली रेल नियमित रूप से चले और पठानकोट से बैजनाथ तक आने वाले

09/04/2015/1625/MS/AG/2

पर्यटकों को उसका लाभ मिले। वे लोग पौंग झील का भी नजारा देखें। उससे भी यहां ज्यादा पर्यटक आएंगे। अध्यक्ष जी, अधिकांश पर्यटक देवी दर्शनों के लिए यहां आते हैं जिसमें पठानकोट से कांगड़ा मंदिर तक अधिक यात्री आते हैं। उनको रेल न होने की वजह से सुविधा नहीं मिल पाती है क्योंकि रेलवे ने अधिकांश रेलवे स्टेशन बंद कर दिए हैं। वे ठेकेदारों को दे दिए हैं और उस वजह से भी वे यात्रियों को पूरी सुविधा नहीं देते। यह भी एक कारण है। इसलिए उसमें भी सुधार की जरूरत है। इसी तरह दूसरे जो हमारे रेल मार्ग हैं, वे भी सुधारे जाएं तथा इसके लिए भी केन्द्र सरकार से वार्ता की जाए। हमारे अधिकांश धार्मिक स्थल जैसे मणिमहेश का स्थान है, मैं चाहूंगा कि उसको विकसित किया जाए ताकि वहां अधिक-से-अधिक सैलानी आएं। मणिमहेश एक ऐसा स्थान है जहां से बाबा बैजनाथ जी का मंदिर बिल्कुल सम-दृष्टि में है। वहां भी हैली टैक्सी की अगर प्राइवेट सैक्टर में सुविधा प्रदान हो जाए तो अच्छा रहेगा। बैजनाथ से बड़ा भंगाल को भी हैली टैक्सी सुविधा से जोड़ा जाए ताकि वहां भी ज्यादा पर्यटक आए। मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो भी आज तक टूरिज्म में काम हुआ है, वह माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा से हुआ है और आगे भी विकसित होगा। यहां पर जो

पर्यटक आते हैं, उन्हें सड़कों पर आवारा घूमते हुए पशुओं से समस्या आती है। इसके अलावा बंदरों के कारण भी पर्यटक परेशान होते हैं। इसमें भी सुधार लाने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि इस ओर भी मुख्य मंत्री जी ध्यान देंगे ताकि हिमाचल प्रदेश का जो पर्यटन है, वह आय का साधन बनें। मैं अधिक न कहता हुआ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल, जय बाबा बैजनाथ।

अगले वक्ता श्री जे0के0 द्वारा---

9.4.2015/1630/जेके/जेटी/1

अध्यक्षः अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्री महेश्वर सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो पर्यटन सम्बन्धि प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया गया है।

अध्यक्षः आप केवल बिन्दुओं पर ही बोलें और संक्षेप में बोलें।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं बिन्दुओं पर ही बोलूंगा उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इससे आगे वाला प्रस्ताव भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जो प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री सुरेश कुमार जी ने यहां पर रखा है, मैं उसके सन्दर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पर्यटन हमारे लिए एक मुख्य आय का स्त्रोत साबित हो सकता है, लेकिन इस ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। चाहे कोई भी सरकार रही हो हर सरकार ने अपने-अपने समय में प्रयत्न किए हैं। वर्तमान सरकार भी इसमें प्रयासरत्त है लेकिन सबसे पहले टूरिस्ट यातायात का साधन देखता है कि कौन सा सुविधाज़नक रहेगा। कुल मिला कर हिमाचल प्रदेश में भूतल परिवहन ही मुख्य यातायात का साधन है। यहां पर रेल नाममात्र है। उसके बाद हवाई सेवा तो शून्य ही समझ लीजिए। यह विडम्बना है कि कुल्लू की हवाई पट्टी सबसे पुरानी पट्टी है। यह सबसे पुराना एयर पोर्ट है। वर्ष 1960 से पहले का है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू हवाई जहाज में कुल्लू आए थे । उस समय कच्चा एयर पोर्ट था और वे ऐरोप्लेन में आए थे। धीरे-धीरे उसमें वृद्धि होती

गई। एक समय आया कि चार-चार फलाईट्स चलती थी। आज फिर वैसा ही समय आ गया एयर पोर्ट तो पक्का हो गया लेकिन अब सिर्फ एक एयर इण्डिया या इंडियन एयर लाईन्ज की फ्लाईट आती है बाकी सभी निजी हवाई सेवाएं बन्द हो चुकी हैं। महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री के ध्यान में लाना चाहूंगा कि ए.टी.आर. 50 जो एक क्राफ्ट है जिसमें कम फ्यूल कन्जम्पशन होती है, उसकी ट्रायल लैंडिंग हो चुकी है, जो कि आपके ध्यान में है। उसी आधार पर आपने पिछले सत्र में कहा था कि हम वहां पर हवाई सेवाओं के लिए विस्तार करेंगे। मैं यह मानता हूं कि यह केन्द्र सरकार का विषय है, लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं। अगर इस बात को केन्द्र सरकार के साथ उठाया जाए और

9.4.2015/1630/जेके/जेटी/2

ए.टी.आर.50 की व्यवस्था कर दी जाए तो उसमें 50 यात्री आ सकते हैं। निश्चित रूप से हमारी ये सेवाएं नियमित हो सकेंगी। अभी तो यह स्थिति है कि फ्लाईट इतनी मंहगी है कि मुख्यतः उनमें हनीमून कप्पल आते हैं। इतनी अनिश्चितता रहती है कि वे हंसते-हंसते आते हैं और जब फलाईट्स केंसिल हो जाती है तब तक पैसा भी खत्म हो जाता है और फिर रोते-रोते जाते हैं इसलिए इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है ,अधिकांश रेलवे की जो सुविधा है, हिमाचल में जो भी थोड़ी-बहुत है, वह सुविधा ब्रिटिशकाल की है। थोड़ी-बहुत सुविधा आगे बढ़ी थी। कीरतपुर से ऊना तक बढ़ी थी। अम्ब तक अभी बात चल रही है। उसके बाद वर्तमान प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से इस ओर ध्यान दिया है। मुझे विश्वास है कि जो सर्वेक्षण का पैसा दिया है वह उचित तरीके से लगे ताकि आमूल परिवर्तन भी हो और आगे भी कहीं रेलवे लाईन बढ़े।

महोदय, जहां तक भूतल परिवहन का सवाल है, उसमें सबसे पहले यहां की सड़कों में सुधार लाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से सड़कों की गुणवत्ता घट रही है वह निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार के लिए भी चिन्ता का विषय है। किस प्रकार से इसमें गुणवत्ता आए, उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त न केवल एक किस्म का पर्यटन है बल्कि हिमाचल प्रदेश में अनेकों और भी इस प्रकार के पर्यटन स्थल है, जैसे तीर्थांटन है, इको टूरिज्म है, एडवैंचर टूरिज्म है। इन सब की हिमाचल प्रदेश में अपार सम्भावनाएं हैं। लेकिन इस ओर ध्यान देने की

जरूरत है। जहां तक एडवैंचर टूरिज्म है उसकी मीटिंग्ज होती है उसके अन्तर्गत रीवर क्रॉसिंग आता है, रीवर राफ्टिंग आता है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-------

09.04.2015/1635/SS-AG/1

श्री महेश्वर सिंह क्रमागतः

वाटर राफ्टिंग आता है, इको-टूरिज्म है, इस प्रकार की अनेकों चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए जो कमेटियां बनाई हैं उन लोगों को सहयोग देते हुए अपना काम करना चाहिए। अगर एडवैंचर टूरिज्म में कुछ ऐसे अधिकारी बैठ जाएं जो हर बार उनके लिए सुविधा तो नहीं बल्कि बाधा उत्पन्न करने की बात करेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे। इस ओर ध्यान देने की बात है। मैं इस ओर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान भी दिलाना चाहूंगा, चाहे वह स्कीइंग की बात करें, चाहे हम आज रीवर राफ्टिंग की बात करें, चाहे रीवर क्रॉसिंग की बात करें इन सम्भावनाओं की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। जहां हमें इनसे आय भी मिलेगी वहां जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको कमाने का भी अवसर मिलेगा।

महोदय, इसके अतिरिक्त मैं मनाली की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। वहां पैसे की कमी नहीं है। ग्रीन टैक्स सारे-का-सारा मनाली को जाता है लेकिन यह विडम्बना है कि वे आज ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एक बूंद तक नहीं लगा सकते। गांठ वाली रस्सी बांध कर रखी है। हिमाचल का क्या इम्प्रैशन जायेगा? एक और माल रोड पांच वर्षों से बन रहा है। मुझे बात समझ नहीं आती कि जब पैसा पूरा है तो दोष किसका है? क्या उस ठेकेदार को कोई पूछने वाला है कि कब तक वह पूरा हो जायेगा? वह तो पंचवर्षीय योजना हो गई है। वह है कितना? मुश्किल से आधा किलोमीटर भी नहीं है और उसमें इतना समय लग गया। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

पार्किंग की बात मैं पहले ही कर चुका हूं। इसके अतिरिक्त जब जगमोहन जी हमारे केन्द्रीय टूरिज्म मिनिस्टर थे तो 50 लाख रुपया बुद्धिस्ट सर्कल के अन्तर्गत मनाली के लिए और 50 लाख रुपया भुन्तर के लिए टूरिस्ट इंफोरमेशन सेंटर के लिए देकर गए। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मनाली में उसका आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ। आपकी कृपा से 2013 में दशहरे के अवसर पर जो भुन्तर में टूरिस्ट इंफोरमेशन सेंटर है

उसका शिलान्यास हुआ। लेकिन वन विभाग आज तक उसमें एफ0सी0ए0 क्लीयरैंस नहीं दे पाया। इसलिए काम नहीं हो पाया जबकि एक वर्ष के भीतर टूरिज्म इंफोरमेशन सेंटर बिल्डिंग बनाने का टारगेट था। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। बाकी वहां अनेकों स्थल हैं, मनाली अगर टूरिज्म एक्टिविटी का केन्द्र बनेगा तो आज वह मालरोड नज़र आने लगता। इतने

09.04.2015/1635/SS-AG/2

धक्के तो शिमला मालरोड पर नहीं लगते जितने मनाली में लगते हैं। वह कनॉट प्लेस की तरह शक्ल ले रहा है। इसलिए वह भी एक चिन्ता का विषय है और दूसरे स्थानों को विकसित करने की आवश्यकता है। अब बंजार में ही सोजा है और फिर हाइड्रो टूरिज्म के नाते सारा कसोल मनिकर्णघाटी है। जहां-जहां हाइड्रो जनरेशन के काम हुए हैं वह भी पर्यटक के लिए आकर्षण का एक स्थान बन जाता है लेकिन शर्त यह है कि सड़क ठीक हो। उसके बाद खनाग है। आनी क्षेत्र में हमारे खनाग के अतिरिक्त फिर विश्लोहपास है, कुल्लू-सराहन है लेकिन इनको सड़कों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। तभी ये पर्यटक स्थल सुविधाजनक बनेंगे, लोग यहां आयेंगे। एक बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। किन्नौर की अभी बात की गई कि किन्नौर में लोग बहुत कम गए। अब जहां रोज़ सड़क अवरूद्ध हो जाए, यातायात का साधन ठीक न हो तो कौन टूरिस्ट आयेगा? इसलिए क्यों नहीं हम इस बात पर विचार करते कि किसी निजी कम्पनी को कुछ सुविधाएं देकर अगर हैलीटैक्सी शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से पैकेज प्रोग्राम लेकर हम इन लोगों को ऐसे स्थानों पर ले जा सकते हैं चाहे वह सांगला है, चाहे वह किन्नौर है या चाहे वह भरमौर है। ये केवल और केवल जब हैलीटैक्सी सुविधा होगी तब यहां टूरिस्ट आयेगा अन्यथा जो भी पर्यटक आता है वह सड़कों को देखकर कान पकड़कर वापिस हो जाता है और दूसरी बार आने का नाम नहीं लेता। इन्हीं बिन्दुओं की ओर ध्यान दिलाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार भी व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष जारी श्रीमती के0एस0

/1640/09.04.2015केएस/एजी/1

अध्यक्षः अब केवल 20 मिनट रह गए हैं। अगर माननीय सदन की सहमति हो तो इसको हम अभी खत्म करेंगें और उसके बाद मैं चाहता हूं कि जो तीसरा रैज़ोल्यूशन है उसको हम अडॉप्ट कर लेंगें और अगले सैशन में वह अलाइव रहेगा, अगर आप चाहें तो। अब चर्चा में डॉ0 राजीव सैजल जी भाग लेंगें। माननीय सदस्य, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

डॉ0 राजीव सैजलः माननीय अध्यक्ष जी, हमारे साथी श्री सुरेश कुमार जी प्रदेश में पर्यटन हेतु ठोस नीति बनाने के लिए जो प्रस्ताव ले कर आए हैं मैं उसके बारे में अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस माननीय सदन में सभी इस बात से सहमत होंगें कि हिमाचल को अपार कुदरती सौंदर्य से ईश्वर ने ओत-प्रोत किया है । यद्यपि इस प्रदेश के अंदर पर्यटन को विकसित करने की दृष्टि से सभी सरकारों ने यहां पर प्रयास किए हैं लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी उन प्रयासों में बहुत कमी है। हमारी बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से खड़ा करने के लिए, उसको सहारा देने के लिए, सम्बल देने के लिए पर्यटन एक बहुत ही मज़बूत माध्यम साबित हो सकता है। जिन देशों व जिन प्रदेशों ने टूरिज्म को विकसित करने के गम्भीरता से प्रयास किए और उसको विकसित किया तो उसके परिणाम भी वहां पर मिले हैं और उन प्रदेशों और देशों की अर्थव्यवस्था भी सुधरी है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में गम्भीरतापूर्वक इस प्रदेश के पर्यटन की मज़बूती के लिए सराहनीय प्रयास हुए थे। जैसे हर घर कुछ कहता है और एक वाक्य दिया था अनफोर्गेटेबल हिमाचल, कभी भूल न पाओगे, हर गांव की कहानी,

/1640/09.04.2015केएस/एजी/2

गांव का ऐतिहासिक महत्व क्या है और कुछ गांव तो हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व पौराणिक काल तक जाता है। पौराणिक काल तक के भी ऐतिहासिक महत्व के स्थान हिमाचल प्रदेश में हैं। सभी एक कंठ से इस प्रदेश को देवभूमि के नाते जानते हैं। तो प्रयास हुए थे मुझे लगता है कि इसमें और अधिक प्रयास करने की अभी आवश्यकता है। कुछ सदस्यों ने जैसे सुझाव दिया कि हिमाचल में अगर हम टूरिज्म के

साथ पंचकर्मा को जोड़े तो उसके अच्छे परिणाम हमको मिल सकते हैं। कुछ प्रदेशों ने इसको करके दिखाया है। केरल एक ऐसा प्रदेश है जहां के टूरिज्म की धूरी पंचकर्मा है। दो ऐसे संस्थान, जिनको मैं जानता हूं अभी कुछ सदस्यों ने कहा कि हमारे जो यहां पर आयुर्वेदिक संस्थान हैं उनको प्रेरित किया जा सकता है यहां पर पंचकर्मा शुरू करने के लिए लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कि जैसे केरल के अंदर और मैसूर के साथ वैद्यरत्नम और आर्य वैद्यशाला ये दो ऐसे संस्थान है जहां पर पूरे विश्व से लोग पंचकर्मा का ट्रीटमैंट लेने के लिए आते हैं। उन लोगों ने वर्षों के शोध और मेहनत के बाद एक नाम हासिल किया है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि अगर इन संस्थानों को हम हिमाचल में भी आने का मौका देते हैं, एक तो उनका नाम है और उनके पास विशेषज्ञ है क्योंकि कम अवधि की किसी को ट्रेनिंग देने के बाद पंचकर्मा का विशेषज्ञ नहीं बनाया जा सकता। साढ़े पांच वर्ष बी.ए. एम.एस. करने के बाद फिर उसके बाद तीन वर्ष की एम.डी. पंचकर्मा में करनी पड़ती है और साढ़े आठ या नौ साल के बाद एक पंचकर्मा का एक्सपर्ट तैयार होता है। तो हम

/1640/09.04.2015केएस/एजी/3

इतना लम्बा इंतज़ार हम नहीं कर सकते। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से व सरकार से रहेगा कि उनको अगर हम यहां आमंत्रित करते हैं, उनको यहां संस्थान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करवाते हैं तो जहां साऊथ में भी पंचकर्मा की दृष्टि से लोग पूरे विश्व से अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं तो हिमाचल में भी आएंगें, ऐसा मुझे लगता है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा सुझाव योग के बारे में रहेगा । योग ऋषियों व महर्षियों की पद्धति है जो हिन्दुस्तान में विकसित हुई और आज पूरे विश्व में उसका प्रचार व प्रसार हो रहा है। पूरे विश्व से लोग योग सीखने के लिए यहां पर आते हैं। उसमें भी दक्षिण भारत के दो संस्थान, एक तो कृष्णमाचार्य योग मंदिर, चैन्नई में है और दूसरा, अष्टांगयोग संस्थान मैसूर के अंदर है। ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं और पूरे विश्व से लोग योग सीखने के लिए वहां आते हैं। वहां पर आसानी से एडमिशन नहीं मिलती वर्षों इंतज़ार करना पड़ता है। मैंने भी अप्लाई किया है लेकिन अभी तक मुझे ट्रेनिंग हासिल करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो अगर उनको यहां आने के लिए हम प्रेरित करते हैं तो मुझे लगता है कि योगा कैपिटल ऑफ द वर्ड ऋषिकेश को हम कहते हैं और ऋषिकेश

अगर आप जाएं तो वहां इतना ज्यादा निर्माण हो चुका है, इतना ज्यादा पोल्यूशन वहां पर है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

9.4.2015/1645/av/ag/1

डॉ.राजीव सैजल जारी -------

पोल्युशन है। ठीक है, उस स्थान का ऐतिहासिक महत्व है और वह ऋषियों की धरती है। मगर मैं हिमाचल को योग की दृष्टि से उससे कहीं ज्यादा उपयुक्त समझता हूं।

मैं कुछ बातें अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा। कसौली विश्व पर्यटन के मानचित्र पर है। माननीय धूमल जी ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए वहां पर एक संस्थान को शुरु करने का प्रयास किया था। उसके लिए इन्होंने वहां धन का भी प्रावधान किया था। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि उस स्थान को विकसित करने के लिए और ज्यादा प्रयास हो। हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर ब्रिटिश पीरियड के कुछ कैंटोनमैंट्स है। डगशाई है और एक सैलुलर जेल जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं वह अंडेमान में थी जहां क्रान्तिकारियों को सजा दी जाती थी। वैसी ही एक जेल उत्तरी भारत की डगशाई में थी जहां अनेकों क्रान्तिकारियों को शहीद किया गया। कुछ सिख क्रान्तिकारियों को वहां पर शहीद किया गया है, आज वह सिख श्रद्धा का केंद्र बना है। यहां तक कि सिख विद्वान कहते हैं कि गुरु नानक देव जी धर्मपुर से डगशाई होते हुए जोहड़जी आए थे। हम जब कुमारहट्टी से होते हुए नाहन की ओर जाते हैं तो आगे 14 किलोमीटर जोहड़जी नामक स्थान पड़ता है, वहां पर गुरु नानक देव जी गये थे। मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि अगर उस रूट का नाम हम गुरु नानक देव रूट कर सकें तो ज्यादा उचित रहेगा। वहां पर हर वर्ष सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें उन क्रान्तिकारियों को याद करने के लिए सिख श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं। मेरा आपसे यह निवेदन रहेगा कि उस मार्ग का नामकरण श्री गुरु नानक देव के नाम से किया जाए। कुछ ब्रिटिश पीरियड की सैमीट्रीज हैं। इंग्लैंड और आयरलैंड के लोग जो कभी उस जगह रहते थे उनको ब्रिटिश पीरियड में वहां दफनाया गया। इंग्लिश गवर्नमैंट के साथ सम्पर्क

9.4.2015/1645/av/ag/2

करके कि ऐसे कौन-कौन से परिवार हैं जिनके बुजुर्ग वहां दफ़नाये गये हैं, उनके लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बन सकता है।

यही सुझाव देकर मैं आपना वक्तव्य यहां पर समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इनकी ओर अवश्य ध्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

9.4.2015/1645/av/ag/3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री सुरेश कुमार जी ने जो यहां पर संकल्प लाया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर जो चर्चा हुई है वह भी काफी व्यापक हुई है। यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए।

हिमाचल प्रदेश देव भूमि के नाम से भी विख्यात है। यह पर्यटन के लिए एक शांतिप्रिय एवं आकर्षक डेस्टिनेशन है जिसमें धार्मिक, साहसिक, धरोहर, ग्रामीण व स्वास्थ्य पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं। राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हिमाचल में अब पर्यटकों की संख्या घट रही है, यह सही नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि इसमें प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है। चाहे कोई भी सरकार रही हो, पर्यटक यहां पर विभिन्न प्रकार के पर्यटन के लिए आते हैं और उसमें हर वर्ष वृद्धि हुई है। मगर हम चाहते हैं कि यह वृद्धि की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो। हमारे प्रदेश में और ज्यादा टूरिस्ट आए और यहां की प्रकृति का सौंदर्य तथा आवो-हवा का लाभ उठाये। यहां से अच्छे ऐक्सपीरियंस हासिल करके बाहर जाएं। हमारी सबकी यही इच्छा रहती है। पर्यटन के दोहन के लिए वर्ष 2005 में एक पर्यटन नीति लागू की थी। परंतु प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत तथा पर्यावरण व पर्यटन के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से एक कारगर नीति की और कई-----

श्री बी जे द्वारा जारी

मा0 मुख्य मंत्री महोदय ... जारी...

आवश्यकता महसूस की गई। अतः वर्ष 2013 में पुनः Himachal Pradesh Sustainable Tourism Policy 2013 तैयार की गई जिसके मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ब्रान्ड के रूप में स्थापित करना, सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखकर स्थानीय समुदायों को पर्यटन विकास का लाभ पहुंचाना, निवेश व निजी क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना तथा Hospitality व Sustainable Tourism में Skill Develop करना है।

माननीय सदस्य अवगत हैं कि हिमाचल प्रदेश का कोई भी कोना ऐसा नहीं हैं जिसमें पर्यटन की सम्भावना न हों। अतः राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए प्रयासरत है। हमारा प्रयास है कि उन क्षेत्रों में जहां पर्यटन की अपार सम्भावना है, परन्तु आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, में सुविधाएं उपलब्ध करवाने के विशेष प्रयास किये जायें। साथ ही पर्यटन के समग्र विकास के लिए धार्मिक,साहसिक,धरोहर, ग्रामीण व स्वास्थ्य पर्यटन में प्राप्त पूर्ण सम्भावनाओं का दोहन किया जाये।

मैं माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि विश्व बैंक की सहायता से कांगडा क्षेत्र के लिए Action Plan तैयार किया गया है। किन्नौर एवं लाहौल स्पिति जिलों के लिए पर्यटन विकास योजना बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त बौद्ध सर्किट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एक योजना अधोसंरचना विकास हेतु स्वीकृत की गई है। Asian Development Bank की सहायता से 95 Million U.S. Dollar की वित्तीय सहायता से पर्यटन अधोसंरचना का विकास किया जा रहा है। मुख्य धार्मिक स्थलों में मूलभूत पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी गई है। कांगडा, चिन्तपूर्णी तथा श्री नैना देवीजी के लिए Tourism Master Plan व Comprehensive Mobility Plan बनाई जा रही है। Public Private Partnership के अर्न्तगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए Land Bank तैयार किया जा रहा है। आदि हिमानी-चामुण्डा व टूटीकंडी से लिफ्ट-लेडिज़ पार्क रोपवे के निर्माण के लिए PPP

आधार पर Letter of Award जारी कर दिया गया है। धर्मशाला से मैकलौड़गंज व अन्य ropeways पर जल्द कार्रवाई की जाएगी।.....(व्यवधान)..

श्री सुरेश भारद्वाज़ : अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ आर्डर सर।

अध्यक्षः क्या है?

श्री सुरेश भारद्वाज़ः अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि इनका जो जवाब है वह हमारे कम्प्यूटर पर भी आ गया है, उसको हम पढ़ देते हैं। आप इसमें अपनी तरफ से आश्वासन देना चाहते हैं तो दे दें। इसे पढ़ा हुआ समझा जाएगा।
मुख्य मंत्री : ऐसा है, मेरा भाषण चाहे कम्प्यूटर पर हो और चाहे किसी और चीज़ पर हो, मुझे यहां पर उसको पढ़ने का अधिकार है। ....(व्यवधान)...

अध्यक्षः आप (सुरेश भारद्वाज़) बैठिए।

मुख्य मंत्री : ठीक है, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इसमें और भी ऐड कर रहा हूं। मैं आपसे यह कह रहा था अध्यक्ष महोदय कि यह जो भाषण कम्प्यूटर पर आ गया है इसको तो पढ़ा हुआ समझा जाए। भाषण का बाकी अंश इस प्रकार हैः-

(भारत सरकार व विभिन्न कम्पनियों से प्रदेश की हवाई पट्टियों में और अधिक उड़ानें चलाने के लिए सम्पर्क स्थापित किया गया है। प्रदेश सरकार ने Aviation Turbine Fuel पर VAT की दर 5% से घटाकर 1% कर दी है।

प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1 अप्रैल, 2013 के बाद खुलने वाले होटलों को दस साल के लिए Luxury Tax में पूरी छूट प्रदान की है। Central Capital Investment Subsidy Scheme 2013 को 2017 तक बढ़ा दिया गया है।

प्रदेश में साहसिक गतिविधियों के लिए अपार सम्भावना है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों में पर्यटकों के मनोरंजन के लिए साहसिक गतिविधियों जैसे रॉफ्टिंग, पैराग्लाईडिंग इत्यादि का आयोजन किया जाता है। पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत इन गतिविधियों के संचालन के लिए Himachal Pradesh Aero Sports Rules एवं Himachal Pradesh River Rafting Rules में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है।

पर्यटकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए Himachal Pradesh Prevention of Touting and Malpractices against Tourist Act, 2014 बनाया जा रहा है।

ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए होम स्टे स्कीम के तहत मिलने वाली रियायतों को वर्ष 2018 तक बढ़ाया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में Skill Development के लिए विभिन्न तकनीकी संस्थाओं में Tourism Courses व training का आयोजन किया जा रहा है।

पर्यटन नीति 2013 प्रदेश में पर्यटन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है तथा भविष्य में, जहां भी आवश्यकता होगी, इस नीति में आवश्यक संशोधन भी किया जा सकता है। क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा पहले ही Comprehensive Tourism Policy बना ली गई है।

इसके अलावा मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश पहले से ,कई वर्षो से गर्मियों के दिनों के लिए एक टूरिज्म सब-सेन्टर बना था। मगर पिछले 2-3 साल से यहां पर ऐन जब टूरिज्म का समय होता है तो वर्षा हो जाती है और वर्षा की वजह से लोग नही आ पाते क्योंकि अधिक वर्षा की वजह से यातायात अवरूद्ध हो जाता है। ये सब कठिनाइयां हैं जो हमारे सामने आती हैं और हमें इन सबका मुकाबला करना है। अभी महेश्वर सिंह जी ने कहा, इन्होंने ऐसा बताया यानि कि हिमाचल में सड़कें ही नही हैं और यातायात चलता ही नही है। ऐसी बात नही है। There is a difficulty. और सड़कें टूटी हैं।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

मुख्य मंत्रीः----जारी ----

और कई दफा भारी वर्षा की वजह से और मौसम में जो तबदीली आती है, उसकी वजह से यातायात अवरूद्ध हो जाता है । मगर उन सड़कों को तुरन्त खोल दिया जाता है । आज हिमाचल प्रदेश के अन्दर हर जिले के अन्दर नयी सड़कों का निर्माण हो रहा है । पुरानी सड़कों की रि-मैटलिंग और रि-टारिंग हो रही है । कई जगहों पर सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है उसकी वजह से भी कुछ काम रूकता है । जैसे ये मेन रोड चंडिगढ़ से मनाली के लिए जा रहा है, आप जानते हैं कि उसकी फोर-लेनिंग हो रही है, उसकी वजह से यातायात कहीं-कहीं अवरूद्ध हो जाता है । तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिएं । इसके लिए हम भी उतने ही चिंतित हैं जितने कोई और हैं कि हिमाचल प्रदेश की सड़कें अच्छी हों, और उनको चौड़ा किया जाए, उनको रि-मैटलिंग और रि-टारिंग किय जाए और नयी सड़कों का निर्माण हो । यह ऐसी चीज़े हैं जो कोई भी सरकार सत्ता में हो वह उस बात को सोचती है और करती है और यही काम बड़ी तेजी के साथ हो रहा है ।

इसके अलावा आज हम चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्रों के अन्दर भी होटल्ज़ बने, मॉटल्ज़ बनें, बड़े बने या छोटे बने मगर वह सुविधाजनक हों और सुरक्षित हों, जहां कोई भी यात्री आ कर आराम से रह सके और अपने आप को सुरक्षित महसूस करे । इसकी बहुत आवश्यकता है और उसके लिए सरकार ने प्रयत्न किया है । हमने यह भी कहा है कि अगले दस साल तक जो भी होटल बनाएगा, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर नया होटल बनेगा उनको करों से मुक्त कर दिया जायेगा ।

श्री प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष जी, अगला रेज़ोलूशन 5 बजे से पहले ले लें ।

मुख्य मंत्रीः आपका दूसरा सदस्य, अपना संकल्प रख सके, उसके लिए मैं समय दूंगा । इसमें मैं बहुत-कुछ कह सकता हूं । मगर मैं माननीय सदस्य से जिन्होंने यह संकल्प रखा है, उनसे प्रार्थना करुंगा कि जो मैने आश्वासन दिया है, जो रूपरेखा आपके सामने रखी है उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने संकल्प को वापिस ले लें।

/09.04.2015यूके/165/5एजी/2

अध्यक्षः तो क्या माननीय सदस्य, अपना संकल्प वापिस लेने के लिए तैयार हैं ?

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के आश्वासन के बाद मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

अध्यक्षः तो क्या माननीय सदन की अनुमति है कि इस संकल्प को वापिस किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार ।
संकल्प वापिस हुआ ।

अब श्री इन्द्र सिंह जी, अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री इन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन सिफारिश करता है कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शिक्षा के ढांचे में आमूल परिवर्तन करने हेतु नीति बनाएं।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया। अब इस माननीय सदन की ....

श्री सुरेश भारद्वाजः सर, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर।

अध्यक्षः ठीक है, आप बोलो।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष जी, आज सदन जब लंच की रिस्सैस के बाद रि-असैम्बल हुआ तो पीठ से एक ऑब्जर्वेशन आई है। बाकी चीज़ें जैसे उसमें वे खेद प्रकट किया गया है। यह ठीक है कि आप जो भी चाहें वह कर सकते हैं। आप पीठासीन अधिकारी हैं। माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार है। लेकिन उसमें एक ऑब्जर्वेशन यह आई है।

एस0एलएस0 द्वारा जारी----

09.04.2015/1700/sls-jt-1

श्री सुरेश भारद्वाज...जारी

लेकिन उसमें एक ऑब्जर्वेशन यह आई है कि माननीय उपाध्यक्ष के विरुद्ध कुछ कहा गया है और उसका मैं नोट लेता हूं और एक्शन होगा। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय उपाध्यक्ष अगर कभी पीठ पर बैठे हों ,उस समय कोई भी किसी प्रकार की ऑब्जर्वेशन या टिप्पणी अगर किसी सदस्य ने की हो तो हम मान सकते हैं। लेकिन जब उपाध्यक्ष महोदय अपनी सीट पर सदन में बैठे हों और एक पोलिटिकल पार्टी के सदस्य के रूप में भाषण कर रहे हों ,फिर वह कोई टिप्पणी करें और पार्लियामैंट के किसी मैंबर का नाम लें, जबकि जो सदन में उपस्थित नहीं है उसका नाम नहीं लिया जा सकता; उसका नाम लेकर टिप्पणी करें और गुंडागर्दी का शब्द प्रयोग करें तब उस पर अगर कोई दूसरा सदस्य टिप्पणी करता है तो मैं समझता हूं कि वह किसी पीठासीन अधिकारी के ख़िलाफ़ की गई कोई टिप्पणी नहीं है। इसलिए उपाध्यक्ष के ख़िलाफ़ यहां पर कोई टिप्पणी नहीं की गई; केवल मात्र एक सदस्य, जो एक पोलिटिकल पार्टी के वर्कर और सदस्य के रूप में बोल रहा था उसके बारे में वह बात हुई। जो उन्होंने बोला होगा, उसका जवाब कहीं से आया होगा। पीठासीन अधिकारी के प्रति सारे-के-सारे माननीय सदस्य पूरी आस्था रखते हैं, पूरी रिसपैक्ट करते हैं। हम कभी भी पीठासीन अधिकारी के आदेश की अवहेलना नहीं करते न हम करेंगे।

इसलिए मैं समझता हूं कि वह टिप्पणी पीठासीन अधिकारी के बारे में टिप्पणी नहीं है।

अध्यक्ष : आपने उपाध्यक्ष के बारे में बात की है। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि यदि किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध भी कोई टिप्पणी की जाए तो वह भी एक अवमानना मानी जाएगी। It is not the question of उपाध्यक्ष, but any Member of the House. आपके कुछ लोगों ने परसों जो नारे लगाए, उसके लिए हमने एक्शन नहीं लिया क्योंकि you are my friends. हम नहीं चाहते कि ऐसा किया जाए। मेरे पास पॉवर्ज़ हैं ,मैं सब-कुछ कर सकता हूं। लेकिन हम चाहते हैं कि मिलकर काम करें। अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसके बाद there is no need of any

09.04.2015/1700/sls-jt-1

नारेबाजी। अगर आप अभद्र शब्द कहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह सभ्य लोगों का काम नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर उपाध्यक्ष के अलावा किसी माननीय सदस्य की भी अवमानना हो तो मैं उसका भी नोट लूंगा। यह पुनिशेबल है ,इसमें हम एक्शन लेंगे।

तो संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन सिफारिश करता है कि सरकार शिक्षा की गुणवता में सुधार लाने के लिए शिक्षा के ढांचे में आमूल परिवर्तन करने हेतु नीति बनाए ।"

अब माननीय सदस्य का संकल्प प्रस्तुत हो गया है। इसको अगले सत्र में चर्चा हेतु लिया जाएगा।

अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

दिनांक : 09 अप्रैल, 2015 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
शिमला -171004 **सचिव।**